खण्ड-471, अंक-2
सोमवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1931
(3 अगस्त, 2009 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2009)

खण्ड 471 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2009

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रदेश में सूखे से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग (जारी)	1-2
प्रश्नोत्तर	2-89
प्रदेश में सूखे से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग	89
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण	90
वित्तीय वर्ष 1990-1991 से वर्ष 2004-2005 तक के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों का प्रस्तुतीकरण	90
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	90-92
दिनांक 6 अगस्त, 2009 को शब्बेबरात के दिन सदन की बैठक होने विषयक प्रकरण पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को जानकारी	92
प्रदेश में भयंकर सूखे से सम्बन्धित नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित सूचना	92-120
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	120-121
जनपद सिद्धार्थनगर में भयंकर वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने एवं वसूली स्थगित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्गों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद महामायानगर के बहुउपयोगी मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर 7 मीटर करने एवं आबादी भागों की विशेष मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
लखनऊ विश्वविद्यालय में भी छठे वेतन आयोग की संस्तुति को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ पूर्वी क्षेत्र विशेषकर अमीनाबाद घण्टाघर पार्क में छुट्टा जानवरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123-124
जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 में लोक निर्माण विभाग जनपद प्रतापगढ़ के लिए परिव्यय अनुमोदित किये जाने के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
बदायूं नगर पालिका परिषद् में दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	125
उत्तर प्रदेश में मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2009) (सदन के पटल पर रखा गया)	125
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2009) (सदन के पटल पर रखा गया)	126
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2009) (सदन के पटल पर रखा गया)	126
उत्तर प्रदेश आमोद और प्रमोद कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2009) (सदन के पटल पर रखा गया)	126
उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2009) (सदन के पटल पर रखा गया)	126
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2009) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	126
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2009) (सदन के पटल पर रखा गया)	127
गृह (पुलिस) अनुभाग-2 की अधिसूचनायें (सदन के पटल पर रखी गईं) ...	127
सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-682/49-1-09-5 (07 दिनांक 19 मई, 2009) (सदन के पटल पर रखी गई)	127

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	127
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिये निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	128
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादक टैरिफ के नियम और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2007 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	128
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2000 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	128
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2002 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	128
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी)	128
श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर (सदन को अवगत कराया गया)	129
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापस न होने की सूचना)	129
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	129
उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	130
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	130
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	130
उत्तर प्रदेश अरबी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	130
सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	130

विषय	पृष्ठ-संख्या
शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	131
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	131
उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	131
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	131
उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्ध विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	131-132
डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	132
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	132
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना) ...	132
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	133
उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	133
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	133
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	133
उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	133-134
सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	134
शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	134

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	134-135
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	135
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) ...	135
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) ...	135-136
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) ...	136
उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)... ...	136
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) ...	136-137
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	137
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	137-139
उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर समस्याओं तथा विकास की आवश्यकताओं के दृष्टिगत वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश में गठित बुन्देलखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के होते हुए केन्द्र सरकार द्वारा पृथक से बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण बनाये जाने तथा उसका नियंत्रण सीधे केन्द्र सरकार के अधीन रखे जाने के कृत्य से राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण होने सम्बन्धी नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	139-141
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	141-142
मथुरा में यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	142-144
नत्थियां	145-153

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(पन्द्रहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 03 अगस्त, 2009

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-343

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अजय यादव, श्री	एटा	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अजय सिंह, श्री	जालौन	अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज	अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)	अवधेश वर्मा, श्री	शा[illegible]हाँपुर
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर	अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर	अशोक कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर	अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अब्बास अली जैदी उर्फ		आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद	आनन्द कुमार उर्फ	
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज	कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी	आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर	आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली

आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूं
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकर नगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धर्मपाल, श्री	गाजिाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
नितिन अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला पासवान, श्री	आजमगढ़
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुबाला, श्रीमती	सन्त रविदासनगर (भदोही)
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुद देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूं
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदास नगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह	
"राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रफी अहमद उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राघव लखन पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़

रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूं
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखी राम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश 'लोधी', श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शेख नसीरउद्दीन सिद्दीकी, श्री	फिरोजाबाद
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, "बन्टी" श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौधरी	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र

सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैयूदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में सूखे से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

(विपक्ष के सदस्यगण यह कहते हुए कि सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर रही है सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे तथा श्री प्रमोद तिवारी सूखे पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी 'क' का अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर)

(नेता विरोधी दल, श्री ओम प्रकाश सिंह तथा श्री कौकब हमीद खां ने भी प्रदेश में सूखे पर चर्चा कराये जाने पर बल दिया)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह लोग स्वयं सूख गये हैं। इनकी राजनीतिक जमीन सूख गई है और जिसके कारण मान्यवर, प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करने के लिये यह मैदान छोड़कर भागना चाहते हैं। मान्यवर, यह विधान सभा में इस मुद्दे पर सूखे के मामले में चर्चा करने से भागना चाहते हैं इसलिये मान्यवर, इन्होंने अपने समय में किसानों की समस्याओं के लिये कुछ करने का काम नहीं किया। आज इस स्थिति में भी यह भागना चाहते हैं। इनके पास किसानों के लिये कोई बात नहीं है। प्रदेश सरकार किसानों के लिये सब कुछ करने का काम कर रही है।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री उदयराज यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री इमरान मसूद तथा जोखू लाल यादव आदि सदन के फ्लोर पर आकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे तथा भा0ज0पा0 के सदस्यगण अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर बैनर दिखाने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जो कहना चाहते हैं अपने स्थान से, खड़े होकर कहिये। उसका महत्व बढ़ेगा। प्रश्नकाल और निधन के निर्देश हो जाने दें।

(सदस्यों के सदन के फ्लोर पर बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपको जो कुछ कहना है अपने स्थान पर जाकर कहिये मैं सुनूंगा। चौधरी साहब यह शामिल बाजा बजाने से कुछ पायेंगे नहीं क्या चाहते हैं आप ? यहां से आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप हल्ला चाहते हैं कि बहस चाहते हैं, पहले यह बताइये। बहस नहीं चाहते हैं क्या इस महत्वूपर्ण विषय पर ? आप निर्णय लीजिये।

(सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब आप लोग सूखे के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं या हल्ला-गुल्ला चाहते हैं ? यदि आप लोग सूखे पर कुछ कहना चाहते हैं या बहस करना चाहते हैं

तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपने-अपने स्थान पर चलिये। मैं आप लोगों की बात सुनने के लिये तैयार हूं। क्या कहना चाहते हैं आप ? वहां से बात कहेंगे तो पूरा सदन सुनेगा।

श्री लालजी वर्मा-

कहने के लिये हो तब ही तो कहेंगे।

(पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय। यह सरकार इसमें भी भेदभाव कर रही है फ्लोर पर सदस्यगण किसान विरोधी सरकार नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं। अगर गम्भीर हो तो बहस करिये, अपने स्थान पर चलिये। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि अपने स्थान पर चलिये। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर किसान विरोधी सरकार के नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अपने स्थान पर चलिये। आप लोग बहस नहीं चाहते हैं न तो मैं सदन को साढ़े ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

[घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 04 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।]

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय कर्मचारियों को आवास भत्ता, शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता दिये जाने की मांग

**।-श्री सुधीर कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति आवास भत्ता, शिक्षा भत्ता एवं परिवहन भत्ता दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भत्ते कब तक दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी नहीं।

मंहगाई भत्ते को छोड़कर केन्द्र से अन्य भत्तों की समानता का सिद्धान्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को प्रदेश की अर्थोपाय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार के भत्ते एवं सुविधाएं अनुमन्य कराती रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाने की मांग

**2-श्री सतीश महाना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में बढ़ती हुई मंहगाई एवं निर्माण सामग्री के बेतहाशा बढ़ते हुए मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जी नहीं।

वर्तमान में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत प्रति विधान मण्डल क्षेत्र की दर से रुपये 1.25 करोड़ की धनराशि दी जा रही है। प्रदेश की वर्तमान आर्थोपाय स्थिति के दृष्टिगत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में जेट्रोफा (डीजल) की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु कार्य योजना

*1-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जेट्रोफा (डीजल) की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी हां।

पब्लिक सेक्टर की तेल कम्पनियों के सहयोग से ग्राम पंचायतों के अधीन ऊसर, परती, बंजर, बीहड़, पठारी तथा कृषि हेतु अनुपयोगी भूमि पर जेट्रोफा के रोपण का कार्य किया जाना है। इस हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा भारत रिन्यूयेबल इनर्जी लिमिटेड की स्थापना की गई है जो जेट्रोफा की खेती हेतु इच्छुक पंचायतों/समूहों/व्यक्तियों को आवश्यक तकनीकी ज्ञान, उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री एवं अन्य आवश्यक इनपुट्स की आपूर्ति करेगी एवं मार्केट सपोर्ट देगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0आर0पी0सी0 में संशोधन किये जाने की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए क्या सरकार सी0आर0पी0सी0 में यथावश्यक संशोधन किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान विधि व्यवस्था पर्याप्त है।

गंगा एवं अन्य नदियों में गिरने वाले नाले/नाली से होने वाले प्रदूषण को रोकने की योजना

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा एवं अन्य नदियों में गिरने वाले नाला/नाली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये नाले/नालियों के पानी की निकासी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (नकुल दुबे)-

जी हां। गंगा, यमुना एवं गोमती नदियों में गिरने वाले नाले/नाली से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, जे0एन0एन0, यू0आर0एम0 एवं यू0आई0डी0एस0एम0टी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनायें बनायी गयी हैं और क्रियान्वित की जा रही है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य वर्ष 2012 प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ईंट भट्ठों में कोयले के स्थान पर सरसों की तूरी, रबड़, कतरन, टायर के प्रयोग से होने वाले प्रदूषण के रोकथाम की मांग

*3-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ईंट भट्ठों में कोयले के स्थान पर सरसों की तूरी, रबड़ की कतरन/टायर, चमड़े की कतरन को ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रदेश में सहारनपुर, बागपत, मेरठ एवं गौतमबुद्धनगर जनपदों में 15 ईंट भट्ठों के विरुद्ध ईंधन के रूप में सरसों की तुरी, रबड़ कतरन/टायर को प्रयोग किये जाने से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर राज्य बोर्ड द्वारा इन ईंट भट्ठों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 "ए" के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी हैं जिसमें से 11 ईंट भट्ठों द्वारा रबड़ कतरन, टायर आदि का प्रयोग ईंधन के रूप में करने से बन्द कर दिया गया है तथा 04 भट्ठों द्वारा ईंधन के रूप में रबड़ की कतरन/टायर आदि का प्रयोग बन्द न करने के कारण इन ईंट भट्ठों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)

अधिनियम, 1981 की धारा-31 "ए" के अन्तर्गत मेसर्स राजा ब्रिक फील्ड, शेखपुरा, सहारनपुर को दिनांक 01-09-2008 एवं मेसर्स राम ब्रिक फील्ड, सहारनपुर, मे0 चौधरी ब्रिक फील्ड, सहारनपुर तथा मे0 सरस्वती ब्रिक कार्पोरेशन, नकुड़ सहारनपुर को दिनांक 20-7-2009 को बन्दी आदेश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में डालीगंज बाजार वाली रोड में अनधिकृत कब्जे हटाने की मांग

*4-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद में डालीगंज मोहल्ले की डालीगंज बाजार वाली रोड पर व उक्त बाजार के सीधे सम्पर्क मार्गों पर लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा करके काफी सकरा कर दिया गया है जिससे लोगों को आवागमन में काफी असुविधा होती है तथा जाम लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर अनधिकृत कब्जों को हटाते हुए उक्त सीधे सम्पर्क मार्गों को चौड़ा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। डालीगंज बाजार वाली रोड लोक निर्माण विभाग की है लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त अतिक्रमण अभियान के अन्तर्गत दि0 03-07-07, 19-02-08, 10-04-08 एवं 13-08-08 को अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। सम्पर्क मार्गों को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ को लखनऊ खण्डपीठ से हटाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सम्बद्ध करने पर विचार

*5-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में जनपदों के न्यायिक अधिकारिता परिवर्तन करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या सरकार जनपद प्रतापगढ़ को जनहित में लखनऊ खण्डपीठ से हटाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सम्बद्ध करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत का संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची-1 की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

मथुरा में कृषकों की पुलिस फायरिंग अथवा लाठीचार्ज से मृत्यु तथा आर्थिक सहायता

*6-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 जनवरी, 2009 को मथुरा के आन्दोलित कितने किसानों की पुलिस फायरिंग अथवा लाठीचार्ज में मृत्यु हुई है ? क्या सरकार निहत्थे किसानों पर पुलिस फायरिंग अथवा लाठीचार्ज के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मृतक किसान परिवार के आश्रितों को दस-दस लाख रुपये आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

आन्दोलनकारियों की ओर से 04 व्यक्ति घायल हुए तथा 01 व्यक्ति राजेन्द्र उर्फ गणेश पुत्र श्योदान सिंह निवासी अवाखेड़ा थाना नौहझील, मथुरा की मृत्यु हुई।

प्रकरण की उच्चस्तरीय/मजिस्ट्रीयल जांच प्रचालित है।

मृतक राजेन्द्र के परिजनों को तत्समय लिये गये निर्णय के अनुसार शासन की ओर से 1.0 लाख रुपये अनुग्रह राशि एवं किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत रु0-1.0 लाख की राशि प्रदान की गयी है।

प्रदेश में आतंकवाद की घटनाएं

*7-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक आतंकवाद की कितनी घटनाएं हुई हैं तथा इन घटनाओं में कितने लोग मारे गये हैं ? क्या सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक आतंकवाद की कोई घटना घटित नहीं हुई है और न ही कोई जीवन हानि हुई।

जी हां। प्रदेश में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने हेतु सरकार द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है :-

नवम्बर, 2007 में ही आतंकवाद, निरोधक दस्ते का गठन कर दिया गया था। आतंकवादी अभिसूचनाओं के संकलन, इससे जुड़े अभियोगों की विवेचना और उसके विचारण के लिए इस दस्ते को पूरी तरह से उत्तरदायी बनाया गया है। इसके माध्यम से विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखते हुए अनेक सफलता प्राप्त की गयी है।

प्रदेश के अभिसूचना तंत्र को भी पुनर्गठित और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। 17 विशेष कोष्ठ ईकाईयों की स्थापना की गयी हैं विभिन्न स्थलों पर सर्विलांस इकाईयां भी गठित हैं, जिनके माध्यम से आतंकवादियों एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जैसे ही कोई आसूचना प्राप्त होती है तो उसे तत्काल समस्त सम्बन्धित को कार्यवाही के लिए अवगत करा दिया जाता है।

भारत नेपाल सीमा पर निगरानी हेतु सशस्त्र सीमा बल की 111 चौकियां स्थापित है। सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल सीमा पर लीड इंटेलीजेंस एजेन्सी के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर राष्ट्र विरोधी सूचना के संकलन हेतु अभिसूचना विभाग की 13 नेपाल बार्डर इकाईयां स्थापित हैं।

विभिन्न एजेन्सियों में समन्वय के लिए मण्डल में मण्डलायुक्त स्तर पर तथा जनपद में जिलाधिकारी स्तर पर समन्वय बैठकों की व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न आसूचना सूत्रों की समन्वय बैठकें होती हैं।

आतंकवादियों, राष्ट्र विराधी तत्वों, संगठित अपराधिक गैंगों एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध एस0टी0एफ0 द्वारा भी कार्यवाही की जाती है।

विभिन्न केन्द्रीय एवं अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेन्सियों से प्रदेश के अभिसूचना तंत्र का सम्पर्क बना रहता है और आपस में आसूचनाओं का आदान-प्रदान कर कार्यवाही की जाती है।

आतंकवादी ग्रुप की उपस्थिति के सम्बन्ध में अभिसूचनाओं के एकत्रीकरण, आतंकवादी घटनाओं की विवेचना करने आदि के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) का गठन किया गया है, इसके अतिरिक्त फिदाइन हमले से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एस0ओ0पी0) भी बनाया गया है जिसकी प्रतियां सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गुड्डी निवासी ग्राम राजेपुर सराय, जिला फर्रुखाबाद द्वारा ए0डी0एम0 एवं सिटी मजिस्ट्रेट पर लगाये गये आरोपों की जांच के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

*8-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-6-08, जो गुड्डी जाटव पुत्री होरी लाल जाटव, निवासी ग्राम राजेपुर सराय, मेदा थाना-कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद को दिनांक 16-9-07 को ए0डी0एम0, जे0 पी0 चौरसिया व संजय कुमार यादव, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जबरन बलात्कार कर जान से मार देने की धमकी के बाद उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या मुकदमा दर्ज कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र गृह विभाग में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है, किन्तु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-6-2008 अपर पुलिस अधीक्षक (लो शि0) पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिनांक 11-7-2008 को पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ था।

आवेदिका श्रीमती गुड्डी द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद, अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़, उपजिला

मजिस्ट्रेट, सदर फर्रुखाबाद एवं पुलिस उप अधीक्षक, नगर फतेहगढ़ की संयुक्त टीम गठित की गई। जांचोपरान्त आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है जिस कारण प्रश्नगत प्रकरण में कई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी के भूमि आवंटन में भारी घोटाले की जांच

*9-श्री मदन भैया

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-2007 में गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में भूमि आवंटन में हुए भारी घोटाले के सम्बन्ध में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के मुख्य परियोजना अभियन्ता को निलम्बित करते हुए वर्तमान सरकार द्वारा एस0आई0टी0 की जांच गठित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

अंतिम जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन

*10- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्र सभी लाभार्थियों को आवास दिये जाने की योजना क्या शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

इन्दिरा आवास योजना केन्द्र पोषित योजना है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर इन्दिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी है। इसी प्रतीक्षा सूची से पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्य के अनुसार आवास आवंटित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष योजना

*11-श्री लाल जी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम करने के लिये कोई विशेष योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण बनाने तथा कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश पुलिस द्वारा पूरी निष्पक्षता से शातिर, कुख्यात

एवं पेशेवर अपराधियों तथा माफियाओं का सही चिन्हान्कन करके उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है, अपितु कमी आई है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस पिटाई से थानों में हुयी मौत की घटनायें

*12-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007-08 से अब तक पुलिस पिटाई से थानों में कितने लोगों की मौतें हुई हैं तथा इसमें से कितने मामलों में हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार निर्दोष व्यक्तियों को बचाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में वर्ष 2007-08 से अब तक पुलिस पिटाई से थानों में हुई मौत की कुल-5 घटनायें घटित हुई हैं। सभी 05 घटनायों में हत्या के अभियोग दर्ज कर कार्यवाही की गयी है।

अभिरक्षा मृत्यु की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर अधीनस्थों को निदेश निर्गत किये गये हैं। इस प्रकार की घटना घटित होने पर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ-साथ सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभार्गाय कार्यवाही की जाती है। मानवाधिकार के प्रति जागरूक करने हेतु प्रदेश स्तर/जनपदीय स्तर पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की सेमीनार/गोष्ठी आयोजित की जाती है। ऐसे आयोजनों से मानवाधिकार हनन की घटनाओं में काफी गुणात्मक सुधार परिलक्षित हुआ है।

भारत की मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के उत्थान की योजना

*13-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत की मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के उत्थान की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं। भारत की मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के उत्थान की कोई नवीन योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है परन्तु भारत की मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के उत्थान की कई योजनायें प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो निम्नवत् हैं :-

1-शहरी क्षेत्रों में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना।

2-ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना।

3-शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के भवन निर्माण।

4-जिला स्तर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालयों की स्थापना।

5-सी0सी0आई0एम0 मानक के अनुसार राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेजों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण।

प्रश्न नहीं उठता।

"शहरी रोजगार गारण्टी योजना" प्रारम्भ करने पर विचार

*14-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की भांति शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार मजदूरों के लिये "शहरी रोजगार गारण्टी योजना" प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 यशवन्त सिंह)-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना भारत सरकार की योजना है एवं भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की भांति शहरी रोजगार गारण्टी योजना अद्यतन प्रारम्भ नहीं की गई है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना प्रारम्भ किये जाने पर तत्समय विचार किया जायेगा।

आतंकवादियों को मुकदमा लड़ने के लिये कानूनी सहायता दिये जाने की योजना पर विचार

*15-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने आतंकवादियों को मुकदमा लड़ने के लिये सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता दिये जाने का कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वच्छ पेयजल योजनायें

*16-श्री मदन चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश के समस्त नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रदूषित पानी सुधार योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा उक्त योजना का क्रियान्वयन कब से किया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की योजनायें क्रियान्वित की जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व प्रदेश स्तर के एकाउन्ट्स के आडिट कराने का निर्णय

*17-श्री प्रदीप माथुर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल रूरल इम्प्लायमेन्ट गारण्टी ऐक्ट 2005 के अन्तर्गत जनपद व प्रदेश स्तर के एकाउन्ट्स के आडिट किस संस्था से कराने का

निर्णय लिया है ? उक्त आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से नहीं कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री ददूदू प्रसाद-

प्रदेश स्तर हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना उ0प्र0 की अधिसूचना फरवरी, 2007 के अध्याय-6 प्रस्तर-6.2.1 में यह प्राविधान है कि "इन लेखों का प्रतिवर्ष महालेखाकार उ0प्र0 एवं चार्टेड एकाउन्टेंट से सम्परीक्षण कराया जायेगा" तथा प्रस्तर-6.3 में जनपद स्तर हेतु उल्लेख है कि "लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। बैलेन्स शीट एवं स्टेट्यूटरी आडिट चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा किया जायेगा।" मे0 पी0सी0 भार्गव एण्ड कम्पनी, लखनऊ के चार्टेड एकाउन्टेन्ट से प्रदेश स्तर के खातों का लेखा आडिट कराया जा रहा है। जनपद स्तर के चार्टेड एकाउन्टेंट की सूची संलग्न† है।

स्थानीय लेखा निधि परीक्षा विभाग से आडिट कराये जाने की व्यवस्था अधिसूचित स्कीम में नहीं है। इस कारण आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से नहीं कराया जा रहा है।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति बड़ा अस्पताल वाराणसी/पूर्वांचल में खोलने की मांग

*18-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के विकास हेतु लखनऊ स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति बड़ा अस्पताल वाराणसी में या पूर्वांचल के किसी जिले में खोलने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

एम्स के समतुल्य संस्थान पूर्वी उ0प्र0 अथवा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित किये जाने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है।

अतारांकित प्रश्न

आगरा जनपद में सार्वजनिक कुओं की संख्या

1-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद पेयजल समस्या से ग्रसित है ? आगरा जनपद में सार्वजनिक कुओं की संख्या कितनी है और इनमें से कितने कुयें सूख चुके हैं ? क्या सरकार इनके पुनर्जीवीकरण एवं जीर्णोद्धार की कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

फिलहाल पेयजल की कोई समस्या नहीं है। आगरा नगर की पेयजल समबर्द्धन हेतु गंगा जल प्रोजेक्ट के कार्य प्रगति पर है।

आगरा जनपद में कुल 7720 कुएं हैं जिनमें से 6243 कुएं सूख गये हैं।

---

† छापी नहीं गयी।

नगर विकास विभाग द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भातखण्डे संगीत महाविद्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों एवं शिक्षकों को मंहगाई भत्ते के भुगतान की मांग

2-श्री सुधीर कुमार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भातखण्डे संगीत महाविद्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों एवं शिक्षकों के वेतन में वर्ष 2004 से मंहगाई भत्तों की पचास प्रतिशत वेतन में जोड़कर दिया गया था, परन्तु अब इसे रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त रोके गये पचास प्रतिशत मंहगाई भत्ते को वेतन में जोड़ कर पुनः देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृत मंत्री (श्री सुभाष पाण्डेय)-

जी हां।

शासन की अनुमति के बिना भुगतान किया जा रहा था।

वर्तमान में शासन के आदेश नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद् वृन्दावन, जनपद-मथुरा में दैनिक वेतन पम्प आपरेटरों को नियमित किये जाने विषयक पत्र

3-श्री प्रदीप माथुर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् वृन्दावन, जनपद-मथुरा में दैनिक वेतन पम्प आपरेटरों को नियमित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक 228/06-08, दिनांक 25-2-2008 संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्न से आच्छादित कर्मचारी श्री राधाशरण शुक्ल व श्री बृजेश शुक्ल नगरपालिका परिषद् वृन्दावन के जलकल विभाग में दैनिक वेतन पर पम्प आपरेटर के पद पर नियुक्त नहीं थे, बल्कि नगरपालिका परिषद् वृन्दावन के जलकल विभाग में दैनिक वेतन पर क्लीनर के पद पर नियुक्त थे, जिन्हें नगर पालिका परिषद् वृन्दावन के कार्यालय आदेश संख्या-1018/के0का/2009 दिनांक 11-2-09 द्वारा क्लीनर के पद पर विनियमित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जेट्रोफा की खेती को प्रोत्साहन देने की योजना

4-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जेट्रोफा की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या बायो एनर्जिक तेल शोधक संयंत्र लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री-

जी हां।

पब्लिक सेक्टर की तेल कम्पनियों के सहयोग से ग्राम पंचायतों के अधीन ऊसर, परती, बंजर, बीहड़, पठारी तथा कृषि हेतु अनुपयोगी भूमि पर जेट्रोफा के रोपण का कार्य किया जाना है। इस हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा भारत रिन्यूयेबल इनर्जी लिमिटेड की स्थापना की गई है जो जेट्रोफा की खेती हेतु इच्छुक पंचायतों/समूहों/व्यक्तियों को आवश्यक तकनीकी ज्ञान, उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री एवं अन्य आवश्यक इनपुट्स की आपूर्ति करेगी एवं मार्केट सपोर्ट देगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइड लाइन्स भी प्रतीक्षित है।

जी हां। पब्लिक सेक्टर की कम्पनियों द्वारा तेल शोधक संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह तेल कम्पनियों की कार्य योजना पर निर्भर होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विश्वविद्यालय नैनी, इलाहाबाद में अशान्ति विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

5-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय विधायक का संलग्नक सहित पत्र दिनांक 3 मार्च, 2009 जो कृषि विश्वविद्यालय नैनी, इलाहाबाद में अशान्ति विषयक था, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मा0 विधायक के पत्र के साथ संलग्न श्री के0 डी0 यादव के शिकायती-पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि आई0जेक फ्रेंक इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) नैनी, इलाहाबाद में अशांति फैलाने, बड़े-बड़े माफियाओं एवं विश्व हिन्दू परिषद् से मिलकर विश्वविद्यालय प्रशासन को ब्लैकमेल करने एवं फर्जी एडमिशन न करने पर सी0बी0आई0 तथा अन्य विभागों को शिकायतें करता रहता है।

उक्त शिकायती-पत्र में अंकित तथ्यों की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक इलाहाबाद द्वारा क्षेत्राधिकारी करछना के माध्यम से करायी गयी। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आई0जेक फ्रेंक पूर्व में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) नैनी इलाहाबाद में कार्यरत था।

उसके द्वारा उक्त संस्था के अनियमितताओं एवं फीस वृद्धि को लेकर आन्दोलित छात्रों को भड़काने का कार्य किया गया। श्री फ्रेंक के उक्त कृत्य के कारण उन्हें दिनांक 17-5-2007 को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। उसके विरुद्ध कई मुकदमें भी पंजीकृत हैं, जिनमें विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शहरों में नालों की सफाई से निकली सिल्ट को कृषकों को उपलब्ध कराने की योजना

6-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरों में नालों की सफाई से निकली सिल्ट का उपयोग जैव उर्वरक बनाने एवं उसे किसानों को उपलब्ध कराने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

शहरों में नालों की सफाई से निकली सिल्ट का उपयोग जैल उर्वरक बनाने एवं उसे किसानों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई योजना संचालित नहीं है।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं है।

अपशिष्ट प्रबन्धन की योजनायें

7-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगरों के खत्ताघरों में संचित कूड़े से निजात पाने हेतु सरकार क्या कोई कार्य योजना बना रही है ? क्या सरकार इस कूड़े के मुख्य भाग पालीथीन का उपयोग सड़क निर्माण में किये जाने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के यू0आई0जी0 कार्यान्श तथा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत सम्मिलित महानगरों की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजनायें स्वीकृत की गयी है जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सम्प्रति इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

लाइसेन्सधारियों को लाइसेन्स नवीनीकरण जारी करते समय राइफल क्लब हेतु शुल्क लिया जाना

8-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासन द्वारा शस्त्र लाइसेन्सधारियों को लाइसेन्स जारी करते समय व नवीनीकरण के समय राइफल क्लब हेतु शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो इस शुल्क का प्रयोग किस मद में करने का प्राविधान है ? जनपद महामायानगर एवं मथुरा में विगत पांच वर्षों में इस मद में कितना-कितना शुल्क एकत्र हुआ ? इन दोनों जनपदों में एकत्रित शुल्क का किन-किन मदों में कितना-कितना प्रयोग किया गया ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नेशनल यूनानी एण्ड आयुवेर्दिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर में डिप्लोमा-इन-आयुवेर्दिक मेडिसिन चार वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की मान्यता

9-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर में डिप्लोमा-इन-आयुर्वेदिक मेडिसिन चार वर्षीय डिप्लोमा कोर्स बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, उ0 प्र0 लखनऊ से मान्यता प्राप्त है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कालेज वर्ष 1993 से 1997 तक मान्यता प्राप्त रहा है ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

जी नहीं।

स्व0 श्री हरीशंकर श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मोहर्रिर, जोन-5 नगर निगम, कानपुर के आश्रित को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान

10-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि स्व0 श्री हरीशंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मोहर्रिर, जोन-5 नगर निगम, कानपुर द्वारा अपनी बीमारी के कारण दिनांक 02-07-04 को कानपुर मेडिकल सेन्टर, कानपुर में भर्ती होने की सूचना दिनांक 03-07-04 को जोन-5, नगर निगम, कानपुर में दिये जाने एवं तत्पश्चात् समस्त चिकित्सा सम्बन्धी वाउचर्स रुपया 11,017.20 सत्यापित कराकर विभाग में जमा करने के बावजूद अभी तक उनके आश्रित को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

स्व0 हरि शंकर श्रीवास्तव, तत्कालीन मोहर्रिर जोन-5, नगर निगम, कानपुर द्वारा इलाज हेतु भर्ती से पूर्व जोन-5 को न तो कोई सूचना दी गयी और न ही प्राइवेट चिकित्सक से उपचार कराने के लिये सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति ही प्राप्त की गयी। अतः उन्हें स्वयं के उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मोबाइल सिम एवं समाचार-पत्र दिये जाने के आदेश

11-श्री सुधीर कुमार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मोबाइल सिम एवं समाचार-पत्र दिये जाने के आदेश अगस्त, 2008 में जारी किये

गये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन प्रदेश के सभी सचिवालयों में करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेश का अनुपालन सभी सचिवालयों में कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-2630/बीस-8-वि-2008-टी-26 (79)/2008, दिनांक 26-8-2008 द्वारा उ0 प्र0 सिविल सचिवालय में तैनात विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव, अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, निजी सचिव, अपर निजी सचिव एवं इनके समकक्ष अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत संचार निगम लि0 की क्लोज यूजर्स ग्रुप (सी0यू0जी0) मोबाइल कनेक्शन योजना के अन्तर्गत मोबाइल सिम की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश निर्गत किये गये तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-3355-बीस-7-वि-2008-9बी0पी0 (6)/2005 दिनांक 21-8-2008 द्वारा सचिवालय प्रशासन विभाग के अधिष्ठान पर तैनात समीक्षा अधिकारी समकक्ष पद सहित समूह-ग के अन्य स्वीकृत पद धारकों को शासकीय व्यय पर एक-एक दैनिक भारतीय समाचार-पत्र की सुविधा अनुमन्य किये जाने के आदेश निर्गत किये गये, न कि अन्य सचिवालयों के सम्बन्ध में।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव-हरदोई मार्ग पर चकलवंशी से सफीपुर तक की सड़क निर्माण की मांग

12-श्री सुधीर कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव-हरदोई मार्ग पर लगभग 10 कि0मी0 चकलवंशी से सफीपुर तक की सड़क को प्रधान मंत्री सड़क रोजगार योजना में सम्मिलित कराकर सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

यह मार्ग स्टेट हाईवे (SH-38) है। अतः प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राविधानों के अनुसार यह मार्ग इस योजना में नहीं लिया जा सकता है।

सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समाचार-पत्र दिये जाने का शासनादेश

13-श्री सुधीर कुमार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को अगस्त, 2008 से निःशुल्क समाचार-पत्र दिये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां तो उक्त आदेश का अनुपालन प्रदेश के सभी सचिवालयों में करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सचिवालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी समाचार-पत्र दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को समाचार-पत्र दिये जाने का शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उ0 प्र0 सचिवालय में सचिवालय प्रशासन विभाग के अधिष्ठान पर तैनात समूह-'ग' के कर्मचारियों को निःशुल्क समाचार-पत्र की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है।

उ0 प्र0 सचिवालय में सचिवालय प्रशासन विभाग के अधिष्ठान पर तैनात समूह-'घ' के स्वीकृत समस्त पदधारकों को कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-01/बीस-7-वि-2009-9बी0पी(5)/08, दिनांक 09 जनवरी, 2009 द्वारा शासकीय व्यय पर एक दैनिक समाचार-पत्र की सुविधा अनुमन्य किये जाने का आदेश निर्गत कर दिया गया है।

जनपद फिरोजाबाद, विधान सभा क्षेत्र जसराना के पूर्व विधायक द्वारा विधायक निधि से कराये गये कार्यों की जांच

14-श्री राम प्रकाश यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जसराना (324) जिला-फिरोजाबाद में 12वीं, 13वीं, 14वीं विधान सभा के पूर्व विधायक द्वारा विधायक निधि का 1/3 भाग, जो लगभग रु0 1,97,48,000 (एक करोड़ सत्तानबे लाख अड़तालिस हजार रुपया) है, अपने द्वारा चलाये जा रहे शैक्षणिक संस्थानों को दे दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अनियमितताओं की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जसराना (324) के मा0 पूर्व विधायक द्वारा विधायक निधि की धनराशि में से 12वीं विधान सभा में शून्य धनराशि, 13वीं विधान सभा के कार्यकाल में 02 विद्यालयों के सापेक्ष धनराशि रु0 1373 लाख एवं 14वीं विधान सभा के कार्यकाल से 33 विद्यालयों के सापेक्ष धनराशि रु0 368,397,85 लाख अर्थात् कुल रुपये 332,12785 लाख के प्रस्ताव शैक्षणिक संस्थाओं हेतु दिये गये। उक्त धनराशि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अवमुक्त की गयी है तथा विद्यालय पंजीकृत प्रबन्ध समितियों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

जहां तक मा0 पूर्व विधायक द्वारा संचालित विद्यालयों की धनराशि दिये जाने का बिन्दु है, तो इसकी जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद लखीमपुर-खीरी के ग्राम सुण्डा पटैहरा के कच्चे मार्गों पर खड़ंजा लगाने की मांग

15-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के सुण्डा पटेहरा ग्राम के अन्दर के मार्ग काफी ऊबड़-खाबड़ हैं तथा उसमें जल भराव भी है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांव के अन्दर के कच्चे मार्गों पर खड़न्जा लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

दिनांक 16 जुलाई, 2009 को खड़न्जा कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना हजरतगंज, लखनऊ में घोटाला एवं क्षति विषयक दर्ज अपराध की सी0बी0आई0 से जांच की मांग

16-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23-1-08 को थाना हजरतगंज, लखनऊ में रुपये 1000 करोड़ के घोटाले एवं क्षति विषयक धारा 193, 409, 420, 465, 471, 477ए, 120बी व 13 (2) संगठित धारा 1 डी प्रीवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 से जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रश्नगत अभियोग विवेचनाधीन है।

ऊर्जा विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति

17-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा क्या कोई पर्यटन नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विनोद सिंह-

जी हां।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन नीति 1998 में बनाई गयी है। इसके अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के पर्यटकों/यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नेतृत्व संगठनात्मक तथा रणनीतिक दिशा प्रदान करने, पर्यटन उद्योग की गुणवत्ता बढ़ाने, स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों के बीच प्रदेश के उत्पादों का विपणन करने एवं उ0प्र0 में रूचिपूर्ण स्थलों को विकसित करके प्रदेश के लिए रोजगार सृजन, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभ का अर्जन करना है।

थाना नौहझील, जनपद मथुरा में पंजीकृत अपराध की न्यायिक जांच

18-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या थाना नौहझील, जनपद-मथुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-557/08 दिनांक 24-10-08 में जिलाधिकारी द्वारा न्यायिक जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो इस प्रकरण की न्यायाधिक/पुलिस जांच के

परिणाम क्या हैं ? क्या सरकार दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत प्रकरण की जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा मजिस्ट्रीयल जांच आदेशित की गयी है।

मृतक हरि किशन उर्फ कालू नि0 बासाऊ थाना नौहझील, मथुरा के परिजन श्री अशोक कुमार द्वारा दिनांक 24-10-2008 को दी गयी तहरीर के आधार पर थाना नौहझील पर थानाध्यक्ष, श्री अनिल कुमार शर्मा के विरुद्ध मु0अ0सं0-557/08 अन्तर्गत धारा 342/302/506 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ इसकी निष्पक्ष जांच हेतु विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा, मथुरा को सौंपा गया। विवेचना के दौरान उक्त अभियोग में साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट संख्या-18 दिनांक 18-2-2009 प्रेषित की जा चुकी है।

सम्बन्धित प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच तत्कालीन उप जिला मजिस्ट्रेट, मांट श्री भैरपाल सिंह द्वारा की गयी थी। किन्तु जांच पुलिस साक्ष्य पर आधारित होने के कारण तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पुनः जांच करने हेतु वर्तमान उप जिला मजिस्ट्रेट, मांट को नामित किया गया है। जांच अभी प्रचलित है।

19-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्साधिकारियों को आपातकालीन ड्यूटी सेवाओं से मुक्त करने की मांग

20-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में चिकित्साधिकारी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (आयुर्वेद/यूनानी) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत हैं एवं एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति सेवाएं एवं इमरजेन्सी ड्यूटी भी करते हैं, को नान प्रैक्टिस भत्ता देने अथवा आपातकालीन ड्यूटी सेवाओं से मुक्त करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत सामु0स्वा0 चिकित्साधिकारियों (आयुर्वेद/यूनानी) को निजी प्रैक्टिस अनुमन्य होने के कारण निजी प्रैक्टिस न करने का भत्ता अनुमन्य नहीं है। इन चिकित्साधिकारियों को आपात कालीन ड्यूटी सेवाओं से मुक्त करने का औचित्य नहीं है।

स्व0 श्री राम विशाल गुप्ता, हेड कान्सटेबिल की ड्यूटी के दौरान हत्या, अनुमन्य अनुग्रह धनराशि का भुगतान

21-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री राम विशाल गुप्ता, हेड कांस्टेबि-196 ए0पी0 जो वन निगम अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव "कक्का" की सुरक्षा में तैनात थे, की 21 जुलाई, 2006 को ड्यूटी पर इटावा में हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो

क्या कर्तव्य पालन के दौरान हत्या हो जाने पर मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, महानिरीक्षक ने रु0 10 लाख का प्रस्ताव सितम्बर, 2007 को अपनी संस्तुति सहित पुलिस मुख्यालय भेजा है ? यदि हां, तो क्या मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक निर्गत कर दी जायेगी ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। प्रचलित शासनादेशों की व्यवस्था के अन्तर्गत स्व0 राम विशाल गुप्ता हेड कान्स0 के परिवार को रु0 10 लाख की अनुग्रह धनराशि अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

22-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[1ले शुक्रवार के अता0प्रश्न सं0-164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद नगर की स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनान्तर्गत नालों का निर्माण

23-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महानगर में जल निकासी हेतु जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत नालों के निर्माण एवं विस्तार की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और इसमें इलाहाबाद के कितने नालों का विस्तार, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण तथा नये नालों का निर्माण किया जायेगा ?

श्री नकुल दूबे-

जी हां।

इलाहाबाद नगर की स्टार्म वाटर ड्रेनेज की योजना विरचित की जा रही है जिसके अन्तर्गत 107 नालों का पुनर्निर्माण एवं 50 नये नालों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

नगरीय क्षेत्रों में विज्ञापन पर कर लगाये जाने की नीति

24-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों एवं नगरों में सड़कों, भवनों, पार्कों, विद्युत खम्भों पर विज्ञापन लगाये जाने सम्बन्धी क्या कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है और उसको लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री नकुल दुबे-

नगरीय क्षेत्रों में विज्ञापन पर कर आरोपित करके निकायों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में होर्डिंग्स/विज्ञापन आदि लगाये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली प्रस्तावित है।

नियमावली के प्रख्यापन के बाद प्रभावी होने पर उसे लागू करने हेतु सम्बन्धित नगर आयुक्त उत्तरदायी होंगे।

विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विदेश जाने पर विवाह का प्रमाण-पत्र सरकार से प्रमाणित होना अपेक्षित है ? यदि हां, तो प्रदेश में सम्पन्न हुये विवाह का प्रमाण-पत्र जारी करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या सब-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र को ही सीधे सरकार से प्रमाणित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रार्थी को आवश्यकता होने पर प्रमाण-पत्र को सरकार द्वारा सत्यापित किया जाता है।

1-हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा-8 के अतंर्गत रजिस्ट्रार के यहां निबंधन की प्रक्रिया प्रचलित है।

2-विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत नामित विशेष विवाह अधिकारी द्वारा कार्य संपादित किया जाता है।

शासन द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र को सत्यापित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर सम्बन्धित जनपद के माध्यम से तथ्य का परीक्षण करने के उपरान्त शासन द्वारा प्रमाण-पत्र को सत्यापित किया जा रहा है। सब रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाही प्रमाण-पत्र के तथ्यात्मक परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त ही प्रमाणन तर्कसंगत एवं उचित है।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती ज्ञान कौर, थाना रोजा सदर शाहजहांपुर को सहायता दिलाये जाने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

26-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती ज्ञान कौर, निवासी-सरैया आबाद गुर्री, थाना रोजा सदर, शाहजहांपुर को सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय का आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/ 172907/2007, दिनांक 15-11-2007 प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मा0 नानावटी जांच आयोग की संस्तुति के क्रम में पत्र में उल्लिखित दावेदार श्रीमती ज्ञान कौर के संदर्भ में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जांच आख्या दिनांक 28-7-2009 प्रतिकर अधिकारी/आयुक्त, कानपुर को प्राप्त हो गयी है। प्रतिकर अधिकारी से संस्तुति प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में नेशनल यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर की मान्यता

27-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-सहारनपुर में नेशनल यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज हैं ? यदि नहीं तो क्या इस मेडिकल कालेज की मान्यता सरकार द्वारा समाप्त की गयी है ? यदि हां, तो कब ? उक्त कालेज को कब मान्यता प्रदान की गयी थी तथा किस वर्ष से किस वर्ष तक मान्यता रही है ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम आगरा में ट्रक/ट्रैक्टर ड्राईवर, क्लीनर तथा जूनियर फिटर के पदों पर चयन में बरती गयी अनियमितता

28-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम आगरा में ट्रक/ट्रैक्टर ड्राईवर, क्लीनर तथा जूनियर फिटर के पदों के चयन में बरती गयी अनियमितता के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी आगरा का पत्र सं0-87/एस0टी0/जांच आख्या/ 2008-09, दिनांक 29-11-09 जिलाधिकारी, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी, आगरा की जांच आख्या दिनांक 29-11-09 से प्राप्त होकर जांच आख्य दिनांक 29-11-08 जिलाधिकारी आगरा को प्राप्त हुई है।

मुख्य विकास अधिकारी, आगरा की उक्त जांच आख्या दिनांक 29-11-08 में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी आगरा के पत्र संख्या-262/एल0बी0सी0 दिनांक 02-12-08 द्वारा जांच आख्या आगरा मण्डल, आगरा को प्रेषित की गयी। संयुक्त आगरा मण्डल, आगरा के पत्र संख्या-6017/23-1(6)/06-07, दिनांक-06-03-09 द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के वह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत प्रकरण में अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम भी सूचित करते हुए संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराये। आयुक्त के उक्त पत्र के क्रम में वांछित आख्या प्राप्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-666/एल0बी0सी0 दिनांक 28-03-09 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, आगरा/जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया। वांछित आख्या प्राप्त न होने पर जिलाधिकारी, आगरा के पत्र दिनांक 25-05-09 तथा दिनांक 05-06-09 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को पुनः अनुस्मृत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड भावलाखेड़ा के ग्राम-मानपुर में इंदिरा आवासों का आवंटन

29-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के भावलाखेड़ा ब्लाक को अम्बेडकर ग्राम मानपुर में विकलांगों/विधवाओं व बी0पी0एल0 की श्रेणी में आने वाले सभी पात्रों को इन्दिरा आवास की सुविधा दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या इस ग्राम में पात्रों को इन्दिरा आवास की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-भावलखेड़ा के ग्राम मानपुर चचरी में इन्दिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची में सूचीवद्ध सभी पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित कर दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

30-श्री राम प्रकाश यादव-

[एक से अधिक विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

31-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

[1ले शुक्रवार के अता0प्रश्न सं0-50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पुलिस थानों में अल्पसंख्यकों की आठ प्रतिशत तैनाती करने पर पुनः विचार करने की मांग

32-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस थानों में आठ प्रतिशत पुलिस कर्मी/चौकी इंचार्ज अल्पसंख्यक समाज से रखे जाने का शासनादेश क्या सरकार ने वापस ले लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पुलिस थानों में अल्पसंख्यकों की आठ प्रतिशत तैनाती करने पर पुनः विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री-

प्रदेश के जनपदों में थानों पर थानाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या 3150/6-पु-1-07-98/95 दिनांक 18-7-07 द्वारा निरीक्षक/निरीक्षक प्रभारी/थानाध्यक्षों के पदों पर 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। जिसके अनुरूप प्रदेश के थानों पर थानाध्यक्षों की तैनाती में आरक्षण व्यवस्था लागू है। अन्य पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सम्मिलित हैं, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत कोटे में अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्ग के कर्मिकों को भी थानाध्यक्ष के पदों पर तैनाती प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर को सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

33-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में शाहजहांपुर नगर को सड़क निर्माण के लिये कितना धन दिया गया है ? इसको किस प्राथमिकता के आधार पर

खर्च करने का निर्णय लिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शाहजहांपुर नगर का व्यस्ततम मार्ग अन्टा चौराहा से वजीरगंज 2.5 कि0मी0 जो कि बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में है, के निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पालिका परिषद् शाहजहांपुर को शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में सड़क निर्माण के लिये धन नहीं दिया गया है।

जी हां।

पालिका को स्टाम्प शुल्क से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिशत धनराशि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत रुपये 92,07,000.00 (बानवे लाख सात हजार मात्र) के आगणन का प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव की स्वीकृति दिनांक 13-07-2009 को प्रदान कर दी गयी है। सड़क निर्माण हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जा रहे है, निर्माण कार्य दिनांक 31 अक्टूबर 2009 तक पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नही उठता।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए कैंसर/हार्ट/लीवर जैसी बीमारियो हेतु धन की व्यवस्था

34-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये गम्भीर रोगों-कैंसर/हार्ट/लीवर जैसी बीमारियों के इलाज के लिये सरकार ने क्या धन की कोई व्यवस्था की है ? क्या सरकार ऐसे गरीबों के लिये सभी जिलों में बीमा-योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस बीमा योजना का स्वरूप क्या होगा ?

श्री दद्दू पसाद-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराकर स्मार्ट कार्ड धारक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले बी0पी0एल0 परिवार के कुल 05 सदस्यों को अधिकतम रुपये 30,000/- धनराशि तक की चिकित्सा सुविधा अनुमन्य करायी जा रही है।

योजना प्रदेश के समस्त जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आच्छादित की जा रही है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एक परिवार के 05 सदस्य योजना से आच्छादित होंगे। एक परिवार के लिए कुल रु0 30,000/की धनराशि का प्राविधान किया गया है। लाभार्थी द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष 30 रु0 देय होगा। योजना में लाभार्थी को स्मार्ट

कार्ड सेवा प्रदाता आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड बीमा कम्पनी द्वारा दिया जायेगा, जिस पर रु0 30,000/- क्रेडिट रहेगा। प्रदेश चयनित सरकारी चिकित्सालय तथा जनपदों मे स्थित प्राइवेट चिकित्सालय, जो पैनल में सूचीबद्ध हैं, जहां बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों को स्मार्ट कार्ड के माध्यम से भर्ती होने पर 30,000/- तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

थाना सादाबाद, जनपद महामाया नगर के श्री जलालुद्दीन पर दर्ज फर्जी मुकदमें की जांच के सम्बन्ध में पत्र

35-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जलालुद्दीन पर दर्ज फर्जी मुकदमा अपराध सं0 191/08 द्वारा कोतवाली सादाबाद, जनपद-महामायानगर की पुनः जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-50073/ रालोद/विमदल/ वि0स0/09, दिनांक 20-2-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

थाना सादाबाद पर वादी श्री विजय कुमार जाटव निवासी मुहल्ला मंदिर वाला कस्बा व थाना सादाबाद जनपद महामायानगर द्वारा मु0अ0सं0-191/08 धारा-308/323/504/506 भादवि व 3(1)एससी/एसटी ऐक्ट बनाम 1-निसार पुत्र खलील ठेकेदार 2-वसीम पुत्र निसार अहमद 3-जलालुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन 4-नसीमुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन निवासी मय मौ0 मिर्जापाड़ा कस्बा व थाना सादाबाद जनपद महामायानगर के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। उपरोक्त मुकदमा में साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र संख्या-122/08 दिनांक 20-5-2008 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। उपरोक्त आरोप पत्र रोककर पुनर्विवेचना हेतु उक्त मुकदमा की सी0डी0 मय आरोप-पत्र के अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा वापस की गयी। पुनर्विवेचना के दौरान उपरोक्त सभी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा पूर्व आरोप-पत्र का समर्थन करते हुए विवेचना समाप्त कर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। विवेचना सम्बन्धी अन्य कोई कार्यवाही उक्त मुकदमा में शेष नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भानु प्रताप सिंह, सांसद का बिजली घोटाले की सी0 बी0 आई0 जांच के सम्बन्ध में पत्र

36-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबों के बिजली घोटाले की सी0बी0आई0 जांच की अधिसूचना उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 2-3-2008 को जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 21-10-2008 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/कैबिनेट सचिव/ अतिरिक्त कैबिनेट सचिव, उ0प्र0 प्रमुख सचिव (गृह) तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां। संदर्भगत पत्र दिनांक 21-10-08 गृह विभाग में प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग को दिनांक 12-01-09 के पत्र द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रश्नगत पत्र को सम्बन्धित निगम को सक्षम स्तर से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु दिनांक 16-7-09 को निर्देश दे दिये गये हैं।

भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकरियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक सांसद श्री भानु प्रताप सिंह का पत्र

37-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 2-9-08 तथा 14-1-2009, जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, नियुक्ति अनुभाग-5 को सम्बोधित है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

दोनों शिकायती पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं पर ऊर्जा विभाग से आख्या मांगी जा रही है। आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, इलाहाबाद के अधीनस्थ अडिटर के रिक्त पद

38-श्री प्रदीप माथुर-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, इलाहाबाद के अधीनस्थ आडिटर (लेखा परीक्षा) सम्वर्ग के ऊपर किन-किन संवर्गों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? सामान्य वर्ग के रिक्त प्रत्येक कैडर के पदों पर पदोन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि पद रिक्त रहने से आडिट कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त पदोन्नतियां समयबद्ध सीमा में कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत आडीटर (लेखा परीक्षा) सम्वर्ग के ऊपर समूह "क" का कोई पद रिक्त नहीं है। समूह "ख" में सहायक निदेशक के 03 पद तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती के 19 पद एवं पदोन्नति के 32 पद रिक्त है।

सहायक निदेशक के 02 पद पर पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति श्रेणी के पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।

रिक्त पदों का कार्य अन्य अधिकारियों को सौंपा गया है।

लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर जिला सम्परीक्षा अधिकारियों के पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नति प्रदान की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा प्यारेपुर, जनपद बहराइच में विभिन्न मदों से कराये गये कार्यों की जांच सम्बन्धी पत्र

39-श्री प्रदीप माथुर-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रमुख सचिव, क्षेत्रीय विकास को सम्बोधित पत्र दिनांक 14-11-08 जो ग्राम सभा प्यारेपुर, ब्लाक फखरपुर, जनपद बहराइच के विभिन्न मदों से कराये गये कार्य की जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री अशोक कुमार दोहरे)-

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रश्न में संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय स्थित आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी का बजट बढ़ाये जाने विषयक पत्र

40-श्री प्रदीप माथुर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-11-08 जो सचिवालय स्थित आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का बजट बढ़ाये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, लखनऊ का इस वर्ष औषधि मद का बजट विगत वर्षों की तुलना में बढ़ा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति की जमीन दबंगो से खाली कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

41-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह (पुलिस) अनुभाग-11 का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-2084/6-पु-11-08- 217एम/08, दिनांक 4-6-2008, जिसमें अनुसूचित जाति की जमीन दबंगों से खाली कराने विषयक है, जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या हेरा-फेरी करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए गरीबों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

गृह (पुलिस) अनुभाग-11 द्वारा प्रश्न में उल्लिखित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-2084/6-पु0-11-08-217एम/08, दिनांक 4-6-08 जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को नहीं भेजा गया था, वरन उक्त पत्र द्वारा मा0 सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को उनके पत्र दिनांक 29-2-2008 के सन्दर्भ में आख्या भेजी गयी थी। मा0 सांसद के उक्त पत्र दिनांक 29-2-08 के साथ आवेदिका श्रीमती राजकली पत्नी श्री तेरसू निवासिनी ग्राम खपटिहा, थाना कोरांव, जिला इलाहाबाद का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-2-08 प्राप्त हुआ था जिसमें शिकायतों की जांच की अपेक्षा की गई थी।

जिलाधिकारी इलाहाबाद से प्राप्त आख्यानुसार श्रीमती राजकली को अराजी नं0-55मि रकबा 0.285 हे0 का पट्टा वर्ष 1978 में किया गया था। तत्समय उसे कब्जा दिया गया था। कालान्तर में उक्त भूमि पर श्री रामकैलाश उर्फ कल्लू द्वारा कब्जा किया गया था जिस पर दिनांक 5-7-2008 को श्रीमती राजकली को कब्जा दिलाया गया। पुनः रकबा 0.023 हे0 पर रामकैलाश द्वारा उपरौड़ लगाकर कब्जा कर लिया गया जिस पर दिनांक 16-1-09 को पुनः आवंटी श्रीमती राजकली को कब्जा दिला दिया गया है।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मिढ़ना बोझी में स्थापित इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प ठीक कराने की मांग

42-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मिढ़ना बोझी [वि0स0] फूलबेहड़ में स्थापित इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प, जो क्रमशः मस्जिद मिढ़ना बोझी, ईदगाह तथा कब्रिस्तान में लगे हैं, खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

ईदगाह पर स्थापित इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प खराब हो गया था जिसे ठीक करा दिया गया है। मस्जिद मिढ़ना बोझी तथा कब्रिस्तान में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मोहम्मदपुर, जनपद लखीमपुर-खीरी के ईदगाह में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प ठीक कराने की मांग

43-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम मोहम्मदपुर में ईदगाह में लगा इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त खराब हैण्डपम्प को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मिढ़ना बोझी, जनपद लखीमपुर खीरी में खड़न्जा व पुलिया की मरम्मत की मांग

44-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम मिढ़ना बोझी के उत्तर जिन्दबाबा तक खड़न्जा व पुलिया टूट जाने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त खड़न्जा तथा पुलिया की मरम्मत कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

मिठनाबोझी से जिन्दबाबा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया के दोनों ओर लगभग 60 मी0 खड़न्जे की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। नाले पर नई पुलिया के निर्माण का कार्य पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत बसहा भूड़, लखीमपुर खीरी में विकलांगों को विकलांग पेंशन व अन्य सहायता उपलब्ध कराने की मांग

45-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बसहा भूड़ में कई विकलांग महिलायें पुरुष एवं बच्चे विकलांग पेंशन व अन्य सरकारी सहायता से वंचित हैं ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त ग्राम के विकलांगों को विकलांग पेंशन व अन्य सहायता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

(क) ग्राम पंचायत बसहा भूड़ में 18 विकलांग ऐसे हैं जिन्हें विकलांग कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है।

(ख) बजट की व्यवस्था होने पर विकलांगजन की पात्रता को देखते हुए पेंशन व अन्य योजनाओं में लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(ग) उक्त सभी विकलांगजन के आवेदन-पत्र भरवा दिये गये हैं तथा ग्राम प्रधान को आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर आवेदन-पत्र विकलांग कल्याण कार्यालय में भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं। नवीन पेंशन स्वीकृति हेतु धनराशि की व्यवस्था होने पर पात्र विकलांग जन को भुगतान की कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जिला योजना समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव शामिल किये जाने की मांग

46-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-7-08 को मथुरा जनपद की जिला योजना की बैठक में यह निर्देश दिये गये थे कि मा0 जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को शामिल करने

का प्रयास किया जाये ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के कितने प्रस्ताव शामिल किये गये ? अन्य जनप्रतिनिधियों के कितने-कितने प्रस्ताव जिला योजना में शामिल किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। बजट को दृष्टिगत रखते हुये।

जिला योजना समिति की बैठक में प्रश्नकर्ता मा0 विधायक मथुरा का एक प्रस्ताव एवं मा0 विधायक गोवर्धन का एक प्रस्ताव तथा मा0 विधायक गोकुल के दो प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुये, जिन्हें जिला योजना में शामिल किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

भातखण्डे संगीत संस्थान लखनऊ के कर्मियों को मंहगाई भत्ता विलय कर वेतन दिये जाने की मांग

47-श्री प्रदीप माथुर-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ के कर्मियों को वर्ष 2005 से मूल वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का विलय राज्य सरकार द्वारा रोक दिया गया है ? यदि हां, तो भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ के कर्मियों को मूल वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता विलय कर एवं बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता मिलाकर वेतन कब तक प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुभाष पाण्डेय-

शासन की अनुमति के बिना संस्कृति निदेशालय के अधीनस्थ संस्थानों/अकादमियों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में से मूल वेतन का 50 प्रतिशत की धनराशि मंहगाई वेतन के रूप में दिये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर इसे अनियमित बताते हुए शासन के पत्र संख्या-1737 (1)/चार-07-37 बजट/2007, दिनांक 3-3-2007 द्वारा निदेशक, संस्कृति निदेशालय को स्थिति स्पष्ट किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा अधीनस्थ संस्थानों/अकादमियों के कर्मियों के मूल वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का विलय रोक लिया गया है।

भातखण्डे संगीत संस्थान, समविश्वविद्यालय, लखनऊ के कर्मियों को 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता विलयकर वेतन प्रदान करने के सन्दर्भ में वर्तमान में कोई आदेश नहीं है।

भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ के कर्मियों को समय से वेतन दिये जाने की मांग

48-श्री प्रदीप माथुर-

क्या संस्कृति मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित भातखण्डे संगीत संस्थान के कर्मियों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है ? क्या सरकार उक्त कर्मियों को समय से वेतन दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुभाष पाण्डेय-

बजट की उपलब्धता के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है।

बजट की उपलब्धता के अनुसार वेतन दिया जाता रहेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना हर्दी, जनपद बहराइच में दर्ज मु0अ0सं0-12/07 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

49-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना हर्दी जनपद बहराइच में मु0अ0सं0/12/07 धारा 419-420 आई0पी0सी0, दिनांक 7-7-07 पंजीकृत है ? यदि हां, तो विवेचना में किन-किन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं, तो गिरफ्तारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त एफ0आर0-27, दिनांक 17-8-07 द्वारा जुर्म खारिज किया गया है जिसके कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

अपराध प्रमाणित न होने के कारण गिरफ्तार नहीं की गई।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में तैनात आडिटर को कार्यालयी सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

50-श्री प्रदीप माथुर-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग के प0सं0 आडिट-158/दस-2006-101 (65)/2000, दिनांक 5 अप्रैल, 2006 द्वारा लेखा परीक्षा कार्य हेतु संस्थाओं में तैनात वित्त विभाग के अधिकारियों को आवश्यक सुविधायें संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के विभागों में तैनात आडिटर को भी उक्त सुविधा उपलब्ध होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां। शासनादेश संख्या-आडिट-158/दस-2006-101 (65)/2000, दिनांक 05 अप्रैल, 2006 में मुख्य लेखा परीक्षा, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उ0 प्र0 अधिष्ठान के अधिकारियों को शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा कार्य हेतु अधिकारियों को कार्यालयी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

शासनादेश संख्या-आडिट-968/दस-2009-101 (65)/2000, टी0सी0 दिनांक 19 मार्च, 2009 में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों को जो संस्था का सम्वर्ती संपरीक्षा कार्य करते हैं, उन्हें सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा कार्यालयी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में कार्यरत डी0जी0सी0, ए0डी0जी0सी0 एवं सहायक डी0जी0सी0 पदों के नवीनीकरण का प्रकरण

51-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में कार्यरत डी0जी0सी0 (सिविल, राजस्व व आपराधिक) ए0डी0जी0सी0 एवं सहायक डी0जी0सी0 पदों के नवीनीकरण का

प्रकरण क्या शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों के किन-किन अधिवक्ताओं का प्रकरण कब से लम्बित है ? क्या सरकार त्वरित एवं प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया के संचालन हेतु इन पदों पर नवीनीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

विवरण संलग्न है[†]।

नवीनीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में अपर महाधिवक्ता, अपर मुख्य स्टैन्डिंग काउंसिल, ए0जी0ए0 तथा स्टैन्डिंग काउंसिल की नियुक्ति का अधिकार

52-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा इसकी लखनऊ खण्डपीठ में वर्ष 2008-09 में किन-किन अधिवक्ताओं को अपर महाधिवक्ता, अपर मुख्य स्टैन्डिंग काउंसिल, ए0जी0ए0 तथा स्टैन्डिंग काउंसिल नियुक्त किया गया है तथा इनकी नियुक्ति के आधार क्या हैं ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 2008-09 में नियुक्त किये गये अपर महाधिवक्ता अपर मुख्य स्टैन्डिंग काउन्सिल (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता), ए0जी0ए0 (अपर शासकीय अधिवक्ता) तथा स्टैन्डिंग काउन्सिल (स्थायी अधिवक्ता) के विवरण संलग्न[†] है।

मा0 उच्च न्यायालय में विधि अधिकारियों की नियुक्ति विधि परामर्शी निर्देशिका में निहित प्राविधानों के अनुसार मा0 महाधिवक्ता महोदय के परामर्श से की जाती है।

इनकी पात्रता निम्नवत् है :-

विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये केवल ऐसे विधि व्यवसायी पात्र होंगे जो लोक अभियोजक (शासकीय अधिवक्ता, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता अथवा सहायक शासकीय अधिवक्ता) की दशा में कम से कम सात वर्ष और सिविल पक्ष के विधि अधिकारी (मुख्य स्थायी अधिवक्ता अथवा स्थायी अधिवक्ता) की दशा में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय में रहे हों, परन्तु सिविल पक्ष में नियुक्ति हेतु उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले मामलों में राज्यपाल महोदय उक्त न्यूनतम अवधि को शिथिल कर सकेंगे।

जल निगम द्वारा निर्मित बोरबेल में किसी अप्रिय घटना होने पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की कार्यवाही

53-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद आगरा में दिनांक 9 अक्टूबर, 2008 को जल निगम द्वारा किये गये बोरबेल में दो वर्षीय सोनू नामक बालक लगभग 80 फिट गहरे गड्ढे में गिर

[†] छापा नहीं गया।

[†] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 145-149 पर।)

गया था ? क्या सरकार की यह भी जानकारी में है कि इससे पहले भी राज्य के कई स्थानों पर बोरबेल को खुला छोड़ देने के कारण ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं ? यदि हां तो क्या सरकार कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने व इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

किन्तु दिनांक 09 अक्टूबर, 2008 की उक्त घटना से पूर्व उ0 प्र0 जल निगम द्वारा निर्मित बोरबेल में किसी के गिरने की कोई घटना नहीं हुई है।

जी हां।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर से उक्त घटना हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उसे ब्लैक लिस्टेड करने तथा निर्माण हेतु किये गये गड्ढे/रीबोर सम्बन्धी कार्यों में बोरबेल करने के उपरान्त संयंत्र हटाने से पूर्व गड्ढों को भली-भांति पाटने एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोके जाने हेतु कड़े निर्देश प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम को दिये गये हैं। तद्क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम के द्वारा अपने कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 10-10-08 द्वारा रिंग मशीन/बोरिंग संयंत्र से बोरिंग का कार्य करते समय कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर जन सामान्य को कार्य की सूचना देने एवं बच्चों को उक्त स्थल से दूर रखे जाने, यथासम्भव बोरिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पाइप असेम्बली लोवर कर दिये जाने, बैरीकेटिंग करने एवं जब तक बोरिंग तथा उसके पास गड्ढा पूर्ण रूप से न भर दिया जाय तब तक कार्य स्थल पर एक सेवक की अनिवार्य उपस्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण अधिकारी/वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त सुरक्षा उपायों के अनुपालन की स्थिति का उल्लेख करने तथा भविष्य में ऐसी घटनायें घटित होने पर सम्बन्धित ठेकेदारों को काली सूची में डालते हुए उनके विरुद्ध संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित कानूनी कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस चौकी बेरी में दर्ज मुकदमे की उच्चस्तरीय जांच सम्बन्धी पत्र

54-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सोमवती पत्नी स्व0 श्री भगन्नू लाल नि0मो0 तिलहर जई थाना सदर बाजार, जिला-शाहजहांपुर के शिकायती-पत्र, जिसमें पुलिस चौकी बेरी में दर्ज मु0अ0सं0 107, 116, 151 सी0आर0पी0सी0 की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने विषयक है, प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-08-2008 गृह सचिव, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से प्राप्त आख्यानुसार आवेदिका श्रीमती सोमवती पत्नी स्व0 भगवन्नू लाल नि0मो0 तिलहर, जई थाना सदर बाजार जिला शाहजहांपुर एवं विपक्षी श्रीमती मन्जू देवी आदि के मध्य पैतृक सम्पत्ति को लेकर विवाद के दृष्टिगत दोनों पक्षों के मध्य शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दिनांक 21-7-08 को धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी, जो दिनांक 5-3-09 को नगर मजिस्ट्रेट द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

शाहजहांपुर में चारखम्भा से चन्द्राघर होते हुए गोविन्दगंज मार्ग का निर्माण कार्य

55-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर नगर का मार्ग, चारखम्भा से चन्द्राधर होते हुए गोविन्द गंज रेल फाटक तक कब बना था ? क्या यह सही है कि इस व्यस्ततम व मुख्य रोड पर स्थान-स्थान पर गड्ढे हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को प्राथमिकता पर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

इस मार्ग का निर्माण वर्ष 1998 में कराया गया था।

जी हां।

धन की उपलब्धता के आधार पर उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना हजरतगंज, लखनऊ द्वारा मुकदमा दर्ज न कर प्रार्थना-पत्रों एवं सबूतों को गायब करने विषयक पत्र

56-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 11-2-2009 जो मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 सरकार को सम्बोधित है तथा जो थाना हजरतगंज, लखनऊ द्वारा मुकदमा दर्ज न कर प्रार्थना-पत्रों एवं सबूतों को गायब करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। संदर्भगत पत्र गृह विभाग में प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि तत्कालीन मा0 सांसद के पत्र दिनांक 11-02-09 के साथ संलग्न श्री नन्दलाल जायसवाल, महामंत्री जल विद्युत इकाई, उ0 प्र0 मजदूर संघ के प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में थाना हजरतगंज पर अहस्तक्षेपीय अपराध संख्या-151/09 धारा-323/504/506/427 भा0द0वि0 का अभियोग मायाराम वर्मा, राकेश मग्गू व शरद मग्गू के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद वाराणसी के मुख्य बाजारों में बरसाती पानी निकासी की कार्य योजना

57-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा के अन्तर्गत मुख्य बाजारों में प्रति वर्ष बरसात में पानी भर जाता है जिससे रिहायसी मकानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को काफी क्षति और परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो सरकार ऐसे सभी क्षेत्रों को चिन्हित करने व बरसाती पानी के निकासी की कोई कार्य योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, भारी वर्षा होने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से पानी भर जाता है। जिसकी निकासी पम्प लगाकर की जाती है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 अन्तर्गत कतिपय गांवों में स्वीकृत मार्गों का निर्माण

58-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 (विश्व बैंक पोषित) के अन्तर्गत ग्राम भैरोपुर नरवारी उमापुर रमगढ़ा बेसार, वारीखुर्द, धनेपुर, चिल्लावां एवं फेज-4 से मरियमपुर, बतौली, बरचौली गौहानी, बनवीपुर, भीखमपुर, लौली, पुस्ताखाम, सरायसागर सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग के लेपित सतह पटरियों, पुलियों के निर्माण कार्य की दिनांक 7-5-08 तक स्थिति क्या है ? क्या प्रत्येक मार्ग का स्थलीय सत्यापन कराते हुए निर्माण कार्य मानक के अनुसार कार्य कराये जाने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

उक्त समस्त मार्गों पर लेपन का कार्य पूर्ण है।

फेज-4 के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग मरियमपुर को छोड़कर शेष समस्त मार्गों पर पटरी का कार्य पूर्ण है।

फेज-4 के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग बरचौली को छोड़कर शेष समस्त मार्ग पर पुलियों का कार्य पूर्ण है।

समस्त कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों का नेशनल क्वालिटी मानीटर, स्टेट क्वालिटी मानीटर एवं विभागीय अधिकारियों से स्थलीय सत्यापन किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ में आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत तालाबों का सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार

59-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में क्षेत्र पंचायतों द्वारा विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के ब्लाक नौगढ़ उस्का बाजार, बर्डपुर एवं सोरन में कुल 31 तालाबों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 38.75 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त सभी तालाबों पर कराये गये कार्यों एवं व्यय की गई धनराशि की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ में आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड-नौगढ़ में 04, बर्डपुर में 08, लोटन बाजार में 06 तथा उस्का बाजार में 04 तालाबों कुल 22 तालाबों हेतु रु0 27.50 लाख तालाबों के सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार हेतु व्यय किया गया।

मण्डलायुक्त बस्ती, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सत्यापन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के महंगाई भत्ता विलय कर वेतन दिलाने विषयक-पत्र

60-श्री प्रदीप माथुर-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-7-08 जो डीम्ड विश्वविद्यालय भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों को मूलवेतन 50% मंहगाई वेतन के रूप में शासनादेश के अनुसार दिलाये जाने विषयक है, प्रमुख सचिव, संस्कृति को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुभाष पाण्डेय-

जी हां।

वर्तमान में शासन के 50 प्रतिशत महंगाई वेतन के रूप में देने के आदेश नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डींग गेट, मथुरा का आजाद मार्केट के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र की जांच

61-श्री प्रदीप माथुर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजाद मार्केट व्यवसायी कल्याण समिति, मथुरा डींग गेट मथुरा का आजाद मार्केट के निर्माण में नगर पालिका, मथुरा द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग का शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, मथुरा को दिनांक 02-07-08 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

डींग गेट व्यवसायिक योजना के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की जांच पूर्व में ही डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी अलीगढ़ द्वारा कराई जा चुकी है और संतोषजनक पाई गई है। उक्त स्थिति से उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् मथुरा के पत्र संख्या-789/1(22)-17-1 दिनांक 02-09-2008 द्वारा शिकायतकर्ता श्री भानु प्रताप सिंह दुकान सं0 58 आजाद मार्केट डींग गेट मथुरा को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, थाना ठाकुरगंज अन्तर्गत ग्राम बरावन कला में सोने की चेन की लूट की घटना की उच्चस्तरीय जांच

62-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ, थाना-ठाकुरगंज अन्तर्गत ग्राम बरावन कला में सोने की चेन की लूट की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक सचिव, मुख्य मंत्री ने लोक शिकायत अनुभाग-2 के पत्र सं0 3693 लो0शि0-2 दिनांक 10 नवम्बर, 08 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक जोन, लखनऊ को क्या कोई निर्देश दिया है ? यदि हां, तो प्रकरण की जांच किस अधिकारी से कराई गई ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराकर सदन को अवगत करायेगी ?

सुश्री मायावती-

लोक शिकायत अनुभाग-2 का पत्र संख्या-3693/लोक0शि0-2/08, दिनांक 10-11-2008 को नहीं अपितु दिनांक 11-9-2008 को निर्गत है। इसमें श्री ओम प्रकाश साहू ने विपक्षी द्वारा अपनी मां की ओर से आवेदक के विरुद्ध चेन लूटने की थाने पर फर्जी तहरीर देने, आवेदक के पुत्र को अपहरण की धमकी देने तथा अश्लील गालियां तथा जानमाल की धमकी देने एवं आवेदक पर शराब बेचने का झूठा आरोप लगाने की शिकायत की है। उक्त पत्र को पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था।

प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी चौक, लखनऊ के स्तर से करायी गयी।

जांच से पत्र में उल्लेख किये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। बल्कि यह पाया गया कि दोनों पक्षों के मध्य अपनी-अपनी दुकान के सामने बेंच डाल दिये जाने, चबूतरा बना दिये जाने के बारे में विवाद होने तथा उसको लेकर तनाव होना पाया गया। उसके परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों के दो-दो व्यक्तियों को धारा 151 द0प्र0सं0 में गिरफ्तार कर धारा 107/116 के अन्तर्गत चालान किया गया।

सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं समीक्षा अधिकारियों को मोबाइल सेट व सिम दिये जाने की मांग

63-श्री सुधीर कुमार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं समीक्षा अधिकारियों को माह अगस्त, 2008 में मोबाइल सिम दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश की भांति प्रदेश के अन्य सभी सचिवालयों में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों सहित सहायक समीक्षा अधिकारियों को भी मोबाइल सिम के साथ मोबाइल सेट भी दिये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-2630/बीस-8-वि-2008-टी-26(79)/2008 दिनांक 26-8-2008 उ0 प्र0 सचिवालय में तैनात विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव, अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, निजी सचिव, अपर निजी सचिव एवं इनके समकक्ष अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत संचार निगम लि0 की क्लोज यूजर्स ग्रुप (सी0यू0जी0) मोबाइल कनेक्शन योजना के अन्तर्गत मात्र मोबाइल कनेक्शन सिम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये न कि अन्य सचिवालयों के सम्बन्ध में। अतः उन्हें मोबाइल सेट व सिम देने का प्रश्न नहीं है।

जनपद उन्नाव की सफीपुर विधान सभा के अन्तर्गत इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

64-श्री सुधीर कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की सफीपुर विधान सभा के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में कुल कितने इण्डिया मार्का हैण्डपाइप लगाये जाने की स्वीकृति दी गई ? क्या सरकार सफीपुर में लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अवशेष हैण्डपम्पों को 31 दिसम्बर, 2009 तक लगा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2007-08 में कुल 364 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत समस्त 304 हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित कर दिया गया है।

अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद्, उन्नाव द्वारा बढ़ते यातायात को नियंत्रित करने हेतु योजना

65-श्री सुधीर कुमार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव के शहरी क्षेत्र में बढ़ते यातायात तथा अतिक्रमण के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? क्या सरकार यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए उन्नाव नगर के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जी नहीं।

नगर पालिका परिषद् उन्नाव द्वारा बढ़ते यातायात को नियंत्रित किये जाने हेतु उन्नाव नगर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें हैं तथा पूर्व में ही बाईपास का निर्माण हो चुका है।

उन्नाव नगर क्षेत्र में भारी वाहनों का आवगमन प्रतिबन्धित है। भारी वाहनों को बाईपास से निकाला जाता है। नगर क्षेत्र में नगर पालिका परिषद् उन्नाव तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है। नगर पालिका परिषद्, उन्नाव द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाये जाने का अभियान भी चलाया जाता है।

जघन्य अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

66-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने तथा फर्जी वरासत कराकर भूमि हड़पने के दोषी मुल्जिमानों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने विषयक श्रीमती बनदेवी पत्नी स्व0 दिनेश, निवासी ग्राम बवक्करपुर थाना-कांट जिला-शाहजहांपुर के प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-7-08 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त विवेचना सीबीसीआईडी को सौंप दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम गौटियां में नाली के निर्माण की मांग

67-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावल खेड़ा के ग्राम पंचायत बासक की गौंटिया की सड़क 2 साल पहले बन जाने से आस-पास के खेतों

में पानी भरने लगा है जिससे लाखों रुपये की फसल का नुकसान होता है ? क्या मंत्री जी इस समस्या के समाधान हेतु ग्राम गौटियां में ओरी लाल के मकान से बड़ी पुलिया तक 30 मीटर नाली का निर्माण करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत 30 मीटर नाली का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शाहजहांपुर के ग्राम वासक में आमना मेडिकल सेन्टर से पूर्व की ओर जाने वाले जीर्ण शीर्ण मार्ग की मरम्मत की मांग

68-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के ब्लाक भावल खेड़ा के ग्राम वासक में राम कुमार के आमना मेडिकल सेन्टर से पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग पर 3-3 फिट के गड्ढे हैं तथा इस सेन्टर से उत्तर की ओर जाने वाला मार्ग भी अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम के दोनों मार्गों पर, जो मात्र 170 मीटर व 100 मीटर है, आर0सी0सी0 खड़न्जा, नाली बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

उपरोक्त मार्ग पर गड्ढों में मिट्टी भरवाकर गड्ढों को पटवा दिया गया है तथा आमना मेडिकल सेन्टर से पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग पर दोनों ओर 190 मीटर (190x2=380 मीटर) नाली का निर्माण करा दिया गया है। ग्राम पंचायत के खाते में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उक्त सेन्टर से पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग की ओर खण्ड़जा निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

69-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ? क्या मानक के अनुसार सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कुल 15 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है।

जी नहीं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के पेपर मिलों व चीनी मिलों के दूषित पानी को रोकने हेतु कार्य-योजना

70-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के पेपर मिलों व चीनी मिलों का दूषित पानी जनपद- प्रतापगढ़ की सई, चमरौरा, गोमती नदी में डाले जाने से उक्त नदियों का पानी विषैला हो रहा है जिसके कारण जनपद-प्रतापगढ़ सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर के पशु व नागरिकों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इससे होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत जनपद प्रतापगढ़ में नियुक्त सफाई कर्मचारी

71-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी नगर पंचायत जनपद प्रतापगढ़ में जनसंख्या के आधार पर कितने सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जाने का मानक निर्धारित किया गया है ? क्या मानक के अनुसार वहां सफाई कर्मचारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार नगर पंचायत पट्टी, प्रतापगढ़ की जनसंख्या 8798 है उ0 प्र0 हेल्थ मैनुअल के अनुसार जनसंख्या के सापेक्ष 27 कर्मचारियों का मानक निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रदेश की नागर निकायों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार सफाई कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति करने के निर्देश शासनादेश दिनांक 26-8-2005 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों की गिट्टी आदि की कुटाई हेतु रोलर का प्रयोग

72-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों की गिट्टी आदि की कुटाई हेतु किस मानक का रोलर प्रयोग किया जाता है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों पर मानक के अनुरूप रोलर ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे रोलरों का परीक्षण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी विशिष्टियों के अनुसार सड़कों की गिट्टी आदि की कुटाई के लिये 80-100 के0एन0 (8-10 टन) का रोलर प्रयोग किया जाता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में भारत नैपाल सीमा पर स्थित चौकी/बैरक के निर्माण हेतु कई राजस्व गांवों के भू-अर्जन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जारी की गयी अधिसूचना

73-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिलाधिकारी वित्त/रा0 सिद्धार्थनगर ने अपने पत्रांक 849/आठ वि0भ0अ0अ0/नि0 दि0 09-7-2008 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में भारत नैपाल सीमा पर स्थित चौकी/बैरक के निर्माण हेतु (सीमा सुरक्षा बल के लिये) कई राजस्व गांवों के भू-अर्जन प्रस्तावों में धारा 4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अनु सचिव गृह (गोपन) अनुभाग-3 उ0प्र0 सरकार लखनऊ को सूचित किया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जनपद सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा पर स्थित चौकी/बैरक के निर्माण हेतु सशस्त्र सीमा बल के लिये 8 राजस्व गांवों की कुल 5.385 हेक्टे0 भू-अर्जन प्रस्ताव में धारा-4(1)/17 की अधिसूचना संख्या-131/1/10/2007-सी0एक्स0-3, दिनांक 11-9-2008 को जारी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के लिपिकीय वर्ग में की गयी पदोन्नतियां

74-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी पी0जी0आई0 लखनऊ के गवर्निंग बाडी की बैठक दिनांक 17-2-07 में लिये गये निर्णय के विरुद्ध बिना स्वीकृत पद के सापेक्ष जुलाई, अगस्त, 2008 में लिपिकीय वर्ग की पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक पदों पर पदोन्नति करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के लिपिकीय वर्ग में माह अगस्त, 2008 को पदोन्नतियां की गयी हैं। यह पदोन्नतियां संस्थान की 52वीं शासी निकाय की दिनांक 27-11-2001 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर निर्धारित मापदण्ड एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर की गयी है। अतएव संस्थान के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी सेवकों की मृत्यु होने पर आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किये जाने का प्राविधान

75-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी सेवाओं में कार्यरत पति/पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र/पुत्रियों/आश्रितों की मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति का क्या प्राविधान है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

सरकारी सेवकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के प्राविधान व व्यवस्था "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित)" में किये गये हैं। नियमावली में प्राविधान के अनुसार यदि किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या राज्य सकरार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। सेवायोजन के लिए अर्हता व उसकी प्रक्रिया सम्बन्धी प्राविधान भी नियमावली में किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

76-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

77-श्री लाल जी यादव-

[1ले बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-97 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के मोहल्ला साकेत नगर जयन्तीपुर में पानी की निकासी हेतु नाली एवं सीवर लाइन की व्यवस्था

78-श्री सुधीर कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के मोहल्ला साकेत नगर जयन्तीपुर थाना धमनगंज को क्या मान्यवर, कांशीराम शहरी विकास योजना में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मोहल्ले में मकान नं0 41बी/1 के "आ" तक का मार्ग आर0सी0सी0 बना दिया गया है, परन्तु पानी की निकासी एवं सीवर लाइन न होने के कारण घरों का पानी एवं बरसात के दिनों में जलभराव होने के कारण उक्त मार्ग पर चलना दूभर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर पानी की निकासी हेतु नाली एवं सीवर लाइन की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। तत्समय प्रचलित मा0 कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना में उक्त मोहल्ला चयनित था किन्तु अब उक्त योजना का स्वरूप बदलकर मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना कर दिया गया है।

वर्तमान में उक्त क्षेत्र में सीवर व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु ड्रेनेज की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाती है।

उक्त क्षेत्र में सीवर एवं ड्रेनेज की डीपीआरजेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत जल निगम द्वारा विरचित की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा दोनों योजनाओं के अनुमोदनोपरान्त केन्द्रांश की धनराशि स्वीकृत किये जाने के पश्चात सीवर एवं ड्रेनेज के निर्माण के कार्य पूर्ण होने पर जल निकासी सम्भव हो सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम परक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संचालित योजनाएं

79-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्रामीण जनता का शहरों की ओर पलायन रोकने एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम परक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, उ0 प्र0 संचालित की गयी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अकुशल श्रम के इच्छुक जॉब कार्ड धारक वयस्क व्यक्तियों को उनकी मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोगार योजना में बी0पी0एल0 परिवारों को विभिन्न रोजगार परक विधाओं में प्रशिक्षण देकर एकल लाभार्थी तथा समूह में बैंक से ऋण दिलाकर रोजगार मुहैया कराया जाता है। इसी प्रकार अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में भी रोजगार परक योजनाओं को वित्त पोषित कर रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर-खीरी के थानों व पुलिस चौकियों में तीन वर्षों से अधिक समय से तैनात पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण

80-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के थानों व पुलिस चौकियों में कितने पुलिस कर्मी गत तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऐसे पुलिस कर्मियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। जनपद खीरी के थानों व पुलिस चौकियों में कोई भी पुलिस कर्मी गत तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात नहीं हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह के सेवाकालीन एवं सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान

81-श्री लाल जी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ से दिनांक 30-6-2001 को सेवानिवृत्त हुए ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह का अपने सेवाकालीन एवं सेवानिवृत्तिक देयकों के अनुमन्य ब्याज सहित भुगतान के सम्बन्ध में आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-3-09 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारी के सेवाकालीन व सेवानिवृत्तिक समस्त देयकों का ब्याज सहित भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

सेवाकालीन एवं सेवानिवृत्त देयों के सापेक्ष ब्याज सहित भुगतान का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी की कुल सेवा अवधि 35 वर्ष 10 माह 2 दिन है। इसमें से 32 वर्ष 10 माह 5 दिन की सेवायें सत्यापित है। सत्यापित सेवाओं के आधार पर निम्नलिखित भुगतान इन्हें प्राप्त कराया जा चुका है:-

1-प्राविजनल पेंशन मु0 2,98,080/-(1-7-01 से 31-12-08)

2-प्राविजनल ग्रेच्युटी मु0 99,386/-रु0

3-अर्जित अवकाश मु0 85,868/-रु0

4-जी0आई0एस0 मु0 18,382/-रु0

मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि असत्यापित सेवाओं एवं विनियमितीकरण के लिये सम्बन्धित विकास खण्डों एवं जनपदों को विशेष वाहक के माध्यम से पत्र एवं अनुस्मारक प्रेषित किये गये हैं तथा दूरभाष पर बराबर सम्पर्क किया जा रहा है। विकास खण्ड जंगलकौड़िया के स्थापना लिपिक द्वारा दिनांक 27-7-09 को अवगत कराया गया है कि श्री सिंह का 496 दिन का चिकित्सकीय अर्जित अवकाश स्वीकृत कर मु0 20,036/-रु0 का बिल कोषागार गोरखपुर को प्रेषित किया गया है। असत्यापित अवधि अंतिम सेवा अवधि के दस वर्ष पूर्व की है जो सिंह के उदासीनता के कारण बनी हुई है। वांछित कार्यवाही पूर्ण होते ही समस्त अवशेष देयकों का भुगतान कर दिया जायेगा।

जल निगम षष्टम् शाखा, वाराणसी के अवर अभियन्ता श्री फूलेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोपों की उच्चस्तरीय जांच सम्बन्धी-पत्र

82-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री के संज्ञान में है कि दिनांक 6 मार्च, 2008 को जल निगम षष्टम् शाखा, वाराणसी के एक अवर अभियन्ता के आवास पर प्रशासन द्वारा छापा मारकर 7 ट्रक हैण्डपम्प और तत्संबंधी सामान बरामद किया गया था ? क्या उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा प्रभावी कार्यवाही की मांग की गई थी तथा प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2008 को आपको तथा प्रमुख सचिव, नगर विकास को उच्चस्तरीय जांच कराने, जांच के परिणाम आने तक उक्त कर्मी को गैर जिले में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

दिनांक 06-03-2008 को जिलाधिकारी, वाराणसी के आदेश पर अपर नगर मजिस्ट्रेट-1 के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा श्री फूलेन्द्र सिंह, जूनियर इंजीनियर के आवास के समीप खाली पड़े प्लाट से 07 ट्रक हैण्डपम्प एवं पेयजल योजना के निर्माण व रखरखाव सम्बन्धी सामग्री बरामद की गयी थी।

जी हां।

प्रकरण में उपरोक्त तथ्य प्रकाश में आने पर श्री फूलेन्द्र सिंह, जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए उ0 प्र0 जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0-930 दिनांक 8-4-08 द्वारा इन्हें 22वां मण्डल उ0 प्र0 जल निगम, मिर्जापुर में तैनात किया गया था। तत्पश्चात् श्री फूलेन्द्र सिंह, जूनियर इंजीनियर का स्थानान्तरण जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0-870 दिनांक 28-5-0[illegible] द्वारा, 22वां मण्डल उ0 प्र0 जल निगम, मिर्जापुर में सप्तम् मण्डल, उ0 प्र0 जी निगम, वाराण[illegible] में, उनकी कैंसर की बीमारी प्रकाश में आने तथा उनकी चिकित्सा वाराणसी में सुलभ होने के कारण, उनके अनुरोध पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किया गया है। श्री फूलेन्द्र सिंह, जूनियर इंजीनियर के समस्त क्रियाकलापों की गम्भीरता से नियमानुसार अनुशासनिक जांच कराई गयी है, जिसमें वे दोषी पाये गये हैं, परन्तु श्री फूलेन्द्र सिंह, जूनियर इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों की विवेचना से नये तथ्य प्रकाश में आये हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर जांच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आपराधिक घटनाओं में वृद्धि का कारण

83-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में वर्तमान में अपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी होने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2008 में 30-9-2008 तक अलग-अलग विभिन्न प्रकार के कितने अपराधिक घटनायें घटित हुई हैं और उनमें से कितनों का पर्दाफाश करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है ? क्या वाराणसी में लगातार बढ़ रही अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वाराणसी में वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 (30-9-08 तक) कतिपय अपराधों में हुई वृद्धि का कारण पीड़ित पक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर शत्-प्रतिशत अभियोग पंजीकृत किया जाना है।

वर्ष 2008 में 30-9-08 तक विभिन्न प्रकार की अपराधिक घटनाओं के सापेक्ष पुलिस द्वारा पर्दाफाश की गयी घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	अपराध शीर्षक	घटित घटना	पर्दाफाश
1	डकैती	01	01
2	लूट	17	15
3	हत्या	43	42
4	बलवा	70	70

5	नकबजनी	132	53
6	चोरी	684	192
7	बलात्कार	10	10
8	अपहरण	46	46
9	दहेज हत्या	24	24

उपरोक्त सभी अभियोगों की विवेचना पूरी कर ली गयी है। जिन अभियोगों का पर्दाफाश कर लिया गया है उनमें अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये गये है तथा जिन घटनाओं का पर्दाफाश नहीं हो सका है उनमें अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

वाराणसी में अपराधों पर पूर्णतया नियंत्रण हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है तथा जनपद में प्रभावी गश्त पिकेट, चेकिंग के साथ-साथ फैंटम/चीता/हाइवे मोबाइलों/क्यूआर0टी0 का गठन कर चेकिंग/पेट्रोलिंग करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग कल्याण विभाग में समूह 'ग' की भर्ती में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं ड्राइवर की नियुक्ति में अनियमितता की जांच

84-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग कल्याण विभाग में वर्ष 1997-98 में समूह "ग" की भर्ती में तत्कालीन निदेशक द्वारा लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं ड्राइवर की नियुक्ति में की गई अनियमितता की कोई जांच कराई गई थी ? क्या उक्त प्रकरण में दोषी पाये गये दो अधिकारियों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत पुनः जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पद पर तैनाती दी गई ? यदि हां, तो इसके दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

वर्ष 1997-98 में लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं ड्राइवर की नियुक्ति नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लाल एवं नीली बत्ती के अवैध दुरुपयोग के कारण दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु उपाय

85-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लाल एवं नीली बत्ती के दुरुपयोग के कारण प्रदेश में सड़क दुर्घटनायें रोकने में कठिनाई आ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे वाहनों से होने

वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

लाल एवं नीली बत्ती के अवैध दुरुपयोग के कारण प्रदेश में सड़क दुर्घटनायें रोकने में कठिनाई नहीं आ रही है।

वाहनों पर अनाधिकृत रूप से प्रयोग की जा रही लाल एवं नीली फ्लेशर/बत्ती के विरुद्ध प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान चला कर दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही की गयी है। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ में बेल्हादेवी धाम के विकास के लिये स्वीकृत धनराशि

86-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री प्रदेश में राजस्व बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से पर्यटकों को रात्रि-विश्राम के लिये प्रेरित करने हेतु जनपद प्रतापगढ़ के ऐतिहासिक महत्व के बेल्हादेवी धाम के सम्पूर्ण विकास हेतु कोई कार्य योजना भारत सरकार से अथवा राज्य योजना से स्वीकृत कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

बेल्हादेवी धाम के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा कुल रु0 89.61 लाख धनराशि का व्यय किया जा चुका है तथा रु0 81.19 लाख का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बजट व्यवस्था होने पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

87-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के गांव पंचायत लाखीपुर, मदूरा रानीगंज, सरौली में आवंटित इन्दिरा आवास का सत्यापन

88-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के गांव पंचायत लाखीपुर, मदूरा रानीगंज, सरौली में वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में अपात्रों को इन्दिरा आवास आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त इन्दिरा आवास के लाभार्थियों का सत्यापन करायेंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अपात्रों को आवास आवंटन हेतु प्रस्ताव करने वाले ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं। सभी पांच लाभार्थियों को ही इन्दिरा आवास आवंटित किये गये हैं।

उक्त ग्राम पंचायतों में आवंटित आवासों का सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड-मंगरौरा से कराया गया । सत्यापन में सभी लाभार्थी पात्र पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र, जनपद प्रतापगढ़ में बाबा बेलखर नाथ धाम में जनसंख्या के सापेक्ष हैण्डपम्पों की संख्या

89-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में बाबा बेलखर नाथ धाम में जनसंख्या के सापेक्ष अब तक लगे हैण्डपम्पों की संख्या कितनी है ? क्या लगाये गये हैण्डपम्पों से पर्याप्त जल आपूर्ति हो रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पर्याप्त जलापूर्ति हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2001 की जनसंख्या 97183 के सापेक्ष बाबा बेलखर नाथ धाम में दिनांक 31-05-2009 तक 2798 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कानपुर के मुख्य परियोजना अभियन्ता के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

90-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 कानपुर के मुख्य परियोजना अभियन्ता के विरुद्ध थाना कविनगर, गाजियाबाद में अपराधिक मुकदमा संख्या 32/99, धारा 506 आई0पी0सी0 में पंजीकृत है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 कानपुर के मुख्य परियोजना अभियन्ता के विरुद्ध थाना-कविनगर, गाजियाबाद पर वर्ष 1999 में कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं है। थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 32/99 पर धारा-41/109 सी0आर0पी0सी0 बनाम मनोज कुमार पंजीकृत हैं।

लखनऊ के उदयगंज रोड के मध्य मोड़ पर प्राइमरी पाठशाला के बगल स्थित कूड़ा पड़ाव को हटाने की मांग

91-श्री मदन भैया-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2008 के पहले सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या-147 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत कूड़ा पड़ाव हटाने हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल एवं उसके आस पास घनी आबादी होने की स्थिति में कूड़ा पड़ाव हेतु स्थल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः स्थल चयन पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

नगर निगम, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त श्रीमती बिन्दू द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर सेवायोजित होने की रिपोर्ट

92-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008 के द्वितीय सत्र के पहले सोमवार के अता0 प्रश्न सं0 92 के उत्तर के सन्दर्भ में एस0 पी0 गोण्डा द्वारा श्रीमती बिन्दु द्वारा नगर निगम, लखनऊ में सेवायोजित होने के सन्दर्भ में दिये गये प्रमाण-पत्रों के बारे में दी गई रिपोर्ट को सदन पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रश्नगत प्रकरण पर जिलाधिकारी की आख्या विधिमान्य है। अतः जिलाधिकारी गोण्डा के पत्र संख्या 110/पी0सी0/2007 दिनांक 27-06-07 द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट की प्रति मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0 प्र0 कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

हसनगंज, लखनऊ में अपराध संख्या 445/67 की दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

93-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हसनगंज लखनऊ में अपराध संख्या 445/67 धारा 498 ए/323/506 आई0पी0सी0 व 3/4 डी0पी0ए0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14-09-2007 को दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो इसमें दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी महानगर द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचनोपरान्त नामित अभियुक्त रत्नेश त्रिपाठी के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-251/08 दिनांक 16-09-08 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त गंगा देवी, सरिता शुक्ला, अवधेश त्रिपाठी, पम्मी व प्रदीप त्रिपाठी की नामजदगी विवेचना से गलत पायी गयी।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

94-श्री सुधीर कुमार-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के प्रत्येक थाने में एस0आई0 से लेकर थानाध्यक्ष को अनुमन्य वाहन भत्ता बढ़ाने की मांग

95-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में एस0आई0 से लेकर थानाध्यक्ष को क्या वाहन भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि यह वाहन भत्ता कितने वर्ष से नहीं बढ़ाया गया है ? क्या सरकार उक्त वाहन भत्ता बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश के कार्मिकों को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (1997) संस्तुति के आधार पर शासन संख्या-4/229-10-2000-62600 दिनांक 10-3-2000 के निजी वाहन के राजकीय कार्यों के उपयोग में लाये जाने पर भत्ता अनुमन्य किया गया है उक्त शासनादेश के अनुसार एस0 आई0 से लेकर थानाध्यक्षों को वाहन भत्ता अनुमन्य है।

चूंकि उक्त भत्ता वेतन सरकार की संस्तुतियों के अनुसार अनुमन्य किया गया है। अतः केवल पुलिस विभाग के कर्मियों हेतु पृथक वाहन भत्ता बढ़ाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के सेवानिवृत्त लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-II श्री मोहिउद्दीन अंसारी की पेंशन का पुनर्निर्धारण

96-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के मोहिउद्दीन अंसारी, सेवानिवृत्त लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-II को मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0 प्र0 लखनऊ को दिनांक 31 जनवरी, 1999 को वेतनमान 6500-200-10500 में सेवानिवृत्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या सेवानिवृत्त उक्त अधिकारी को इसी वेतनमान के आधार पर पेंशन का पुनर्निर्धारण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उटता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं में छोटी जियारत बड़ी जियारत के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार हेतु अनुमोदित धनराशि

97-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बदायूं में छोटी जियारत बड़ी जियारत के सौन्दर्यीकण/जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जिला योजना

वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत रु0 10 लाख की योजना अनुमोदित है ? यदि हां, तो क्या मजार का सौन्दर्यीकरण कराया गया ? क्या सरकार विलम्ब के कारणों का पता लगाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जनपद बदायूं की जिला योजना वर्ष 2006-07 में बड़ी जियारत बदायूं में यात्री छादक के निर्माण हेतु रु0 15.00 लाख की धनराशि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित की गयी थी। अनुमोदित धनराशि की सापेक्ष आगणन पर रु0 13.35 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसकी कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम है।

जी नहीं।

जनपद बदायूं में बड़ी जियारत में यात्री छादक हेतु रु0 13.35 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य पर्यटन निगम के पक्ष में स्वीकृत की गयी थी, पर्यटन निगम में तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण स्वीकृत कार्य को करने से मना कर दिया गया तथा स्वीकृत योजना का कार्य अन्य कार्यदायी संस्था को आवंटित करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पर्यटन निगम ने अनुरोध किया था। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम के पक्ष में स्वीकृत योजना की धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्नुसार धनराशि राजकोष में जमा करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर-खीरी के ग्राम मथना में गाजी साहब की मजार का सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार करने हेतु स्वीकृत धनराशि

98-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील विकास खण्ड-लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम मथना में गाजी साहब की मजार का सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में रु0 4.50 लाख की योजना अनुमोदित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मजार का सौन्दर्यीकरण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

जिला योजना वर्ष 2006-07 में मथना में गाजीसाहब की मजार के सौन्दर्यीकरण/विकास हेतु रु0 4.50 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लखनऊ के

पक्ष में स्वीकृत की गयी थी परन्तु पर्यटन निगम में स्टाफ की कमी के कारण स्वीकृत कार्य को करने से मना कर दिया गया तथा स्वीकृत योजना का कार्य अन्य कार्यदायी संस्था को आवंटित करने हेतु प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 पर्यटन निगम ने अनुरोध किया था। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम के पक्ष में स्वीकृत योजना की धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्नुसार धनराशि राजकोष में जमा करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत पी0 सी0 एस0 अधिकारी

99-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में उ0 प्र0 में कितने पी0सी0एस0 अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि पी0सी0एस0 अधिकारियों को वार्षिक प्रविष्टियां न दिये जानें के कारण उनको पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उ0 प्र0 में वर्तमान में कुल 1088 पी0 सी0 एस0 अधिकारी कार्यरत हैं।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियां अंकित करायी जाती है। सम्बन्धित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के उपरान्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में की गई संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल हेतु स्वीकृत हैण्डपम्प

100-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल हेतु स्वीकृत 225-225 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प वर्ष 2008-09 में भी स्वीकृत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पेयजल हेतु 225-225 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के ग्रामीण पेयजल योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में मा0 विधान मण्डल के सदस्यों का कोटा अनुमन्य नहीं है।

पूर्व विधायकों की सुरक्षा हेतु सरकार की नीति

101-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्व विधायकों की सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या कोई नीति बनाई है ? क्या मुख्य मंत्री जी की जानकारी है कि प्रदेश के पूर्व विधायकों से 10 प्रतिशत की धनराशि लेकर एक गनर देने का प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी प्रदेश के पूर्व विधायकों को जनहित में 10 प्रतिशत धनराशि लेकर सुरक्षा हेतु एक-एक गनर प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शासनादेश सं0-1773/छः-पु-2-2001-700(1)/2001 दिनांक 25-04-2001 सपठित शासनादेश सं0-1174/छः-पु-2-2007-700(1)/2001 दिनांक 30-07-2007 शासनादेश सं0-786/छः-पु-2-2008-700(1)/2001 दिनांक 05-05-2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की जाती है।

शासनादेश सं0-786/छः-पु-2-2008-700(1)/2001 दिनांक 05-05-2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जीवनभय का औचित्य पाये जाने पर माननीय पूर्व विधायकगण को उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये गये व्यय भार के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में हैण्डपम्पों को रिबोर किये जाने का लक्ष्य

102-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पेयजल संकट को देखते हुये सभी इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मई, 2009 तक स्थायी रूप से खराब पाये गये समस्त हैण्डपम्पों को वित्तीय वर्ष 2009-10 में रिबोर किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के सौन्दर्यीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि

103-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के सौन्दर्यीकरण हेतु जिला योजना से वर्ष 2003-04 में उपलब्ध कराये गये रु0 9.63 लाख से क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच किसी तकनीकी संस्था से करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं और कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

तहसील पट्टी के हनुमान मंदिर के पर्यटन विकास हेतु जिला योजना वर्ष 2003-04 के अन्तर्गत रु0 9.63 लाख की धनराशि से यात्री छादक, बाउन्ड्रीवाल सी0 सी0 रोड का कार्य कराया गया है।

जी हां।

सी0 सी0 रोड मानकों के अनुरूप निर्मित नहीं पायी गयी।

प्रथम दृष्टया दोषी परिलक्षित हो रहे लोक कर्मियों में दो परियोजना प्रबन्धक/सहायक अभियन्ता एवं एक स्थानिक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत, पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ में विवाह मण्डप का अधूरा कार्य पूर्ण कराने की मांग

104-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत, पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ में विवाह मण्डप का अधूरा कार्य पूर्ण कराने हेतु धन स्वीकृत करेंगे ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पंचायत, पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ में विवाह मण्डप का अधूरा कार्य पूर्ण कराने हेतु धनावंटन का कोई प्रस्ताव नगर विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु जमीन व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराया जाना

105-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु वाराणसी नगर निगम द्वारा सुलभ इण्टरनैशनल संस्था को जमीन व अन्य सुविधायें किन-किन शर्तों पर उपलब्ध करायी गई हैं ? वाराणसी में नगर निगम सीमा के अन्तर्गत कितने सुलभ शौचालय निर्मित हैं और वहां उपभोक्ताओं के लिए क्या कोई दर निर्धारित है ? क्या सुलभ इण्टरनैशनल द्वारा उपभोक्ताओं से वसूली गयी शुल्क का कोई अंश वाराणसी नगर निगम को प्राप्त होता है ? यदि हां, तो किस दर से और वर्ष में कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है ?

श्री नकुल दुबे-

वाराणसी में सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु नगर निगम वाराणसी द्वारा सुलभ इण्टरनैशनल को जमीन व अन्य सुविधायें निम्न शर्तों पर उपलब्ध करायी गयी हैं :--

(1) सुलभ इण्टरनैशनल को (प्रथम किश्त) अग्रिम धनराशि प्राप्ति से 6 माह में निर्धारित स्थान पर शौचालय का निर्माण कराया जायेगा जिसमें शौचालय, मूत्रालय,

स्नानघर, एक गोदाम, स्टोर, आफिस व एक दरबान कमरा का निर्माण एवं रख-रखाव हेतु दिया गया है।

(2) उक्त निर्माण लो0 नि0 वि0 द्वारा प्रमाणित दर अनुसूची के अनुसार नगर निगम स्वीकृत मानचित्र के अनुसार जिसकी एक प्रति नगर निगम में जमा करनी होगी।

(3) स्वीकृत मानचित्र व आगणन के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त कार्य करने पर उक्त एजेन्सी को अतिरिक्त भुगतान लो0 नि0 वि0 को प्रचलित दरों के अनुसार किया जायेगा।

(4) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान उक्त एजेन्सी को किया जायेगा तथा प्रस्तुत व्ययानुमान धनराशि का 15 प्रतिशत सेन्ट्रल चार्ज भी देय होगा।

(5) उक्त कार्य हेतु निर्माण की स्थिति में नगर निगम द्वारा नियमानुसार संरक्षण दिया जायेगा तथा पुराने शौचालय आदि को गिराना व उपयोगी सामग्रियों को नगर निगम के स्टोर में जमा करना होगा।

(6) उपरोक्त निर्माणों के दौरान नगर निगम के नगर अभियन्ता द्वारा समय-समय पर गुणवत्ता आदि की जांच की जायेगी, कमी पाये जाने पर उक्त एजेन्सी को पुनः गुणवत्ता अनुरूप कार्य पूरा करना बाध्यकारी होगा।

(7) उपरोक्त काम्प्लेक्स का निर्माण व अनुरक्षण तथा पानी व प्रकाश आदि की व्यवस्था हेतु उक्त एजेन्सी से 30 वर्षों के लिए इकरारनामा किया जाता है।

(8) निर्मित शौचालय भवन का स्वामित्व नगर निगम का ही रहेगा : मात्र अनुरक्षण एवं सर्विस दिये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को स्थल दिया गया है।

(9) निर्मित शौचालय के उपयोग करने पर सिर्फ पुरुषों से मात्र 1 रुपया की दर से प्रभार लिया जा सकेगा।

(10) उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पर इकरारनामा निरस्त भी किया जा सकता है।

(11) निर्माण कार्य को पूरा होने तथा अन्तिम देयक भुगतान प्रस्तुत करने के 2 महीने के अन्दर नगर निगम द्वारा एजेन्सी को भुगतान कर दिया जायेगा।

(12) उपरोक्त शौचालय के निर्माण की अवधि में किसी भी प्रकार का कानूनी व्यवधान या विवाद की स्थिति पैदा होने पर इकरारनामा में किये गये शर्तों के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी/नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम माना जायेगा जो दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

वाराणसी में कुल 69 सुलभ शौचालय निर्मित हैं।

जी हां।

जी नहीं।

लखनऊ के उदयगंज रोड में सुलभ शौचालय के निकट कूड़ा पड़ाव पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग

106-श्री मदन भैया-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या-123 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के उदयगंज रोड के सुलभ शौचालय के निकट खाली कराये गये कूड़ा पड़ाव पर पुनः गुमटियां रख दी गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त अवैध अतिक्रमण कराने के लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी तथा इसे कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के उदयगंज रोड पर स्थित कूड़ा पड़ाव को हटाने की मांग

107-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की उदयगंज रोड पर स्थित कूड़ा पड़ाव को हटाने विषयक श्री राम किशन सोनकर आदि के प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में अपर नगर आयुक्त, लखनऊ के निर्देश संख्या-644/एस0टी0/ ए0एच0सी-1/08, दिनांक 23-2-2008 का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो निदेशों की अवहेलना के दोषी को क्या दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्नगत कूड़ा पड़ाव हटाने हेतु स्थल का पुनः निरीक्षण कराया गया। कूड़ा पड़ाव के आस-पास एवं उदयगंज रोड के किनारे घनी आबादी होने के कारण मानक के अनुरूप कोई स्थल उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रश्नगत कूड़ा हटाया जाना सम्भव नहीं है।

बलुआघाट, जनपद इलाहाबाद स्थित अत्याधुनिक इस्कॉन मंदिर के बाहर डेरी का अनधिकृत निर्माण हटाने की मांग

108-श्री मदन भैया-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के अता0प्र0सं0-78 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत अतिक्रमण हटाने हेतु उक्त स्थगन आदेश को वैकेट कराने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वाद संख्या-921/2008 त्रिवेणी सिंह बनाम नगर निगम आदि में नगर निगम इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश को वैकेट (रिक्त) कराने हेतु आपत्ति दाखिल की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, आगरा में टेण्डर के दौरान खिलाड़ी मानवेन्द्र सिंह की हत्या

109-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिनांक 04 अप्रैल, 2008 को टेण्डर के दौरान खिलाड़ी मानवेन्द्र सिंह की हत्या स्टेडियम में दिन में ही कर दी गयी थी ? क्या सही है कि आर0एस0ओ0 ने टेण्डर की सूचना पुलिस को नहीं दी थी ? क्या टेण्डर में चरित्र प्रमाण-पत्र की बाध्यता हटा दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध कार्य करने के आरोप में आर0एस0ओ0, आगरा के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 4-4-08 को आगरा एकलव्य स्टेडियम में किसी खिलाड़ी की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि साइकिल/मोटर साइकिल के स्टैण्ड के ठेकेदार मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी 30/153 ए ईदगाह कटघर थाना रकाबगंज, आगरा की साइकिल स्टैण्ड के ठेके के नीलामी के दिन नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व उपस्थित हुए अन्य विपक्षीगण (ठेकेदार) द्वारा मारपीट कर हत्या कर दी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0-165/08 धारा 147/148/149/302 भादवि व अपराध सं0 166/08 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना से अभियुक्त लाला उर्फ इरशाद, गोल्डी तथा बॉबी को गिरफ्तार किया गया और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप-पत्र दि0 24-04-08 को न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त गयासुद्दीन व बाबा की गिरफ्तार हेतु प्रभारी ताजगंज आगरा को निर्देशित किया गया है।

आर0एस0ओ0 द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गयी।

तत्कालीन आर0एस0ओ0 श्री महावीर सिंह द्वारा नीलामी के विज्ञापन में चरित्र सत्यापन का कोई उल्लेख नहीं किया गया। उनके द्वारा नीलाम समिति का भी गठन नहीं कराया गया।

श्री महावीर सिंह तत्कालीन आर0एस0ओ0 के कार्यकलापों की जांच कराये जाने हेतु आख्या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सचिव, खेलकूद विभाग, उ0 प्र0 शासन को दिनांक 26-7-09 को भेजी गयी, जो खेलकूद विभाग में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

विधायक डा0 रफी अहमद उस्मानी द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा दिये जाने की मांग।

110-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु वाई श्रेणी की सुरक्षा दिये जाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सुरक्षा कब तक उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मा0 विधायक द्वारा की गई वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग के बारे में राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा विचार किया गया। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति में मा0 विधायक द्वारा मांगी गयी श्रेणीबद्ध सुरक्षा नहीं प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मा0 विधायक जी को पदेन 01 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया गया है।

जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम महेवागंज में श्री जय महालक्ष्मी भल्ला की प्लाई वुड फैक्ट्री द्वारा फैलाया गया प्रदूषण

111-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम महेवागंज में श्री जय महालक्ष्मी भल्ला जी प्लाई वुड फैक्ट्री द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा जा रहा है जिससे आम जनता का जीवन खतरे में है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त फैक्ट्री को आबादी से दूर स्थानान्तरित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बजाज हि0 लि0 पलिया कलां फैक्ट्री द्वारा प्रदूषित जल प्रवाहित किये जाने से पर्यावरण को खतरा

112-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या पर्यावरण मंत्री को यह जानकारी है कि लखीमपुर खीरी के बजाज हि0लि0 पलिया कलां फैक्ट्री द्वारा तिहारा नाले में प्रदूषित जल प्रवाहित किये जाने से पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के मोहिउद्दीन अंसारी, सेवानिवृत्त लेखा परीक्षा अधिकारी गेड--II को ग्रेच्युटी, नगदीकरण के अन्तर का भुगतान

113-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के मोहिउद्दीन अंसारी सेवानिवृत्त लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-II को मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 लखनऊ के आदेश सं0-सी-292/अ-4/2005, दिनांक 21-3-2005 द्वारा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-I पद पर दिनांक 16-7-98 से वरिष्ठ वेतनमान रु0 6500-200-10500 स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त श्री मोहिउद्दीन अंसारी, सेवानिवृत्त लेखा परीक्षा अधिकारी को वेतन निर्धारण के अन्तर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार

द्वारा वेतन निर्धारण के अन्तर के फलस्वरूप ग्रेच्युटी, नगदीकरण के अन्तर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद्, लखीमपुर में कूड़े के निस्तारण की समुचित व्यवस्था हेतु योजना

114-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी की नगरपालिका परिषद् लखीमपुर में कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कूड़े के निस्तारण की समुचित व्यवस्था हेतु कोई योजना तैयार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पक्का कूड़ा घर बनाने हेतु मानक

115-श्री मदन भैया-

विधान सभा के प्रथम सत्र वर्ष 2008 के अता0प्र0सं0-123 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पक्का कूड़ा घर बनाने हेतु कितने स्थान की आवश्यकता मानकानुसार होती है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के उदयगंज रोड के सुलभ शौचालय के पास पूर्व में स्थित कूड़ा पड़ाव पर कितना स्थान उपलब्ध है ?

श्री नकुल दुबे-

कूड़ा घर बनाने हेतु स्थल पर उपलब्ध भूमि के अनुसार ही मानक निर्धारित किया जाता है। यद्यपि कम से कम 4.00 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए जिससे कूड़ा उठाने वाली मशीन अन्दर जा सके एवं गहराई आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए।

उदयगंज रोड पर सुलभ शौचालय के पास पूर्व में हटाये गये कूड़ा पड़ाव जो 9 मी0 सड़क के मोड़ पर था, पर कूड़ा पड़ाव हेतु कोई स्थान उपलब्ध नहीं है।

आगरा एकलव्य स्टेडियम में श्री मानवेन्द्र सिंह की हत्या

116-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रसिद्ध खिलाड़ी मानवेन्द्र सिंह की हत्या से सम्बन्धित थाना सदर-आगरा में 4 अप्रैल, 2008 को दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या-165/2008 में नामजद मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 4-4-08 को आगरा एकलव्य स्टेडियम में किसी खिलाड़ी की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि साइकिल/मोटर साइकिल के स्टैण्ड के ठेकेदार मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी 30/153 ए, ईदगाह कटघर थाना रकाबगंज, आगरा की साइकिल स्टैण्ड के ठेके के नीलामी के दिन नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व उपस्थित हुए अन्य विपक्षीगण (ठेकेदार) ने मारपीट कर श्री मानवेन्द्र सिंह पूर्व ठेकेदार की हत्या कर दी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0-165/08 धारा 147/148/149/302 भादवि व अपराध सं0 166/08 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम का अभियोग अभियुक्त गयासुद्दीन, नि0 सौदागार, लाइन मार्केट सदर आगरा, बाबा पुत्र अजीजुद्दीन, नि0 उपरोक्त, लाला उर्फ इरशाद पुत्र इद्दी उर्फ इदरीश खां नि0 उपरोक्त बॉबी पुत्र तफीमुउद्दीन नि0 सौदागर लाइन, गोल्डी पुत्र स्व0 सत्येन्द्र सिंह अहलुवालिया, नि0 जनता क्वार्टर बोदला, आगरा व अन्य 40-50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। अभियुक्त लाल उर्फ इरशाद व गोल्डी को दिनांक 4-4-08 तथा अभियुक्त बॉबी को 7-4-08 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दि0 24-04-08 को न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त गयासुद्दीन व बाबा की गिरफ्तारी शेष है। गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी ताजगंज, आगरा को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस हिरासत में मौत के मामले तथा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

117-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मई, 2006 से 30 जून, 2008 तक पुलिस हिरासत में मौत के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ? इस सम्बन्ध में कितने पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गई एवं कितने पुलिस कर्मी निलम्बित किये गये तथा निलम्बित पुलिस कर्मियों की निलम्बन अवधि कितनी-कितनी थी ? ऐसे मामलों में कितने पुलिस कर्मियों को जेल भेजा गया तथा कितनों को बर्खास्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। प्रदेश में मई, 2006 से 30 जून, 2008 तक पुलिस हिरासत में मौत के कुल 13 मामले प्रकाश में आये।

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न[†] है।

थाना सोरांव, जनपद इलाहाबाद में दहेज हत्या की दर्ज प्राथमिकी

118-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-सोरावं जनपद-इलाहाबाद में दहेज हत्या की दर्ज प्राथमिकी संख्या-238/08, दिनांक 29-6-08 के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश के गृह विभाग के शासनादेश संख्या-394 सी0एम0/6-पु0-11-410एम/ 08, दिनांक 21 मई, 2008 के अनुपालन में किस अधिकारी से जांच कराई गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

[†] (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 150-151 पर)

सुश्री मायावती-

दिनांक 29-6-2008 को श्री चेतराम पटेल पुत्र श्री राजनरायन नि0 जम्खूरी, थाना मऊआइमा, इलाहाबाद के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 156(3) न्यायालय के आदेश से थाना हाजा पर मु0अ0सं0-238/08, धारा 498ए/304 बी आई0पी0सी0 व 3/4 डीपी ऐक्ट विरुद्ध नागराज (पति), सूरज प्रसाद पटेल (ससुर), सूरज प्रसाद की पत्नी (सास), अरविन्द कुमार, उदय एवं अरविन्द कुमार की पत्नी निवासीगण नूरपुर, थाना सोरांव, इलाहाबाद पंजीकृत किया गया। शासनादेश संख्या 394/सीएम/6-पु0-11-08-410एम/08, दिनांक 21 मई, 2008 के अनुपालन में मामले की विवेचना श्री अखिलेश नारायण सिंह, क्षेत्राधिकारी सोरांव द्वारा पूर्ण की गयी। मामले में तमामी तफ्तीश विवेचना बयानात गवाहान निरीक्षण घटना स्थल, स्वतंत्र साक्षियों के बयानात से दहेज के लिये हत्या किये जाने के सबूत नहीं पाये गये, बल्कि मृतक शीला व उसके पति नागराज दोनों प्रजनन के योग्य नहीं थे तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक कष्ट से कुंठित होकर मृतका शीला ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे मृत्यु का होना पाया गया। विवेचना से अभियुक्तगणों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया एवं अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी नहीं की गयी। जरिये अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 25-7-2008 को समाप्त किया गया।

बहुउद्देशीय विकलांग संस्थान, वाराणसी में विकलांगों के जीविकोपार्जन हेतु उपलब्ध साधन

119-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न श्रेणी के विकालांगों के पुनर्वासन हेतु वाराणसी में स्थापित बहुउद्देशीय विकलांग संस्थान में विभाग की विभिन्न संस्थाओं के 18 वर्ष पूर्ण कर चुके कितने संवासियों को 31-10-08 तक पुनर्वासित कराया गया तथा इनके जीविकोपार्जन हेतु उक्त संस्थान में क्या-क्या साधन उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

राजकीय बहुउद्देशीय विकलांग संस्थान वाराणसी में विभाग की विभिन्न संस्थाओं के 18 वर्ष पूर्ण कर चुके संवासियों द्वारा अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है।

उक्त संस्थान में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी एवं जीविकोपार्जन करने हेतु सक्षम बनाये जाने की व्यवस्था है। संस्थान जनवरी, 2008 से संचालित है। संस्थान में मानसिक मन्दित हेतु रिसर्च सेन्टर विशेष शिक्षा की सुविधा एवं फिजियोथिरेपिस्ट व डायग्नोस्टिक की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग कल्याण विभाग के उप निदेशक एवं जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी शासनादेश

120-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग कल्याण विभाग में उप निदेशक एवं जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों को अधिकतम 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति प्रदान करने हेतु मुख्य

सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-532/पी0एस0एम0एस0/02 दिनांक 24-6-2002 तथा शासनादेश संख्या-1/1/95 (1)-क-4-2003, दिनांक 26 मई, 2003 निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो क्या जनहित याचिका सं0-30031/2006 में सचिव, विकलांग कल्याण, उ0 प्र0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय को लिखित रूप से अवगत कराया गया था कि लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 से अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सभी जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों को पैतृक विभाग में वापस कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

शासनादेश केवल उप निदेशक एवं जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों के लिये ही नहीं अपितु राज्य के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये है।

जी नहीं।

प्रश्नगत जनहित याचिका संख्या-30031/2006 विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद थाने में बलात्कार की घटना

121-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद थाने के अन्दर दिनांक 10 अक्टूबर, 08 को एक दरोगा द्वारा महिला के साथ बलात्कार किया गया ? यदि हां, तो क्या पुलिस कर्मियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता तथा उनके द्वारा होने वाले अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु सरकार कोई प्रभावी नियंत्रण की कार्य योजना बनायेगी व उसे लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

हे0का0 172 ना0पु0 श्यामपाल सिंह जब वर्ष 2008 में थाना साहिबाबाद गाजियाबाद पर नियुक्त था, तो दिनांक 10-10-2008 को बलात्कार कर संज्ञेय अपराध कारित किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में उक्त मुख्य आरक्षी 172 ना0पु0 श्यामपाल सिंह को दोषी तथा पुलिस विभाग की सेवा के अयोग्य पाते हुए आदेश संख्या-न-925/2008, दिनांक 11-10-2008 द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 8(2) (ख) प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सेवा से पदच्युत किया जा चुका है।

ऐसे अनुशासनहीन व अपराधिक घटना में लिप्त कर्मियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध अपराधिक केस पंजीकृत कर पुलिस सेवा से पदच्युत किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

122-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 (विश्व बैंक पोषित) के अन्तर्गत ग्राम भैरोपुर, नरवारी, उमापुर, रमगढ़ा बेसार धनेपुर, बिल्लायां एवं फेज-4 से मरियमपुर, बसौली बरचौली, गोहानी, बनवीरपुर, भीखमपुर, लीली पुस्ताखास सरायसागर, सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक मार्गों के लेपित सतह, पटरियों, पुलियों का निर्माण कार्य और मरम्मत कार्य कब-कब कराये गये ? क्या प्रत्येक मार्ग का स्थलीय सत्यापन कराते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच एवं कार्य को मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

फेज-3 (विश्व बैंक) की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग वर्ष 2006-07 में ही पूर्ण करा दिये गये हैं। फेज-4 के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों से अकबरपुर कादीपुर चांदा पट्टी मार्ग से जौनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से मरियमपुर सम्पर्क मार्ग को छोड़ कर शेष सभी मार्गों पर लेपन वर्ष 2007-08 में पूर्ण करा दिया गया है। मरियमपुर सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य माह दिसम्बर, 2008 में पूर्ण करा लिया गया है। उपरोक्त सभी मार्गों पर सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा मरम्मत का कार्य लगातार कराया जा रहा है।

पैकेज संख्या यूपी 5721 के अन्तर्गत बरचौली मार्ग पर पुलिया का कार्य अवशेष है। शेष सभी मार्गों पर पुलियों का कार्य पूर्ण है एवं सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा मरम्मत कार्य लगातार कराया जा रहा है।

पैकेज संख्या यूपी 5721 के अन्तर्गत मरियमपुर पर पटरी का कार्य अवशेष है। शेष सभी मार्गों पर पटरियों का कार्य पूर्ण है एवं सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा मरम्मत कार्य लगातार कराया जा रहा है।

समस्त कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों का नेशनल क्वालिटी मॉनीटर, स्टेट क्वालिटी मॉनीटर एवं विभागीय अधिकारियों से स्थलीय सत्यापन किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत पट्टी को मा0 कांशीराम नगर विकास योजना के चयनित करने के आदेश

123-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की नगर पंचायत पट्टी को कांशीराम नगर विकास योजना में चयनित करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मा0 कांशीराम नगर विकास योजना में रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण की धनराशि नागर स्थानीय निकायों को उनके बोर्ड द्वारा पारित ऋण का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 रफी अहमद उस्मानी द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराये जाने की मांग

124-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 22-6-08 को प्रश्नकर्ता तथा उनके परिवार को खत्म किये जाने विषयक एफ0आई0आर0 कोतवाली सदर, लखीमपुर खीरी में दिनांक 23-6-08 को अपराध सं0-378/08 पर दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो क्या अपराधी का पता लगा लिया गया है ? प्रश्नकर्ता के परिवार द्वारा बार-बार सुरक्षा मांगने के बावजूद अतिरिक्त सुरक्षा न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार शासनादेशों के अनुरूप प्रश्नकर्ता को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 23-06-08 को थाना कोतवाली सदर, लखीमपुर में याचिका सं0-378/08 पर मु0अ0सं0-2445/08, धारा 384/504/506 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ राजेश पुत्र विशनू के विरुद्ध धारा-504/506 भ0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिनांक 13-12-08 प्रेषित किया जा चुका है। मा0 सदस्य, विधान सभा का परिवार मो0 थरवरनगंज, लखीमपुर खीरी में निवास करता है, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रभारी चौकी मिश्राना व प्रभारी चौकी जेल गेट को निर्देशित किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 सदस्य व उनके परिवारजनों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य को अतिरिकत सुरक्षा प्रदान किये जाने के बारे में जनपदीय सुरक्षा समिति की आख्या प्राप्त की गयी थी। जनपदीय सुरक्षा समिति ने मा0 सदस्य को कोई विशिष्ट जीवन भय न होने के कारण अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की संस्तुति नहीं की। शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समिति ने जनपदीय सुरक्षा समिति की संस्तुति के दृष्टिगत मा0 सदस्य को अतिरिक्त सुरक्षा नहीं प्रदान करने का निर्णय लिया है। मा0 सदस्य के पास पदेन एक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध है।

लखीमपुर देवकली के मुख्य मार्ग से 1.5 कि0मी0 के सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण की योजना

125-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम मथना में गाजी साहब की मथना मजार, जो लखीमपुर देवकली के मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 कि0मी0 है, के सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण करने की सरकार की कोई

योजना है ? यदि हां, तो कब तक उक्त सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

पर्यटन विभाग द्वारा लखीमपुर देवकली के मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 किमी सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं शहर में जियारतों के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार की योजना

126-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि बदायूं शहर में छोटे सरकार साहब तथा बड़े सरकार साहब व सागर ताल जियारतों पर प्रतिवर्ष लाखों जायरीन आया करते हैं ? यदि हां, तो क्या जियारतों के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड महाविद्यालय के छात्रों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन का कवरेज करने गये मीडिया कर्मियों की पिटाई

127-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 19-7-08 को झांसी में बुन्देलखण्ड महाविद्यालय के छात्रों के शान्ति पूर्ण प्रदर्शन का कवरेज करने गये मीडिया कर्मियों की पिटाई एवं कैमरा छीनने की घटना घटित हुई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। इस सम्बन्ध में वादी श्री लक्ष्मी नरायण शर्मा, हे0टी0वी0 न्यूज, थाना-सदर बाजार झांसी में अभद्र व्यवहार व मार-पीट कर मोबाइल छीन लेने व कैमरा का कुछ अंश क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर दिनांक 19-7-08 को थाना-नवाबाद में मु0अ0सं0-1706/08 धारा-395 भा0दं0वि बनाम श्री ए0 के0 सिन्हा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, नवाबाद पंजीकृत हुआ था।

उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी मोंठ द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से आरोप प्रमाणित न होने पर अन्तिम रिपोर्ट सं0-7/08 दिनांक 06-08-08 को मय खारिजा रिपोर्ट के प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी। विवेचना से आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। अतः दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद हरदोई के थाना सण्डीला के कान्स्टेबिल तथा उप निरीक्षकों की तैनाती

128-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के थाना सण्डीला में कितने कान्सटेबिल तथा उप निरीक्षक पुलिस ऐसे हैं जो एक ही थाना तथा एक ही हल्के (बीट) में दो वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं ? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। जनपद हरदोई के थाना सण्डीला में एक ही हल्के (बीट) में 02 वर्ष से अधिक समय तक का कोई उप निरीक्षक/आरक्षी तैनात नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

थाना क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का दायित्व

129-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा क्या यह निर्देश दिये गये हैं कि जिस थाना क्षेत्र में अतिक्रमण होगा उस थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? क्या यह सही है कि जनपद लखनऊ के थाना कैन्ट के सब्जी मण्डी, छप्पन भोग व सदर पुलिस चौकी के सामने कैण्ट ब्रिज सहित थाना हुसैनगंज, कैसरबाग एवं नाका में भी सड़कों पर अतिक्रमण है ? यदि हां, तो उक्त थाना इन्चार्जों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

जी हां।

अतिक्रमण हटाने का दायित्व लखनऊ नगर निगम/लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं कैन्टोनमेन्ट बोर्ड लखनऊ का है और इस प्रयोजन हेतु उनके द्वारा जब कभी पुलिस बल की मांग की जाती है तो वांछित पुलिस बल उन्हें प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद महामाया नगर के हाथपुर-मथुरा मार्ग से ग्राम असरोई में क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण की मांग

130-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामाया नगर में हाथरस-मथुरा मार्ग से ग्राम असरोई (जनपद अलीगढ़) को तोछीगढ़ रजवाहा की पटरी से होकर जाने वाला सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत, जलालाबाद के सीमा विस्तार सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

131-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या-5006/ रालोद/स0वि0स0/09, दिनांक 11-2-09 जो जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत, जलालाबाद के सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 26-11-2008 के माध्यम से सीमा विस्तार सम्बन्धी जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है। प्रकरण में वांछित कतिपय सूचनायें/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को शासन के पत्र दिनांक 12-6-09 एवं 20-7-2009 द्वारा निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में निजी बस से दुर्घटना

132-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 27 मार्च, 2009 को निजी बस संख्या यू0 पी0 12 एल0-1016, जो यात्रियों को लेकर थानाभवन से जलालाबाद जा रही थी के दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण यात्रियों को गम्भीर चोटें आई थीं ? यदि हां, तो क्या घायलों को आर्थिक मदद प्रदान की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

इस सम्बन्ध में श्री इरफान पुत्र महबूब उर्फ मुद्दा निवासी ग्राम हरड फतेहपुर थाना भवन जनपद मुजफ्फरनगर की तहरीर के आधार पर थाना भवन पर मु0अ0सं0 362/09 धारा 279, 337, 338, 427 भा0दं0वि0 मिनी बस संख्या-यू0पी0-12 एल-1026 के चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना में अभियुक्त चालक पूर्ण पुत्र महाबीर निवासी ग्राम साल्हाखडी थाना बाबरी मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया जिसके द्वारा दिनांक 24-5-09 की मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करके जेल चला गया।

उपरोक्त घटना में 9 व्यक्ति (महिला एवं पुरुष) घायल हुए थे। अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 25-5-09 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

जी नहीं। उप जिलाधिकारी शामली मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा केवल दैवीय आपदा से आच्छादित प्रकरणों में ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्नगत प्रकरण दैवीय आपदा से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

133-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले बुधवार के अता0प्रश्न सं0-174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री विनोद कुमार, निवासी जिवाना गुलियाना, जनपद बागपत के पैर का आपरेशन हेतु अवमुक्त धनराशि

134-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो संलग्नक सहित विनोद कुमार, निवासी-जिवाना गुलियाना, जनपद-बागपत के अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्ति के पैर का आपरेशन कराने हेतु 75,000/- रु0 दिये जाने के सम्बन्ध में था, प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न दि0 20-02-08 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्ति को धनराशि अवमुक्त कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

शासनादेश संख्या-एफ-94/मुमका-4/08, दिनांक 03-12-2008 द्वारा रु0 40,000/-(रु0 चालीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली को भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती मंजू को आर्थिक सहायता दिये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

135-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-1-08 के साथ संलग्न श्रीमती मंजू का प्रार्थना-पत्र, जो उनके पति व बेटे की दिनांक 10-5-06 को हत्या किये जाने व तत्कालीन जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दो लाख रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को सहायता प्रदान कर दी गई है ? यदि नही, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 20-8-2008 द्वारा रु0 1,00,000/-(रु0 एक लाख) की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के स्व0 श्री मनोज कुमार कांस्टेबिल के मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता

136-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-2008 जो मनोज कुमार कांस्टेबिल 1688 की दिनांक 16-10-06 को मेरठ कचहरी में मुठभेड़ के दौरान की गयी हत्या के उपरान्त उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दस लाख रुपये दिये जाने

विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को आर्थिक सहायता दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जनपद मेरठ के स्व0 कान्स0 1688 ना0पु0 मनोज कुमार की आश्रित पत्नी श्रीमती नीलम को रुपया 10,00,000/-(रु0 दस लाख मात्र) की अनुग्रह धनराशि दिनांक 03-09-2008 को प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के अन्तर्गत ग्राम भदेड़ में खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प

137-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के वि0 खण्ड बिजुआ के अन्तर्गत ग्राम भदेड़ में आधा दर्जन इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो उनको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को दिये गये हैण्डपम्प का कोटा

138-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा के मा0 सदस्यों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्रों में 225 हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती थीं ? क्या उक्त योजना वर्ष 2008-2009 में समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो पेयजल के संकट को दूर करने के लिये उक्त व्यवस्था पुनः लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

भारत सरकार के ग्रामीण पेयजल योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में मा0 विधान मण्डल के सदस्यों का कोटा अनुमन्य नहीं है।

ग्राम इन्देमऊ, विकास खण्ड बीघापुर, जनपद उन्नाव की दलित बस्तियों में पेयजल की समस्या

139-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नरेश रावत, सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 18 सितम्बर, 2008 का फैक्स पत्र जिलाधिकारी उन्नाव को जो ग्राम पंचायत

इन्देमऊ, विकास खण्ड बीघापुर, जनपद उन्नाव में दलित बस्ती में पेयजल की समस्या के निदान हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उस पर विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण कराकर आगणन तैयार करा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

ग्राम इन्देमऊ, विकास खण्ड बीघापुर, जनपद उन्नाव के दलित बस्तियों में पूर्व से ही पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है। अतः इन बस्तियों में अतिरिक्त हैण्डपम्प के अधिष्ठापन की आवश्यकता नहीं है।

नगर निगम कानपुर के अन्तर्गत कानपुर रोड एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर एच0 में नाला खुला होने से दुर्घटना

140-श्री लाल जी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत कानपुर रोड एल0 डी0 ए0 कालोनी सेक्टर एच0 में आशियाना चौराहे से पकरी पुल जाने वाली सड़क के किनारे लखनऊ नगर निगम द्वारा नाला ऊपर से खुला छोड़ दिया गया है ? जिससे प्रायः जानवर व बच्चों के गिरने की दुर्घटनायें होती रहती हैं और नाला भरा रहने के कारण मच्छरों का प्रकोप जारी रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले को ढकने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नाले में जानवरों व बच्चों के गिरने की दुर्घटना नहीं होती तथा नाले के कारण वहीं पर मच्छरों का प्रकोप नहीं रहता।

जी नहीं, क्योंकि नाले का सेक्शन छोटा है। नाला ढकने से नाले की सफाई में व्यवधान होगा जिससे क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा बांसी मुख्यालय पर ए0डी0जी0 कार्यालय खोलने की घोषणा

141-श्री लाल जी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1984 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा बांसी मुख्यालय पर ए0 डी0 जी0 कार्यालय खोलने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

अभिलेखों में इस प्रकार की किसी घोषणा का उल्लेख नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील व विकास खण्ड निघासन के अन्तर्गत ग्राम खैरीगढ़ में महमूद गजनी की मजार के सौन्दर्यीकरण, जीर्णोद्धार हेतु अनुमोदित धनराशि

142-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील व विकास खण्ड निघासन के अन्तर्गत ग्राम खैरीगढ़ में महमूद गजनी की मजार के सौन्दर्यीकरण, जीर्णोद्धार हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जिला योजना वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत रु0 4.50 लाख की योजना अनुमोदित की गयी है ? यदि हां, तो क्या किले की मजार का सौन्दर्यीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

जिला योजना वर्ष 2006-07 में खैरीगढ़ निघासन में किले की मजार का पर्यटन विकास/सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 4.50 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ के पक्ष में स्वीकृत की गयी थी, परन्तु पर्यटन निगम में स्टाफ की कमी के कारण स्वीकृत कार्य को करने से मना कर दिया गया तथा स्वीकृत योजना का कार्य अन्य कार्यदायी संस्था को आवंटित करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पर्यटन निगम ने अनुरोध किया था। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम के पक्ष में स्वीकृत योजना की धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्नुसार धनराशि राजकोष में जमा करा दी गयी है।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम रामापुर में खराब पड़े हैण्डपम्प

143-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के ग्राम रामापुर में करीब एक दर्जन इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो इनको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्राम रामापुर में वर्ष 2008-09 में 10 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब थे जिन्हें रिबोर कराकर क्रियाशील कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के ग्राम जगसड़ में खराब हैण्डपम्प ठीक कराने की मांग

144-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के ग्राम जगसड़ में पुत्तूलाल मुखिया के दरवाजे पर स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प खराब है ? यदि हां, तो उसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत हैण्डपम्प जी0आई0 पाइप के खराब होने के कारण बन्द था जिसे बदलवा कर चालू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

145-श्री लाल जी यादव-

[1ले बुधवार के अता0प्रश्न सं0-173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम पंचायत लखनी मुबारकपुर में इन्दिरा आवास बनाये जाने का लक्ष्य

146-श्री सुखलाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ की घोसी तहसील के अम्बेडकर ग्राम लखनी में कितने इन्दिरा आवास अब तक बनाये गये हैं एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 में कितने आवास बनाये जाने का लक्ष्य है ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम पंचायत लखनी मुबारकपुर ने अब तक 71 इन्दिरा आवास स्वीकृत करते हुए 68 इन्दिरा आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा 03 आवास प्रगति पर हैं। वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अन्तर्गत ग्राम लखनी मुबारकपुर में आवास बनाये जाने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा नगर हेतु विधायक/सांसद निधि से हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु अंशदान

147-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर में वर्ष 2002 से अब तक विधायक निधि/सांसद निधि से कितने हैण्डपम्पों का अंशदान जमा हुआ है ? क्या विधायक निधि/सांसद निधि से जमा किये गये अंशदानों के हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

बांदा नगर हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु कोई अंशदान वर्ष 2002 से वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुआ है।

नगरीय क्षेत्र में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु शत-प्रतिशत धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अम्बेडकर ग्रामों के चयन/विकास का मानक

148-श्री सुखलाल-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अम्बेडकर ग्रामों के चयन/विकास का मानक क्या है ? क्या चयनित ग्राम में आने वाले मजरों का भी विकास किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रतन लाल अहिरवार)-

प्रदेश में लागू डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना के अन्तर्गत अब ग्रामसभा को विकास की इकाई के रूप में चयनित किया जाता हैं इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सभाओं का चयन विधान सभा क्षेत्रवार वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। प्रथम चरण वर्ष 2007-08 में प्रम्येक विधान सभा क्षेत्र में आबादी क्रम के हिसाब से 03 बड़ी जनसंख्या वाली ग्राम सभायें तथा 02 छोटी जनसंख्या वाली ग्राम सभाएं अर्थात् कुल 05 ग्राम सभायें एवं अगले द्वितीय, तृतीय चतुर्थ एवं पंचम चरण में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आबादी क्रम के हिसाब से 05 बड़ी ग्राम सभायें तथा 05 छोटी ग्राम सभायें कुल 10 ग्राम सभायें चयनित किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं को स्वच्छ शौचालय, सम्पर्क मार्ग, सी0 सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन, ग्रामीण विद्युतीकरण स्वच्छ पेयजल आवासहीन को आवास/आवासीय पट्टा तथा भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा विकास कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाता है।

चालू वित्तीय वर्ष्ा 2009-10 में वर्ष 1995-96 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से चयनित 2000 ग्रामों के समस्त मजरों को शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2009 द्वारा विकास कार्यक्रमों से संतृप्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 1997-98 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 195 ग्रामों को भी शासनादेश दिनांक 22 जुलाई, 2009 द्वारा सी0 सी0 रोड व के0 सी0 ड्रेन कार्यक्रम से संतृप्त करने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ की तहसील घोसी के लखनी ग्राम का डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयन

149-श्री सुखलाल

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के तहसील घोसी के लखनी ग्राम का अम्बेडकर ग्राम के रूप में कब चयन किया गया था एवं इसके विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2008-09 में कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त ग्राम को पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जनपद मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी की ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर को वर्ष 2008-09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयन किया गया था।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यक्रमों को सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से पूर्ण कराया जाता है।

उक्त कार्यक्रमों हेतु इस विभाग द्वारा पृथक से कोई धन आवंटित नहीं किया जाता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के घोसी ब्लाक में ग्राम लखनी के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण कार्य

150-श्री सुखलाल-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के घोसी ब्लाक में ग्राम लखनी के किन-किन मार्गों का निर्माण किया गया है क्या उक्त ग्राम की मुख्य अनुसूचित जाति बस्ती से मऊ बलिया सरहद तक जाने वाले मार्ग एवं मलेरी कोट माइनर की सर्विस रोड को मुबारक पुर नहर सड़क क्रासिंग से टेल तक पक्का किये जाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभा में आने वाले सभी राजस्व ग्रामों तथा उन राजस्व ग्रामों की सबसे बड़ी आबादी वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के मजरे को ही सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्राविधान है। तद्नुसार जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के ग्राम लखनी मुबारकपुर राजस्व ग्राम की मुख्य बस्ती एवं उक्त ग्राम की सबसे बड़ी आबादी वाली अनुसूचित जाति की बस्ती को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया है।

उक्त ग्राम को सम्पर्क मार्ग कार्यक्रम से संतृप्त किया जा चुका है, इसलिये मऊ, बलिया सरहद तक जाने वाले मार्ग एवं मलेरी कोट माइनर के सर्विस रोड को मुबारकपुर नहर सड़क क्रसिंग से टेल तक पक्का किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ की घोसी तहसील के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा लखनी में शौचालयों का निर्माण

151-श्री सुखलाल-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के घोसी तहसील अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम लखनी की मुख्य अनुसूचित जाति बस्ती, बनहीं अनुसूचित जाति बस्ती, मुसहर बस्ती एवं राजभरों की बस्तियों में कितने कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जनपद मऊ के घोसी तहसील के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा लखनी की मुख्य अनुसूचित जाति बस्ती में 92, बनही अनुसूचित जाति बस्ती में 19, मुसहर बस्ती में 68 एवं राजभर बस्ती में 11 शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी की ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर के सभी राजस्व ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की व्यवस्था

152-श्री सुखलाल-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अम्बेडकर ग्राम लखनी के मुख्य गांव एवं उसके मजरों को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 से ग्रामों के स्थान पर ग्राम सभाओं का चयन किया जाता है। जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी की ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर वर्ष 2008-09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा के रूप में चयनित है।

इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं के सभी राजस्व ग्रामों एवं उनके सबसे बड़ी आबादी वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वाले मजरे को ही सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की व्यवस्था निर्धारति हैं तद्नुसार उक्त ग्राम सभा के राजस्व ग्राम लखनी मुबारकपुर एवं उसके सबसे बड़े आबादी वाले जनुसूचित जाति बाहुल्य मजरे हरिजन बस्ती को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के थाना जसपुरा तथा चिल्ला में लूट, हत्या, दहेज, अपहरण तथा चोरी की घटनायें

153-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2007-08 से अब तक थाना जसपुरा चिल्ला को0 नगर जिला बांदा में लूट, हत्या, दहेज हत्या, अपहरण, चोरी, हत्या का प्रयास तथा अन्य जघन्य अपराधों की कितनी घटनायें हुई ? उनमें से अब तक कितनी घटनाओं पर कार्यवाही करना शेष है तथा विवेचनाधिकारी द्वारा समय से जांच न पूरी करने के क्या कारण है ?

सुश्री मायावती-

पुलिस अधीक्षक, बांदा की आख्यानुसार वर्ष 2007-08 से अब तक थाना कोतवाली नगर, जसपुरा तथा चिल्ला में लूट, हत्या, दहेज हत्या, अपहरण, चोरी, हत्या का प्रयास तथा अन्य जघन्य अपराधों के कुल पंजीकृत घटनाओं की स्थिति का विवरण निम्नवत् है :-

थाना		लूट	हत्या	दहेज हत्या	अपहरण	चोरी	हत्या का प्रयास	अन्य जघन्य अपराध	योग
कोतवाली नगर	पंजीकृत	10	17	11	30	135	12	8	223
	निस्तारित	9	16	11	27	131	12	8	214
	शेष	1	1	0	3	4	0	0	09

जसपुरा	पंजीकृत	2	4	4	3	9	1	2	25
	निस्तारित	2	4	4	1	7	1	2	21
	शेष	0	0	0	2	2	0	0	04
चिल्ला	पंजीकृत	0	3	5	4	10	3	4	29
	निस्तारित	0	2	5	4	9	3	4	27
	शेष	0	1	0	0	1	0	0	02
कुल योग	पंजीकृत	12	24	20	37	154	16	14	277
	निस्तारित	11	22	20	32	147	16	14	262
	शेष	01	02	00	05	07	00	00	15

लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु समस्त विवेचकों को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

श्री बाबू लाल पुत्र छोटा रैदास निवासी ग्राम गड़रिया, जिला बांदा द्वारा पुलिस अधीक्षक बांदा को विवेचना स्थानान्तरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिया गया आवेदन-पत्र

154-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबूलाल पुत्र छोटा रैदास निवासी ग्राम गड़रिया, थाना जसपुरा, जिला बांदा द्वारा दिनांक 5-11-08 को पुलिस अधीक्षक बांदा को मु0अ0सं0 172/08 धारा 376/302 भा0द0वि0 की विवेचना बदलकर थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा मुल्जिम ओम नरायन पुत्र पप्पू को गिरफ्तार करने हेतु प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र सहित दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां, मुकदमा वादी श्री बाबू लाल पुत्र छोटा रैदास निवासी गड़रिया जसपुरा बांदा द्वारा दिनांक 5-11-08 को अपना आवेदन-पत्र, मय शपथ-पत्र के साथ, विवेचना स्थानान्तरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिया गया था। वादी द्वारा दिये गये शपथ-पत्र एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त अभियोग की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष, जसपुरा से बदलकर एस0 आई0 एस0 प्रभारी को स्थानान्तरित की गयी थी। विवेचना से घटना का होना न पाये जाने पर अभियोग में अंतिम रिपोर्ट सं0-11/08, दिनांक 30-11-08 को मय जुर्म खारिज रिपोर्ट के न्यायालय प्रेषित की गयी। उपर्युक्त से स्पष्ट है।

श्री बाबू लाल निवासी ग्राम बड़रिया की सूचना पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना

155-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना-जसपुरा में मु0अ0सं0 172/2008 धारा 376/302 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा बाबू लाल रैदास, नि0 ग्राम गड़रिया द्वारा पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां, दिनांक 2-11-08 को वादी श्री बाबू लाल पुत्र छोटा निवासी गड़रिया की तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-172/08 धारा-376/302 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना से घटना का होना नहीं पाया गया। अभियोग में अंतिम रिपोर्ट सं0-11 दिनांक 30-11-08 को मय जुर्म खारिजा रिपोर्ट के न्यायालय प्रेषित की गयी है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

लखनऊ स्थित जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि

156-श्री सुखलाल

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित जानकीपुरम् कालोनी के से0-एच के फेज-1, 2, 3 व 4 में वर्ष 2003-04 से अब तक सड़क निर्माण एवं नाली मरम्मत हेतु आवंटित धन एवं कृत कार्य का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि फेज-1 में वर्ष 2003-04 के पश्चात् कोई भी विकास कार्य नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बकुल दुबे-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जानकीपुरम् योजना का सेक्टर एच वर्ष 2003-04 में विकास प्राधिकरण के पास था एवं वर्तमान में नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जानकीपुरम् कालोनी, लखनऊ के सेक्टर एच के सौन्दर्यीकरण हेतु आवंटित धनराशि

157-श्री सुखलाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई जानकीपुरम् कालोनी के से0-एच के फेज 1 में भवन संख्या 1/270 के सामने स्थित "एकता पार्क" के सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2003-04 से अब तक वर्षवार कितना-कितना धन विकास एवं वृक्षारोपण के मद में खर्च किये गये हैं ? क्या सरकार प्रश्नगत पार्क को गुलाब वाटिका के रूप में विकसित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जानकीपुरम् योजना का सेक्टर एच प्रश्नगत वार्ड नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ की तहसील घोसी की ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर का डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयन

158-श्री सुखलाल-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के घोसी तहसील के ग्राम लखनी एवं उनके समस्त मजरों का अम्बेडकर ग्राम के रूप में विकास हेतु

वित्तीय वर्ष 2008-09 में चयन किया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि विकास के मद में अब तक कितना-कितना धन किन- किन विकास कार्यों में खर्च किया गया है ? क्या विकास कार्यों का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम सभाओं को ही चयनित किये जाने का प्राविधान है। तद्नुसार जनपद मऊ की तहसील घोसी की ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर को वर्ष 2008-09 में चयन किया गया था।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यों को सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय बजट से पूर्ण कराया जाता है। उक्त विकास कार्यों को पूर्ण कराने हेतु इस विभाग द्वारा पृथक से कोई धन आवंटित नहीं किया जाता है।

उक्त ग्राम सभा को उक्त योजना के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग, स्वच्छ शौचालय, सी0 सी0 रोड, के0 सी0 ड्रेन, विद्युतीकरण एवं आवासहीन को आवास से संतृप्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा धुलाई भत्तों की दरों के पुनरीक्षण की मांग

159-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकार द्वारा वर्दी धुलाई भत्ते का भुगतान पुराने दर पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य भत्तों में हुई बढ़ोत्तरी की भांति धुलाई भत्ते में भी बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त, राज्य सरकार द्वारा भी वेतन समिति का गठन किया गया है। धुलाई भत्तों की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई है यदि इस सम्बन्ध में वेतन समिति की कोई संस्तुति प्राप्त होती है, तो उस पर तत्समय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रन्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ, उ0 प्र0 के पदाधिकारियों का कार्यकाल

160-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ, उ0प्र0 के पदाधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिये नियत है तथा वर्तमान समय में संघ का चुनाव कब से नहीं हुआ है ? क्या कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी संघ के पदाधिकारियों को शासन द्वारा मान्यता दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार संघ के पदाधिकारियों

की मान्यता समाप्त करके संघ का चुनाव शीघ्र कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ, उ0प्र0 के पदाधिकारियों का कार्यकाल 02 वर्ष के लिये नियत है। वर्तमान समय में संघ का चुनाव माह सितम्बर, 2007 के पश्चात् से नहीं हुआ है।

जी नहीं।

महासचिव, प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ, उ0प्र0 को दिनांक 29 जुलाई, 2009 को इस आशय की नोटिस भेजी गयी है कि संघ के पदाधिकारियों का चुनाव 01 माह के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद शहर के बर्फखाने वाली गली में नालियों की सफाई

161-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर के बर्फखाने वाली गली में नालियों की सफाई न होने के कारण प्रदूषण एवं गन्दगी की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नालियों की सफाई नियमित रूप से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

बर्फखाने वाली गली में नालियों की सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से कराकर कूड़े का निस्तारण किया जाता है। इस गली में प्रदूषण एवं गन्दगी की कोई समस्या नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना-थानाभवन में पंजीकृत मुकदमों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

162-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना-थानाभवन में 15 दिसम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक किन-किन धाराओं में कुल कितने मुकदमें पंजीकृत कराये गये तथा उनका विवरण क्या है ? क्या सभी पंजीकृत मुकदमों में विवेचना पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त कितने मुकदमों में चार्जशीट अथवा अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

सुश्री मायावती-

15 दिसम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2009 के मध्य कुल 19 मुकदमें विभिन्न धाराओं में पंजीकृत किये गये हैं। जिनमें से 14 मुकदमों में चार्जशीट एवं 5 मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। कोई प्ररण विवेचना हेतु लम्बित नहीं है समस्त 19 पंजीकृत मुकदमों का विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 152-153 पर)

जनपद मुजफ्फरनगर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा विकास योजनाओं के अन्तर्गत भवनों व मार्गों के निर्माण पर व्यय

163-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा वर्ष 2007 से 31 मार्च, 2009 तक किन-किन विकास योजनाओं में भवनों व मार्गों का निर्माण किया गया तथा इनके निर्माण में कुल व्यय हुई धनराशि कितनी थी ? जनपद में विकास के कार्य मानकों के अनुरूप हो, इसके लिये जनपद प्रशासन स्तर पर कौन से अधिकारी का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है ? क्या वर्ष 2007 से 31 मार्च, 2009 तक किसी भवन का निर्माण मानकों के अनुरूप न होने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

सिंचाई (यांत्रिक), राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयवीर सिंह)-

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा वर्ष 2007-08 में सांसद निधि, विधायक निधि, कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला युवा कल्याण एवं पर्यटन विभाग की योजनान्तर्गत कुल 34 भवन तथा कुल 26.50 कि0मी0 मार्ग निर्माण के कार्य कराये गये, जिनमें कुल धनराशि रु0 490.30 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2008-09 में सांसद निधि व विधायक निधि योजनाओं में कुल 15 भवन तथा 22.80 किमी0 मार्ग निर्माण के कार्य कराये गये, जिनमें कुल धनराशि रु0 448.00 लाख का व्यय किया गया है।

जनपद में मानकों के अनुरूप विकास कार्यों के लिये जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व निश्चित हैं

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन एवं थाना भवन में अधिष्ठापित हैण्डपम्प

164-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0खण्ड ऊन व थानाभवन में 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक कुल कितने हैण्ड पम्पों की स्थापना की गई ? जनपद में हैण्डपम्पों के लगाने का स्थल का चयन किन मानकों के आधार पर व किस अधिकारी द्वारा किया गया ? हैण्डपम्पों की स्थापना के उपरान्त किस अधिकारी द्वारा इनका निरीक्षण कर सत्यापन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत अवधि में विकास खण्ड-ऊन एवं थानाभवन में क्रमशः 107 व 85 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये।

वर्ष 2008-09 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-1690/38-5-08-67 सम/07, दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रसारित दिशा-निर्देशों में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित मानक

एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थल चयन जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया गया है।

अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का निरीक्षण एवं सत्यापन जल निगम के सहायक अभियन्ताओं द्वारा किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कांधला में पंजीकृत अपराध

165-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर थाना कांधला में मु0अ0सं0 164/09 अन्तर्गत धारा 452, 323, 504 भा0द0सं0 में पंजीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो क्या इसके उपरान्त पीड़िता, कुमारी फिरदौस के मेडिकल परीक्षण में बलात्कार होने की पुष्टि हुई ? यदि हां, तो क्या अब तक सभी नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सईद पुत्र बीरू निवासी ग्राम हूरजमपुर थाना कांधला मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 22-3-09 को मु0अ0सं0-164/09 धारा 452,323,504 भादंवि 1-मुन्ना पुत्र पलटू 2-छोटा पुत्र महक सिंह 3-संजय पुत्र शीशपाल 4-लल्लू पुत्र रामवीर निवासी ग्राम हूरजमपुर थाना कंधला के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

विवेचना तथा लड़की फिरदोश के मेडिकल के आधार पर धारा-376,506 भादंवि को बढ़ोत्तरी दिनांक 5-4-09 को की गयी।

संजय पुत्र हरीशपाल, लल्लू पुत्र रामवीर को दिनांक 23-3-09 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा मुन्ना पुत्र पलटू, छोटा पुत्र महक सिंह द्वारा दिनांक 15-6-09 को न्यायालय में आत्मसर्म्पण किया गया। उपरोक्त अभियोग की विवेचना के उपरान्त घटना में नामित चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-82 दिनांक 18-5-09 को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन व ऊन में अधिष्ठापित हैण्डपम्प

166-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन व ऊन में कुल कितने हैण्डपम्प स्थापित हैं ? क्या सभी हैण्डपम्प पानी देने की स्थिति में हैं ? यदि नहीं, तो कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सभी खराब हैण्डपम्पों की जांच कराकर उनको रि-बोर कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड-थाना भवन में 2190 एवं ऊन में 2469 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

जी नहीं।

विकास खण्ड थाना भवन में 75 नग एवं ऊन में 61 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित ऊन शुगर काम्पलेक्स चीनी मिल के सुदृढ़ीकरण सयंत्रों की जांच

167-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के वि0क्षे0 ऊन में स्थित ऊन शुगर काम्पलेक्स चीनी मिल द्वारा दूषित पानी का प्रवाह किया जा रहा है जिस कारण तालाबों एवं हैण्डपम्पों में दूषित पानी का प्रवेश हो जाने से क्षेत्रवासियों में गम्भीर बीमारी का संक्रमण फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल के शुद्धीकरण संयंत्रों की जांच कराते हुए क्षेत्र के तालाबों एवं हैण्डपम्पों के पानी के नमूने प्रयोगशाला में भेज कर जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर की गयी नियुक्ति पर रोक

168-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0प्र0 शासन सचिवालय में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर की गई नियुक्ति पर रोक लगी है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या सेवा स्थानान्तरण पर रोक के सम्बन्ध में कोई याचिका मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त याचिका में कोई अंतरिम/अन्तिम आदेश न्यायालय ने दिये हैं ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है ? यदि नहीं, तो मंत्रीगण की संस्तुति पर उनके निजी स्टाफ में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर सचिवालय प्रशासन द्वारा तैनाती नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मंत्रिगण के निजी स्टाफ हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग में पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध हैं।

जनपद इलाहाबाद की सोरांव तहसील के ग्राम मातादीन का पूरा नगर निगम अथवा क्षेत्र पंचायत में अवस्थित होने के सम्बन्ध में जांच

169-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की सोरांव तहसील के ग्राम मातादीन का पूरा नगर निगम अथवा क्षेत्र पंचायत दोनों में अभी अवस्थित नहीं है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर इसका निर्धारण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद इलाहाबाद की सोरांव तहसील का ग्राम मातादीन का पूरा नगर निगम, इलाहाबाद की सीमा में अभी अवस्थित नहीं है। जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा सोरांव तहसील के ग्राम मातादीन का पूरा नगर निगम अथवा नगर पंचायत में अवस्थित होने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त व जिला पंचायत राज अधिकारी, इलाहाबाद को संयुक्त रूप से स्थल की जांच करने हेतु दिनांक 27-7-2009 को आदेशित कर दिया गया है।

जांच आख्या उपलब्ध होते ही तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा व जालौन में जल निगम द्वारा विकास खण्डवार अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का विवरण

170-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा व जालौन में जल निगम द्वारा वर्ष 2005-06 से 30 अप्रैल, 09 तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ब्लाकवार कितने नये हैण्ड पम्प लगाये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कार्यदायी संस्था द्वारा हैण्ड पम्पों के रि-बोर व नये निर्माण में भारी हेराफेरी की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-बांदा व जालौन में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 2005-2006 से 30 अप्रैल, 2009 तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विकास खण्डवार अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत् है :-

जनपद-बांदा में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का विवरण-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3
1	जसपुरा	529
2	तिन्दवारी	934
3	बड़ोखर खुर्द	671
4	बिसण्डा	482
5	कमासिन	820

1	2	3
6	बबेरू	672
7	महुआ	81
8	नरैनी	1207
	योग :-	5396

जनपद-जालौन में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का विवरण-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	हैण्डपम्पों की संख्या
1	कुठौद	711
2	माधौगढ़	617
3	जालौन	740
4	नदीगांव	789
5	कोंच	830
6	महेवा	717
7	कदौरा	533
8	डकोर	961
9	रामपुरा	324
	योग :-	6222

इस तरह की हेराफेरी का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के कतिपय थानों में पंजीकृत मुकदमें

171-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर, बबेरू, नरैनी, पैलानी अतर्रा तिन्दवारी, चिल्ला कमासिन एवं मर्का में अगस्त, 2007 में 30 अप्रैल, 09 तक कुल कितने मुकदमें पंजीकृत हुए हैं, कितने मुकदमों का निस्तारण किया गया है तथा कितने लम्बित हैं ? क्या सरकार द्वारा शासन स्तर पर समीक्षा कर लम्बित सभी विवेचनाओं का निस्तारण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पुलिस अधीक्षक, बांदा की आख्यानुसार अगस्त, 2007 से 30 अप्रैल, 2009 तक कुल पंजीकृत, निस्तारित एवं लम्बित मुकदमों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	थाना	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या	निस्तारित अभियोगों की संख्या	निस्तारण हेतु शेष अभियोगों की संख्या
1	2	3	4	5
1	कोतवाली नगर	1239	1214	25
2	बबेरू	670	670	0

1	2	3	4	5
3	नरैनी	326	323	3
4	पैलानी	304	302	2
5	अतर्रा	367	366	1
6	तिन्दवारी	335	333	2
7	चिल्ला	201	201	0
8	कमासिन	269	269	0
9	मरका	116	115	1
10	योग उपरोक्त	3827	3793	34

लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु समस्त विवेचकों को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

उ0 प्र0 सचिवालय खानपान निगम के अन्तर्गत जलपान गृहों में प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक एवं विक्रेता का बैकलाग कोटा

172-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय खानपान निगम के अन्तर्गत जल पान गृहों में प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक एवं विक्रेता का बैकलाग कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो उक्त कोटा कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्वाचन उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री (श्री रामहेत भारती)-

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की जलपान शाखा को शासनादेश संख्या-1584/29-10-2006-नि0-104/2001, दिनांक 19-12-2006 द्वारा अलग कर स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित किया गया है। खानपान निगम की सेवानियमावली बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवानियमावली का प्रख्यापन हो जाने पर निगम में बैकलाग के पदों का आंकलन कर यथास्थिति बैकलाग कोटे की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

173-श्री प्रदीप माथुर-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के ग्रामों को नगर निगम, नगर क्षेत्र अथवा क्षेत्र पंचायत की सीमाओं में अवस्थित किये जाने की नीति

174-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो ग्राम, नगर निगम, नगर क्षेत्र अथवा क्षेत्र पंचायत की सीमाओं में कहीं भी अवस्थित नहीं हैं, उनका किसी क्षेत्र में निर्धारण हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा नगरपालिका अधिनियम, 1916 में ऐसी कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल को प्रदूषणमुक्त रखने हेतु कृत कार्यवाही

175-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर स्थित गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित रामगढ़ताल में गोरखपुर महानगर का सीवरेज तथा मलमूत्र बिना शुद्ध किये गिराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। रामगढ़ ताल में गोरखपुर के 6 नालों का पानी सीधे जा रहा है।

रामगढ़ताल को प्रदूषणमुक्त रखने एवं उसके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तृत प्राक्कलन रु0 147.69 करोड़ विरचित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को धनावंटन हेतु प्रेषित कर दिया गया है। वर्तमान में यह योजना भारत सरकार की स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर एच में सीवर के अनिर्मित चैम्बर पूर्ण कराये जाने की मांग

176-श्री सुखलाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के से0 एच में सीवर के बड़े चैम्बर्स खुले/अनिर्मित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार चैम्बर्स का ढक्कन लगाकर निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर एच में 18 चैम्बर खुले एवं अनिर्मित हैं। 15 दिन के अन्दर मरम्मत कराकर ढक्कन लगाकर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कृत कार्यवाही

177-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर स्थित गो0वि0प्रा0 की सम्पत्ति रामगढ़ताल पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ताल के प्रदूषण के सन्दर्भ में किसी अध्ययन दल का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? ताल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। रामगढ़ताल में गोरखपुर के 6 नालों का पानी सीधे जा रहा है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव पारित कर उत्तर प्रदेश जल निगम को रामगढ़ताल के प्रदूषण के स्तर का अध्ययन करने एवं रामगढ़ताल को प्रदूषण मुक्त करने हेतु राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत डीपीआर बनाने के लिये अनुरोध किया गया है।

रामगढ़ताल के प्रदूषण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जल निगम के अभियंताओं एवं कोल्हापुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के प्रोफेसरों को ताल के प्रदूषण के स्तर का अध्ययन करने और प्रदूषण नियंत्रण कार्यों का डीपीआर बनाने हेतु एक सामूहिक अध्ययन दल बनाया गया है।

रामगढ़ ताल को प्रदूषण मुक्त करने के लिये गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विस्तृत प्राक्कलन विरचित कराने एवं योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के प्रश्चात् उसके संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व वहन करेन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

प्रदेश में सूखे से सम्बन्धित नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में सूखे की इतनी गम्भीर स्थिति है और सूखे की इसी गम्भीर समस्या पर हमने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हमारी भी सूचना है।

(कई सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें, माननीय तिवारी जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय कोकब हमीद खां जी, मेरे निवेदन को कृपया स्वीकार कर लें। आपकी सूचनाओं को मैंने गम्भीरता से लिया हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मद प्रस्तुत कर दें इसके तुरन्त बाद आपको भी सुना जायेगा।

*नेता विरोधी दल (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, बहुत गम्भीर समस्या है। पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा है। कहीं भी बुआई नहीं हो पायी है।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट माननीय नेता विरोधी दल जी। माननीय वित्त मंत्री जी मद प्रस्तुत कर दें। उसके बाद आपको सुन लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांट दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

वित्तीय वर्ष 1990-1991 से वर्ष 2004-2005 तक के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 1990-1991 से वर्ष 2004-2005 तक के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांट दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 जुलाई, 2009 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 31 जुलाई, 2009 से 13 अगस्त, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 31 जुलाई, 2009 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय, प्रश्नकाल नहीं होगा तथा नियम-51, 56, 300, 301 तथा 311 की सूचनाएं नहीं ली जायं।

2-दिनांक 31 जुलाई 2009 के स्थान पर दिनांक 07 अगस्त, 2009 को असरकारी दिवस हो।

3-दिनांक 03 अगस्त, 2009 को विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जायं।

4-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत अभिसूचित एवं सदन में लम्बित जिन सूचनाओं से सम्बन्धित माननीय सदस्यगण अब विधान सभा के सदस्य नहीं रह गये हैं, उन सूचनाओं को व्यपगत मानते हुए उन पर अब कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जाय तथा जिन सूचनाओं में ऐसे माननीय सदस्यगण सह-हस्ताक्षरकर्ता हों, उन सूचनाओं में से उनके नाम हटा दिये जायं।

5-दिनांक 31 जुलाई, 2009 से दिनांक 13 अगस्त, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्वत् रखा जाय :-

जुलाई, 2009

31 शुक्रवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

अगस्त, 2009

01 शनिवार 02 रविवार	बैठक **नहीं** होगी।
03 सोमवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। 2-**12.20 बजे अपराह्न** (1) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण। (2) वित्तीय वर्ष 1990-1991 से वर्ष 2004-2005 के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों के लिये मांगों का प्रस्तुतीकरण। 3-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो। 4-विधायी कार्य।
04 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 2-वित्तीय वर्ष 1990-1991 से वर्ष 2004-2005 के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उन पर विचार एवं उनका पारण। 3-विधायी कार्य।
05 बुधवार	बैठक नहीं होगी। (रक्षाबंधन का अवकाश)
06 गुरुवार	विधायी कार्य।
07 शुक्रवार	असरकारी दिवस।
08 शनिवार 09 रविवार	बैठक नहीं होगी।
10 सोमवार 11 मंगलवार 12 बुधवार 13 गुरुवार	विधायी कार्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 3 अगस्त, 2009 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा की दिनाक 3 अगस्त, 2009 की कार्य-सूची की मद संख्या-3 पर कार्य-सूचीबद्ध "निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना" दिनांक 4 अगस्त, 2009 को ली जाय।

(2) श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री बृजेश सौरभ एवं श्री राम सागर अकेला, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा सम्बन्धी मद आज दिनांक 3 अगस्त, 2009 को ली जाय:-

"यह सदन उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर समस्याओं तथा विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश में गठित बुन्देलखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के होते हुए केन्द्र सरकार द्वारा पृथक से बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण बनाये जाने तथा उसका नियंत्रण सीधे केन्द्र सरकार के अधीन रखे जाने के कृत्य से राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकारों पर हुए अतिक्रमण से असहमत है।"

श्री अब्दुल कलाम-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, 06 अगस्त को आप सदन की बैठक बुला रहे हैं और उस दिन हम लोगों का यहां उपस्थित हो पाना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर लें फिर आप अपनी बात कह लेना।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

दिनांक 6 अगस्त, 2009 को शब्बे बरात के दिन सदन की बैठक होने विषयक प्रकरण पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को जानकारी

श्री अध्यक्ष-

माननीय विधायक जी, 06 तारीख वाली बात जो आपकी है, इसको हम लोग कार्य-मंत्रणा समिति में ले जायेंगे, अब तो कार्य-मंत्रणा अनुमोदित हो गई अब आप संज्ञान में जो बात लाये हैं इस पर हम फिर एक दिन कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात को ले लेंगे।

प्रदेश में भयंकर सूखे से सम्बन्धित नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित सूचना

श्री अध्यक्ष-

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अब आप अपनी बात कहें।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले हमारे दल के नेता श्री अम्बिका चौधरी, उसके बाद सभी दलों के नेता अपनी बात कह लें फिर हम अपनी बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जैसा आप चाहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने वर्तमान सन्दर्भ में आज की तिथि में जो इस प्रदेश की सबसे गम्भीर समस्या है, सूखे से पूरा का पूरा प्रदेश प्रभावित है, उस पर श्रीमन् नियम-311 के अन्तर्गत जो सूचना मैंने प्रस्तुत की है, उस पर कृपा पूर्वक मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है।

मान्यवर, सूखा और बाढ़ उत्तर प्रदेश के लिए नई समस्या नहीं है, लेकिन इस वर्ष सूखे की जो स्थिति है श्रीमन्, यह अभूतपूर्व सूखा है और आंकड़े बतायेंगे कि कितने वर्षों के बाद कितने दिनों के बाद इस तरह के सूखे का सामना पूरे प्रदेश को करना पड़ा है। जहां औसत वर्षा 220 मि0ली0 मी जानी चाहिए थी, 01 जुलाई तक श्रीमन् वहां पूरा जुलाई का महीना बीत गया और आज 03 अगस्त को श्रीमन् जब इस माननीय सदन में हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं तब तक इस प्रदेश की स्थिति यह है कि प्रदेश के आधे जनपदों में सामान्य के मुकाबले औसत वर्षा 25 फीसदी भी नहीं हो पाई। मान्यवर, कहीं-कहीं तो यह प्रतिशत 03 से लेकर के 12 प्रतिशत है और इसके बाद अगर आधे प्रदेश में यह 25 फीसदी का आंकड़ा पार हो गया है श्रीमन्, तो अधिकतम वर्षा किसी जनपद में हुई है तो औसत के मुकाबले 40 फीसदी हुई है, औसत बारिश उत्तर प्रदेश के किसी भी एक जनपद में नहीं हुई है और इतना अभूतपूर्व सूखा है श्रीमन् इसकी जो सबसे पहली परिणति होनी थी, जो इसका सबसे पहला प्रभाव होना था श्रीमन् वह यह हुआ कि बारिश न होने की वजह से खेतों की बुवाई नहीं हो सकी जो बीज डाले गये थे धान, बेढ़ लगाई गई थी वह अपनी जगह पर सूख गई और श्रीमन् धान के आच्छादन का जो क्षेत्र था वह अपनी जगह पर पूरा कैसे होता, आधा कैसे रहता, एक तिहाई से ज्यादा धान की फसल मान्यवर लगाई जाने की स्थिति में नहीं थी। मान्यवर, और जितनी धान की बेढ़न लगायी गयी थी, वह भी अधिकांश सूख गयी है। यह राजनीति का विषय नहीं है। अधिकांश मा0 नेताओं ने प्रदेश में व्याप्त स्थिति को देखा है। सरकार के आंकड़े गवाह हैं और कृषि निदेशक ने स्वयं स्वीकार किया है कि अधिकांश जिलों में सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने के कारण फसल खराब हो गई है। मान्यवर, जो आंकड़े दिये गये हैं उससे हम सहमत नहीं है क्योंकि स्थिति बहुत खराब गई है। 42 फीसदी क्षेत्रफल में रोपाई हो पाई है, खरीफ का कुल मिलाकर आच्छादन नहीं हुआ, करीब 30 फीसदी हुआ है, लेकिन जो 30 फीसदी हुआ है, उसमें भी 70-75 प्रतिशत फसल सूख गयी है।

मान्यवर, आज अधिकांश जनपदों में जलस्तर नीचे चला गया है और पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, यह प्रदेश गंगा-जमुनी का प्रदेश है। नदियों में आज कम पानी है

क्योंकि जो छोटी-छोटी नदियां हैं वह सूख गई हैं। मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का मामला है। आपके जनपद से निकलकर पूरब में हमारे जनपद में नदी आती है, लेकिन वह भी इतनी सूख गई है कि नाव की आवश्यकता नहीं है और न ही पुल की आवश्यकता है। नहरों में पानी नहीं है। नौ हजार से ज्यादा टेल है और टेल पर पानी पहुंचना कठिन हो गया है। मान्यवर, नौ हजार टेल जो है उसमें किसी भी टेल पर उत्तर प्रदेश में किसी नहर का पानी नहीं पहुंचा है।

मान्यवर, सरकारी नलकूपों की क्या स्थिति उससे सब अवगत हैं, 40 फीसदी नलकूप खराब हैं और उसको लेकर जनपदों में झगड़ा हो रहा है। बिजली के इंजीनियर को कहते हैं तो वह बताते हैं कि यांत्रिक दोष है फिर मैकेनिकल में कहते हैं। मान्यवर, मैकेनिकल वाले कहते हैं कि बिजली आती नहीं है इसलिए दोष है। मान्यवर, नहर के इंजीनियर से बात करें तो वह दूसरा दोष बताते हैं। मान्यवर, हमारे यहां दोहरी सहायक परियोजना है उसको चलाने की बात है, लेकिन बिजली मंत्री सदन में मौजूद हैं उनकी तरफ से बड़े-बड़े दावे किये जाते हैं, लेकिन जो स्थिति है आज देहात में चार घंटे औसत बिजली आती है। जबकि कहा जाता है कि आदेश दे दिये गये हैं कि देहातों में 10 घंटे बिजली दे दी जाएगी लेकिन स्थिति क्या है सबको पता है ? आपका कुल उत्पादन 3 हजार मेगावाट के आसपास है और केन्द्रीय पूल से आपको 3 हजार मेगावाट के आसपास बिजली मिल जाती है और जो आपकी डिमान्ड है वह 9 हजार मेगावाट की है। तो आपकी शार्टेज 3 हजार मेगावाट की है। आप किसी आदेश से तो बिजली की पूर्ण आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। सरकार के स्वयं के आंकड़े गवाह हैं कि यहां पर तीन हजार मेगावाट की शार्टेज है। मान्यवर, सरकार की ओर से कहा जाता है कि जो सूखा प्रभावित गांव हैं वहां पर प्राथमिकता के आधार पर नहर चलाने के लिये बिजली दी जायेगी। वह बिजली दी जाये तभी कुछ खेती की बात हो सकती है। मान्यवर, सरकार ने कह दिया कि सूखा प्रभावित जनपदों में 10 घंटे बिजली देंगे। मान्यवर, आज तो पूरा प्रदेश ही सूखा प्रभावित हो गया है, लेकिन आप यह भी कहते हैं कि हमारे पास अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के लिये है नहीं। अगर आपको आंकड़े देने ही थे तो आप किन्हीं 5 जनपदों की बात कह देते कि यहां पर 10 घंटे बिजली देंगे, तो बात समझ में आती। जब आपके पास बिजली नहीं है तो आप 10 घंटे बिजली कहां से दे देंगे ?

मान्यवर, यहां पर माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुये हैं। मान्यवर, सबको पता है कि प्रदेश में खाद के लिये लाठी चलती है और लोगों के प्राण चले जाते हैं। आप सभी कह देंगे कि हम सरप्लस की स्थिति में हैं। मान्यवर, इन्होंने फिर से किट बांटने का आदेश दिया उसमें क्या देंगे मूंग, उरद और राई या और कोई अन्य चीज ? मिनी किट की बात आपने कही है और 14 करोड़, 17 करोड़ का आंकड़ा दे दिया। मान्यवर, आप आंकड़ा देकर बात कहते हैं और हम लोग उसे सुनते हैं। मान्यवर, प्रदेश में आपके आंकड़े बड़े रोचक वर्णन के साथ सुने जाते हैं कि वाह कृषि मंत्री जी के क्या आंकड़े हैं ?

श्रीमन्, आंकड़े में क्या है? आंकड़ा आपने दे दिया। लेकिन, आप यह बतायें आप भी किसान के घर से आते हैं, मैं आपसे पूछूंगा नहीं मैं आपको अपनी पीड़ा बताना चाहता हूं और पूरे प्रदेश के किसान की यह पीड़ा है। इस अगस्त महीने में जो आपने निर्णय लिया अगस्त के

अन्त तक यह किट बंटते बंटते आयेगी तो किसान क्या करेगा उसका। किसान के नाम पर बांटे जाने वाली किट के नाम पर अलावा खेल होगा उसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं होगी, यह मैं कहना चाहता हूं। इसलिये इसका ध्यान रखा जाय। और ध्यान रखने का क्या सवाल है सरकार योजनायें बनाती है और बड़े बड़े लोग इसके लिये रखे जाते हैं, और योजनायें किस बात के लिये बनती है मौसम के पूर्वानुमान के लिये दीर्घकालीन और अल्पकालीन सूचना देने के लिये पूरा का पूरा तंत्र है और इसके लिये वैज्ञानिक बनाये गये हैं तो इस तंत्र का क्या इस्तेमाल सरकार कर रही है कि इस सूखे की स्थिति का आंकलन सरकार करके और इस सूखे के आने के पहले, इतनी बदतर स्थिति हो जाने के पहले कोई भी प्रबन्ध नहीं, जून में कोई भी प्रबन्ध नहीं, जुलाई में कोई प्रबन्ध नहीं और अगस्त में लम्बी लम्बी घोषणायें इससे इस प्रदेश में सूखे का कैसे काम चलेगा। और मान्यवर, सूखा यह नहीं है सूखा तो अकाल में परिणित होने जा रहा है पूरा की पूरा एक बात और मान्यवर, मैं स्वयं किसान के घर से आता हूं और स्वयं आप इस पीड़ा को समझ सकते है। बाढ़ आती है और बाढ़ में तबाही हो जाती है लेकिन बाढ़ का एक दूसरा असर होता है बाढ़ में किसी तरह से अगर गुजर हो गया तो बाढ़ के बाद दूसरी फसल अच्छी होती है लेकिन सूखा एक फसल लेकर नहीं जाता है सूखा यह फसल लेकर जाता है और सूखे के बाद कल को बारिश भी हो तो सूखा दूसरी फसल लेकर भी जाता है। सूखे का असर श्रीमन्, पूरे के पूरे वर्ष रहता है यह खरीफ की फसल गयी यहां पर माननीय मंत्रीगण और दूसरे बहुत विद्वान सदस्यगण बैठे हैं यह इसको संवेदनशीलता के साथ स्वीकार करें या न करें लेकिन श्रीमन, सूखे का प्रभाव यह होगा कि रबी की फसल भी हमारी पूरी तरह से तबाह होगी, पेयजल का संकट गम्भीर। एक प्रस्ताव कोई माननीय सदस्य कर नहीं सकते कि पेयजल से फलां जगह तबाही मची हुई है और इस कारण यह किया जाय। राहत का मैं जिक्र करना चाहूं दैवी आपदा मानकर जो करना चाहिये आपने तो मान्यवर, तमाशा कर दिया।

झारखण्ड जैसा राज्य, बिहार जैसा राज्य अपनी कार्य योजना बनाकर केन्द्र को प्रस्तुत कर सकता है। 24 जुलाई तक केन्द्रीय कृषि मंत्री हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में कहते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव नहीं मिला। श्रीमन्, 24 जुलाई, मैं उल्लेख करना चाहता हूं हो सकता है कि 25 जुलाई के सबेरे 6 बजकर 39 मिनट 23 सेकेन्ड या कुछ इस तरह का आंकड़ा वांकड़ा आयेगा शायद कभी गया हो लेकिन मान्यवर कृषि मंत्री जब इस सवाल का उत्तर देते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई कार्य योजना तक इसके लिये सब्मिट नहीं है। यह इस सदन के सम्मुख मैं कहना चाहता हूं और यह सरकार कामयाब सरकार, बहादुर सरकार का यह कारनामा है केन्द्रीय सरकार से यह राहत मांगने को तैयार नहीं है लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार आपस में बयानबाजी की नूराकुश्ती लड़ रही है चाहे वह बुन्देलखण्ड का सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सूखे का सवाल हो और उत्तर प्रदेश की तबाही और किसानों के मरने और तबाह होने से इनका कोई सरोकार नहीं है यह मैं उल्लेख करके कहना चाहता हूं। केन्द्र सरकार को पता था कि यह स्थिति है उसकी अपनी एजेन्सी है इन्होंने औपचारिकता में नहीं मांगा उन्होंने औपचारिकता में नहीं भेजा, इन्होंने औपचारिकता में

नहीं मांगा उन्होंने एक एथारिटी बनाने की बात कर दी। अब बुन्देलखण्ड की क्या स्थिति है 4 साल तक बुन्देलखण्ड सूखा रहा 4 साल के बाद एक साल बारिश हुई फिर बुन्देलखण्ड उसी पुराने पचड़े में फंस गया। पूर्वान्चल की क्या हालत है ? पूर्वान्चल की हालत से आप स्वयं भिज्ञ हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने पहले 20 फिर 27 फिर 11 किश्तों में जो आप घोषणा कर रहे हैं और अब तक 58 जनपदों को आपने सूखाग्रस्त घोषित किया है। अब 20 जनपदों में कौन से जनपद आते हैं पहले उनको भी देख लीजिये स्वयं ही स्थिति स्पष्ट है। सरकार की अपनी स्वीकृति के हिसाब से पूर्वान्चल में सबसे ज्यादा सूखे का प्रभाव है और पूर्वान्चल इससे तबाह है। पूर्वान्चल तबाह, बुन्देलखण्ड तबाह और राजनीति सरकार की जारी। गोरखपुर मंडल में सभी जनपद होंगे, कुशीनगर को छोड़ दिया जायेगा क्यों, इसका कारण मान्यवर, आप जानते हैं। बाकी जनपद मध्यांचल के पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास के लिये जायेंगे इटावा उससे छोड़ा जायेगा क्यों मान्यवर, कारण आप जानते हैं। इसलिये सूखे के मामले में, दैवी आपदा के मामले में, किसी के मर जाने के मामले में भी राजनीति होगी यह सरकार की दृष्टि है। अब किसी तरह खिसकते-खिसकते 58 जिले आये हैं पता नहीं इस सूबे में कितने जिले हो गये हैं। कई बार तो प्रदेश में लोगों को ठीक सूचना नहीं होती मैं बहुत पढ़ा-लिखा सदस्य नहीं हूं, मुझे ठीक जानकारी नहीं है कि ठीक-ठीक कितने जिले इस प्रदेश में हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि जितने जनपद, जितनी तहसील, जितना रकबा इस उत्तर प्रदेश का पूरा का पूरा सूखे की मार से बदहाल और तबाह है और यह सूखा अकाल में परिणित हो गया है और अब इतनी गम्भीर स्थिति में सरकार कुछ करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभी तक मान्यवर, कहीं पर कोई चीज नहीं गयी। हां, ग्राम्य विकास मंत्रालय ने जरूर एक कमाल किया और कहा कि बड़ा भारी इंतजाम कर दिया है नरेगा में काम कराये जायेंगे, हमने आदेश दे दिया है। अरे मना कर देते तो नरेगा में काम बंद हो जाता क्या। केन्द्र सरकार की योजना, केन्द्र सरकार का पैसा, वह भी पहले से जारी, उस पर भी यह बयान। काम कराया जायेगा तो क्या सूखे की स्थिति समाप्त हो जायेगी। मान्यवर, इस गाल बजाने से, इस थोथे दावे से और इस तरीके से अपनी आंख मूंद लेने से काम चलने वाला नहीं है। यदि कबूतर आंख मूंद लेगा तो बिल्ली चली जाने वाली नहीं है। इस सूखे की जिस तरह से सरकार ने अनदेखी की है वह प्रदेश को बिल्कुल निगल जायेगा ओर इतनी बदतर स्थिति में मान्यवर, सरकार जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिये फर्जी आंकड़ों का सहारा अखबारों में ले रही है मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को शायद अब कुछ होश आये और वह अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार करके, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करके और सचमुच अगर कोई कार्य योजना वह बना चुकी होती, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, अगर अब बनायेगी, इसका ही संकल्प ले ले तो उचित होगा। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे गम्भीर कोई प्रश्न हो नहीं सकता। मान्यवर, मवेशी मर रहे हैं, हरा चारा बिल्कुल नहीं है, खेत इतने सफेद हो गये हैं वहां मवेशी जा नहीं सकते। लोगों के घरों में रखा चारा खाकर इस प्रदेश का मवेशी जिन्दा नहीं है, हम सब इस बात को जानते हैं और इसलिये श्रीमन् जहां मवेशियों की मृत्यु हो रही है जहां पेयजल के बिना मरने की स्थिति है, लोगों के घरों में अन्न नहीं है, बिजली का इंतजाम नहीं है सिंचाई की

कोई व्यवस्था नहीं है और राहत का कोई जिक्र नहीं है इस स्थिति में श्रीमन् इससे गम्भीर कोई विषय नहीं हो सकता इसलिये मान्यवर, मैं अपनी नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बल देते हुये आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सदन के सभी कार्य निलम्बित कर दें और नियमावली के सभी नियमों को शिथिल कर दें और इससे महत्वपूर्ण कोई बात नहीं है इसलिये श्रीमन् इस पर सदन में चर्चा कराये जाने की कृपा करें, धन्यवाद।

*श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, जिन जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, उन जनपदों के सम्मानित विधायक यहां उपस्थित हैं, आप सबसे सलाह ले लें, सबसे पूछ लिया जाय कि वहां क्या स्थिति है। हमारे हमीरपुर जनपद को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। आप पता करवा लें कि वहां सूखा है कि नहीं। इसी के साथ आप हम लोगों को भी बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब आपकी सब बात बोल दिये हैं। अभी सब दलीय नेताओं को बोलना है।

*श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नोटिस है।

श्री अध्यक्ष-

दलीय नेताओं को सुनने के बाद नोटिस पर निर्णय होगा माननीय मंत्री जी बता देंगे कि ग्राह्य है कि नहीं। इसके बाद यदि चर्चा स्वीकार होगी तो आप लोग कहियेगा। अभी तो ग्राह्यता पर ही चल रहा है।

श्री अवधेश प्रसाद-

बस एक मिनट बोलेंगे।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सूखे का विषय इतना महत्वपूर्ण पूरे प्रदेश के लिये है और इसलिये महत्वपूर्ण है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर सूखा न रहा होता तो 58 जनपद सूखाग्रस्त घोषित न किये गये होते। सबकी जानकारी में है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भयावह स्थिति है सूखे की। दो विषय इसमें है जैसा अभी माननीय सदस्य की आवाज आई। कई जनपद अभी सूखाग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं। वहां भी सूखे की स्थिति है। उन जनपदों को भी तुरन्त सूखाग्रस्त घोषित किया जाय। दूसरी बात, आपने कुछ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित तो कर दिया, वहां पर आपने घोषणा के अतिरिक्त और भी कुछ काम किया क्या ? लोगों को कुछ सुविधा पहुंचायी क्या ? मैं एक जगह जानकारी कर रहा था और जानकारी में मुझे कुछ नहीं मिला। सूखे की विधिवत घोषणा या उसका कार्यक्रम मुझे नहीं मिला लेकिन यहां के मुख्य सचिव ने प्रेस की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि जहां-जहां सूखाग्रस्त घोषित किया गया है हमने कुछ लोगों के लिए मुफ्त रसोई चला दी है। मैं घूमता रहा कि मुफ्त रसोई कहां मिलेगी ? किसी को, सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष के मा0 सदस्य को मिल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी हो तो मैं उनका अहसानमंद रहूंगा, वह बता देंगें तो मैं भी जा करके देख लूंगा। इस प्रदेश के मुख्य सचिव की जुबान से इतनी हल्की बात निकले कि मुफ्त रसोई चलवा दी है गांव में, जहां सूखाग्रस्त है और वंचित लोगों को फ्री खाना दिया जा रहा है, इससे ज्यादा मजाक और क्या हो सकता है ? दूसरे, आपने पशुओं के चारे के लिए कुछ नहीं कहा है, आदमियों के लिए तो आपने कह दिया कि मुफ्त रसोई चलवा दी है जबकि सच्चाई यह नहीं है। आदमी तो भूखा मरेगा ही समस्या पशुओं की भी है। चारा खत्म है, बारिश हुई नहीं। चारा कोई बोया नहीं गया और जो फसल या चारा बोई भी गयी वह बारिश के अभाव में सूख गयी। जो चारा रह भी गया है या जो चरी वगैरह है वह बारिश न होने की वजह से विषैली हो जाती है। बारिश नहीं होगी तो चारा भी नहीं होगा। किसी जनपद में आपने चारे की व्यवस्था करायी, कहीं से खरीदा गया या आपने इसके लिए बजट में प्राविधान किया और क्या आप अनुपूरक में इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं ? आप अनुपूरक ला रहे हैं और चारे की गम्भीर समस्या है तो आपको यह करना चाहिए कि हम पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। एक स्थिति आपके सामने है। वह स्थिति यह है कि जिन लोगों को धान की रोपाई करनी थी पानी के अभाव में रोपाई नहीं कर पाये। जिन लोगों को खरीफ की दूसरी फसलें बोनी थीं वह बो नहीं पाये। मान्यवर, अधिकांश संख्या सीमान्त और लघु सीमान्त कृषकों की है। सीमान्त और लघु सीमान्त कृषकों की खेती के अलावा और कोई साधन नहीं है। सरकार ने क्या कोई योजना बनायी है इन सीमान्त और लघु कृषकों का पेट भरने के लिए। खाली आपने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया तो इस घोषणा का कोई अर्थ नहीं है और यह निरर्थक घोषणा है। आप बताइये जिनके पास खेती के अलावा और कुछ नहीं है और उनका सारा परिवार खेती पर निर्भर करता है तो वे कहां से भोजन करेंगे, क्या उनके लिए आपने कोई व्यवस्था की है ? तो यह जानकारी सदन को हो जानी चाहिए कि हमने यह व्यवस्था की है। दूसरी बात किसान अपनी खेत की मेड़ पर जाता है और फसल को सूखा देखता है तो आप सीधे सच्चे मन से अहसास करें कि उनके मन पर क्या गुजरती है। सारे जीवन की कमाई लगा दी, पानी के अभाव में फसल सूख गयी, आपने कोई व्यवस्था नहीं की, आपने क्या किया ? आपने यह किया कि 31 मार्च तक राजस्व वसूली स्थगित कर दी। 31 मार्च तक कौन सी फसल आयेगी उस किसान के पास में जिस फसल को पैदा करके उसकी आमदनी होगी। आपकी वसूली वह कहां से दे पायेगा, 31 मार्च तो खरीद का समय रहेगा, फसल आ नहीं पायेगी क्योंकि है ही नहीं ? मार्च के महीने से पहले-पहले रबी की बुवाई होगी। मान्यवर, एक तरह से केवल सूखा नहीं अकाल है और यह अभूतपूर्व अकाल है और इसमें उत्तर प्रदेश पूरी तरह से प्रभावित है।

मान्यवर, अकाल होता है किसी प्रदेश में तो उस अकाल के समाधान के लिए कुछ उपाय किये जाते हैं जिस समय पूरे देश में अकाल पड़ा, अंग्रेजों की सरकार थी उन्होंने कम से कम बाहर से गेहूं मंगवाकर बंटवाने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में अकाल है और प्रदेश सरकार की ओर से कोई उपाय नहीं किया गया है, न गेहूं न धान न मक्का है। क्या हम खड़े हो करके देखते रहेंगे कि कौन भूखा मर रहा है। उसकी जानकारी प्रेस के माध्यम से आयेगी कि उत्तर प्रदेश के लोग भूख से मर रहे हैं। आप उपाय बताइये कि आपने क्या किया है ? सूखा तो उसका थोड़ा

सा हिस्सा है, सूखे का प्रभाव यह है कि पूरा का पूरा अकाल है। अकाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपसे पूछना चाहता हूं जब वर्षा नहीं हुई नहरों में पानी नहीं है तो सिंचाई की एक मात्र वैकल्पिक व्यवस्था निजी नलकूप हैं। अम्बिका चौधरी जी कह रहे थे कि चार घण्टे बिजली दे रहे हैं मेरे साथ चलिए कहां पर चार घण्टे बिजली आ रही है मैं अभी सहारनपुर में तीन दिन रहकर आ रहा हूं मेरी आँखों में आंसू आ रहे थे जब किसानों ने खड़े होकर कहा था कि तीन-तीन दिन बिजली नहीं आ रही है और जब आती भी है तो एक डेढ़ घण्टे से ज्यादा नहीं आती है। वोल्टेज इतनी लो रहती है कि नलकूप नहीं चल पाते हैं। हम अकेले यहां पर बैठकर चर्चा करेंगे ? सहारनपुर के मंत्री जी बैठे हैं, वहां के विधायकगण भी बैठे हुए हैं वह यह बात जानते हैं। आज आपके पास बिजली जनरेशन की कमी है हमने सुना था कि आप एयरकंडीशन बन्द करेंगे एयरकंडीशन बन्द करते लेकिन यह आपका दायित्व था कि किसान जो चारों तरफ से पिस रहा है उस किसान के लिए कम से कम सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था करते लेकिन आपने नहीं किया। मैं हरिद्वार गया था गंगा नहर का क्या हाल है वहां के इंजीनियरों ने मुझे बताया कि गंगा नहर में पहले की अपेक्षा डिस्चार्ज 1/8 रह गया है बरसात के महीने में जब डिस्चार्ज 1/8 रह गया है तो आगे क्या होगा इसकी कल्पना आप कर लीजिए। माइनर, गूल, रजबहों में टेल तक पानी की बात छोड़ दीजिए कहीं मेन नहर में पानी नजर नहीं आता है। हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं यह चर्चा इतनी गम्भीर है कि न नेता सदन है और न ही माननीय सिंचाई मंत्री जी खुद यहां मौजूद है। कम से कम वह बताते कि सिंचाई के लिए वह क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने वाले थे, क्या कर रहे हैं। दूसरी बात चारे की है। आपने एक बयान दिया कि टेबलेट बंटवा दी गई हैं पानी को शुद्ध करने के लिए पानी है नहीं टेबलेट लिए कहां घूम रहे हैं। पानी की जगह क्या टेबलेट से काम चलायेंगे टेबलेट ही देना है तो शुद्ध टेबलेट ही दे दें कम से कम उसे खाकर मुक्ति तो मिल जाएगी। अभी मुख्य सचिव का बयान आया कि हमने बीमारी से बचाने के लिए पानी के शुद्धिकरण के लिए गोली डलवा दी है, नए नल लगा रहे हैं यहां पर सदन के 403 सदस्यों से पूछ लें कि जब से सूखा घोषित हुआ है किसी के जनपद में कोई नल लगा है ? प्रदेश का टापमोस्ट ब्यूरोक्रेट पत्रकारों के सामने यह कहे कि जहां पानी की कमी है वहां नल लगाए जा रहे हैं लेकिन एक भी नल लगा नहीं है। जो पुराने नल लगे थे जलस्तर नीचे चले जाने के कारण वह भी काम नहीं कर रहे हैं और लोग प्यास से मर रहे हैं। आप टेबलेट डलवा रहे हैं। कल मेरी आँखों में आंसू भर आए जब समाचार पत्र में देखा कि दो बच्चे 10 व 12 साल के निर्वस्त्र होकर एक पेंट के डिब्बे में पानी लेकर जा रहे थे यह हालत प्रदेश की है। जनता के लिए पीने के पानी व सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना दूर भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं। हमने 80 हजार करोड़ रुपए केन्द्र से मांग लिए हैं लेकिन वह पत्र गलत एड्रेस पर लगा दिया।

इस देश का कृषि मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहे कि इन-इन प्रदेशों से जानकारी मिल गई है जिन्होंने पैसे की मांग की है लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला है। हर दूसरे दिन चले जाते हैं हाथ से ही दे आते अगर पते की बात थी यह बात तब है जब केन्द्र सरकार का भरपूर समर्थन है कितना अच्छा सामन्जस्य है जो सरकार इनके समर्थन से

चल रही है उस सरकार का मंत्री खड़े होकर कहता है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई जानकारी नहीं है बाकी प्रदेशों की तरफ से जानकारी आ गई है। 80 हजार करोड़ कहां से आएगा किसके भरोसे चल रहे हैं कोई पैसा आने वाला नहीं है आपको अपने आप व्यवस्था करनी होगी वह इच्छाशक्ति होनी चाहिए विषय की गम्भीरता परिलक्षित होती कि हर जनपद की न सही अपने जनपद की समीक्षा आप करवा लेते। कम से कम माननीय मंत्रीगण अपने जनपद की समीक्षा कर लें। मेरे जनपद में क्या व्यवस्था की गई और क्या वह व्यवस्था आम आदमी तक पहुंच पायी। मान्यवर, रबी की बोवाई होगी अब। खरीफ तो गई। आंकड़े अम्बिका जी ने दिये मेरी अपनी जानकारी में है कि 21 से 22 प्रतिशत की रोपाई नहीं हो पाई धान की। गन्ने की हालत यह है मान्यवर, आज अगस्त का महीना है। तीन-तीन बार गन्ने की बंधाई हो जाती थी अब तक। 6 से 7 फिट तक उसकी ऊँचाई हो जाती थी। आज गन्ने की पत्ती सूख गई। बंट गई और केवल सूखा हुआ गन्ना खेत में खड़ा है। चीनी की हालत जो बाजार में है मान्यवर, अब तो हालत यह है आगे गन्ने की फसल होगी नहीं और फसल नहीं होगी तो आगे उसका परिणाम क्या होने वाला है। कौन सी फसल की उम्मीद हम करें। धान की बात यह रोपाई नहीं हुई। रोपाई हुई, उसमें पानी नहीं, बरसात का पानी नहीं। बिजली है नहीं, सिंचाई हे नहीं।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहूंगा बिजली नहीं है लेकिन उसने फसल को अपनी औलाद की तरह से अपने बच्चे की तरह से परवरिश करता है मान्यवर किसान अपनी फसल की। जब देखा बिजली नहीं है तो जितना भी महंगा डीजल हुआ महंगा से महंगा डीजल लाकर वह खरीद रहा है कि किसी भी तरीके से अपनी औलाद को मैं बचा लूं अपने परिवार को मैं बचा लूं। मैं मांग करता हूं सरकार से कि अगर थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता सरकार में है तो जिन सीमान्त लघु कृषकों ने अपने जेवर रखकर, घर बेचकर डीजल खरीद कर अपनी फसल को बचाया है तो क्या आप उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे ? अगर नहीं करेंगे तो उसका रहने का ठिकाना भी कहां बचा ? क्या हमारी यह जिम्मेदारी नहीं बनती है ? क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था करना सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम दे नहीं पा रहे हैं, वह अपने साधनों से करता है तो क्या उन साधनों की प्रतिपूर्ति आप कर पायेंगे ? अगर नहीं कर पायेंगे तो जो थोड़ा बहुत भी मौरेलिटी बची है तो आपको कम से कम सत्ता, आप अपने संख्या बल के आधार पर बैठे हैं वह ठीक बात है लेकिन कहीं आपकी आत्मा आपको पुकारती होगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ? दूसरी बात मान्यवर, केवल आज की बात नहीं, इसका प्रभाव आगे तक होने जा रहा है क्योंकि अगली फसल की बोवाई भी सम्भव नहीं होगी। क्या आपने अगली फसल के लिये बीज का इंतजाम किया है ? कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। सूखा पहले भी हुआ होगा। पत्रावली निकलवा लें और अगर पत्रावली निकलवायेंगे तो इसी सरकार ने सूखे के समय फ्री बीज के किट भी बांटे हैं। मुफ्त बांटे हैं। आपने क्या कोई कार्यक्रम बनाया है ऐसा। अगर कोई कार्यक्रम बनाया है तो कब से बीज बांटना शुरू करेंगे ? कम से कम उस व्यक्ति को विश्वास तो हो जायेगा कि मुझको बीज मिल रहा है अगली फसल के लिये, फ्री मिल रहा है। मैं खरीद नहीं पाऊंगा। अबकी मेरी फसल मारी गई तो क्या अगली फसल तो हो जायेगी। इस तरह गुजारा तो हो जायेगा उसका। मेरे ख्याल से इस तरह का कोई कार्यक्रम आपका है नहीं। दूसरी बात मान्यवर, पेट भरने के लिये

क्या होगा ? आलू 20 से 25 रुपये किलो। प्याज कहीं से कहीं पहुंच गई। सूखे का असर सब चीजों पर है मान्यवर और सूखे का असर यह है तो मान्यवर, तो जो आम आदमी है, निश्चित आमदनी का जो आदमी है उसकी सहायता आप क्या कर रहे हैं ? एक ओर तो खबर निकलती है, चैनल दिखाते हैं कि दालें सड़ रही हैं। बंदरगाहों पर सड़ रही हैं दालें। अपार पैसा खर्च किया और दूसरी तरफ यह है कि 100-105 रुपये अरहर की दाल का दाम इस सूखे की वजह से हो गया। आपने कोई व्यवस्था की क्या ? आपने कहीं कोई छापा मारा क्या ? छापा मारेंगे तो अपने आदमी ही फंसेंगे उसमें। इसलिये मेरा आग्रह है कि स्पेसिफिक बात आनी चाहिए कि इस अकाल से बचने के लिये, अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिये हमने यह कदम उठाये और मान्यवर, वह कदम यहां नहीं जमीन पर नजर आने चाहिए और जमीन पर नजर आने के लिये 403 विधायकों की यह संख्या माननीय मंत्रीगण के साथ-साथ यहां बैठी हुई हैं। हम लोग भी तो बतायें आपको। बिजली की बात आप कह रहे थे। उसमें यह भी घोषणा मान्यवर, कि नये नलकूपों को बोरिंग के लिये सहायता की जायेगी। गहरे बोरिंग के लिये भी और मध्यम बोरिंग के लिये भी सहायता की जायेगी। पैसे का आवंटन हुआ है कहीं ? जनपद में पैसा भेजा है आपने कहा कि यह बोरिंग होगी इसकी सहायता आप कर दीजियेगा। बोरिंग की सहायता आप क्या करेंगे अगर किसी ने अपने साधनों से कोई नलकूप का बोरिंग कर भी दिया तो उसको आप कनेक्शन भी नहीं देंगे।

आप तो उसे कनेक्शन भी नहीं देंगे। तीन-तीन साल से लोग लाइन में लगे हैं। कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। केबिल के लिए कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कनेक्शन अगर कहीं स्वीकार हो भी गया तो अगले तीन साल उसके जीवन के फिर खराब हो गए। कहीं ट्रांसफार्मर नहीं लगा, कहीं खम्भे नहीं लगे, कहीं तार नहीं लगा तो क्या व्यवस्था आपकी रहीं। श्रीमन् ऐसी स्थिति में मेरी पहली मांग है कि सीमान्त और लघु कृषक जो हैं उनको अगले आने वाले 6 महीने के लिए फ्री भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। अनाज फ्री मिलना चाहिए। अगली फसल के लिए मुफ्त बीज मिले, जिन गांव में लोगों ने अपने ट्यूबवेल बोर किये हैं उन्हें 15 दिन के अन्दर बिजली के ऊर्जीकरण के कनेक्शन मिलने चाहिए उनको केवल कनेक्शन स्वीकार न हो उनको सर्वांगीण प्राथमिकता के आधार पर सब साथ के साथ मिलना चाहिए। श्रीमन् जिन लोगों ने डीजल को लगाकर अपनी फसल को जीवित रखा है डीजल के खर्चे की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा होनी चाहिए। यह मेरी चन्द बाते हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा था मैं चाहूंगा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बोलें तो उत्तर तो आप हमसे भी बहुत बढ़िया देंगे ही क्योंकि आपकी वाक पटुता में मैं कोई कमी नहीं देखता हूं। लेकिन उत्तर आना चाहिए अपने मन से, उत्तर आना चाहिए इस बात का कि हमने प्रदेश के लिए कुछ करके दिखाया है, हम प्रदेश के लिए कुछ करने जा रहे हैं। दो चार जगह आप नाम ले लेंगे और आप तालियां भी बजवा लेंगे लेकिन तालियों में दम नहीं होगा। दम तब होगा जब आप विशिष्ट रूप से घोषणा करेंगे प्रदेश के लिए तो हम धन्यवाद देंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे कि हमने समय बरबाद किया। मैंने पहले ही मांग की थी जो जनपद बच गये हैं सब प्रभावित हैं। आप सबसे पहले पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त होने की घोषणा करें आगे कुछ कहने के पहले यह मेरी मांग है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सम्पूर्ण सदन के लोग ग्राह्यता के संदर्भ में सभी विरोधी दल के लोग, एक स्वर से एक बात उठा रहे हैं और पूरे सदन को सच्चाई से यह स्वीकार करना चाहिए कि पूरे प्रदेश में सूखा है इसलिए पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। इसकी मांग एक स्वर से हर कोई कर रहा है इस मांग का मान्यवर, आधार भी है। मेरे पास 15 वर्षों का बरसात का आंकड़ा है किस माह में कितनी बरसात हुई, इसके आंकड़े हैं मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ पिछले वर्ष से औसत जो वर्षा होनी चाहिए उसके दो आंकड़े देना चाहता हूं जिससे इसकी भयावहता का आपको अंदाजा लग सके। मान्यवर, 2009-2010 में जून के महीने में कुल मिलाकर 23.1 मिलीमीटर वर्षा हुई जबकि 2008-2009 के महीने में पिछले वर्ष जून में 232.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। 232.4 और 23.1 मिलीमीटर के बीच में सिर्फ 206 मिलीमीटर का फर्क है तो सिर्फ 10 मिलीमीटर वर्षा हुई। मान्यवर, अगर 10 प्रतिशत वर्षा जून में हो तो बेहन पर क्या असर पड़ा होगा धान का, खेत की तैयारी पर क्या असर पड़ा होगा, बेहन लगाने पर क्या असर पड़ा होगा इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। यह जो मैं दस प्रतिशत की बात कर रहा हूं यह कहीं 5 प्रतिशत कहीं दो प्रतिशत भी होगी। मान्यवर, इसी तरह से अगर आप जुलाई महीने को देखें तो मेरे पास 30 जुलाई तक के आंकड़े हैं। कुल 147.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है जबकि विगत वर्ष 340 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जून माह में एक आंकड़ा और महत्वपूर्ण होगा, मान्यवर, जो वर्षा होनी चाहिए थी उसमें सामान्यतया से 95 मिलीमीटर कम है और अगर 147.2 मि0मी0 वर्षा हुई है, जबकि मैंने बताया, विगत वर्ष से 206 मि0मी0 कम वर्षा हुई है। मान्यवर, मैंने सिर्फ इसकी भयावहतः की बात की, कोई सूखा इस देश में पहली बार नहीं पड़ रहा है, इस प्रदेश में भी सूखा पहली बार नहीं पड़ रहा है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि सरकार सूखे से पीड़ित जनता को सहायता देने को तैयार नजर नहीं आती और सच पूछिये तो उस दिन हर उत्तर प्रदेश वासी का सर शर्म से झुक गया था, जिस दिन यह पता लगा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों-करोड़ों किसान जो भूख से मर रहे थे, उनकी चीत्कार, उनकी दशा नहीं देखी और सही बात है, मान्यवर, सावन में जो अंधा होता है उसे हरा ही हरा दिखायी देता है। सावन में किसान तो मर रहा था, लेकिन सावन के कुछ अंधे, मैं यह नहीं कहूंगा कि कौन शायद उन्हें सूखे का अन्दाजा नहीं है। सरकार में बैठ जाने के बाद आपको कोई अभाव और कमी तो होगी नहीं क्योंकि आपको किसान का पैदा किया हुआ अनाज नहीं चाहिए आप का अनाज तो कहीं और से आ जाता होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं और बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उस दिन उत्तर प्रदेश के हर आदमी को निराशा हुई सरकार से, उस दिन उसने इस सरकार को जम कर कोसा होगा अनुशासनहीनता मानी जाएगी, नहीं तो मेरे ख्याल से बहुत से सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भी सोचा होगा कि चूक हो गयी सरकार से। मान्यवर, जब शुक्रवार के दिन 24 जुलाई को भारत के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी ने सदन में यह कहा कि उत्तर प्रदेश से कोई आवेदन नहीं मिला है, कोई अनुरोध नहीं आया है यानि 24 जुलाई तक आप सो रहे हैं, आपने कोई अनुरोध करने की जरूरत ही नहीं समझी ? यानि 24 जुलाई तक आपने सूखे की आहट ही

महसूस नहीं की कोई दस्तक ही महसूस नहीं की, सूखे से तड़पते हुए किसानों की आह नहीं महसूस की और मान्यवर, यहां आप कुछ कहेंगे तो हम लोग जवाब देंगे लेकिन वहां आपके सदस्यों ने क्या जवाब दिया ? यह नही कहा कि भेजी गयी है, उन्होंने कहा कि नहीं भेजी गयी थी तो आप स्वयं दे देते। वहां भी नहीं कहा कि भेजी गयी है। मान्यवर, उस दिन शरद पवार जी ने जो कहा है कि उसके बाद इस सरकार को पूरे प्रदेश से क्षमायाचना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च स्तर पर अधिकारी, अधिकारी से वार्ता करना चाहते हैं वहां का अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, सर्वोच्च स्तर से मैं बात करना चाहता हूं सर्वोच्च स्तर पर मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। यानि कि भारत सरकार चाहती है कि हाथ बढ़ाये सहायता का तो आप उसका उत्तर देने को तैयार नहीं है। यही सदाशयता यही किसानों के लिए आपके दिल में जगह है ? मैं समझता हूं कि इसके बाद कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता, यही लगता है कि आप सूखे को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं या लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद कि अब तो चला-चली की तैयारी है, सूखे में जाओ कि बाढ़ में जाओ, फर्क क्या पड़ता है आपको मालूम है कि अगली बार लौट कर आना नहीं है। मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हुए कि अगर सूखा पड़ा है हम भी सरकार में रहे हैं, भाजपा भी सरकार में रही है, सपा भी सरकार में रही है, सूखे में पहला काम किया जाता था, पिछले साल तो बारिश आवश्यकता से अधिक हुई है, इनके जलाशयों में पानी होगा, उन जलाशयों के पानी के उपयोग के बारे में मा0 ओम प्रकाश सिंह जी बतायें, बतायें जो और मा0 सिंचाई मंत्री रहे हैं क्या नहरों को भरपूर क्षमता से चलाये जाने की जरूरत नहीं थी ? मैं नहीं जानता लेकिन मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहरें भरपूर क्षमता तो छोड़ दीजिए, अपनी आधी क्षमता से भी नहीं चली और बहुत सी जगहों पर तो नहरें चलायी ही नहीं गयीं। अगर सूखा पड़ गया तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, सूखा तो पड़ा लेकिन सूखे से निपटने की आपने तैयारी क्या की ? केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री से बात करने में आप अपनी तौहीन समझते हैं आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। हां, हो सकता है कि इजाजत न मिली हो।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि नहरें तो चली नहीं, बिजली की हालत जो है सो है, एक दिन में नहीं बनी, बीस सालों में बनाई गयी, यह कहा जायेगा लेकिन कहीं से तो बिजली लाइए आप। बिजली किसानों को तो दीजिए आप। अभी मा0 हुकुम सिंह जी ने 4 घण्टे बिजली की बात कही, खुशकिस्मत है आप, कहीं 4 घण्टे, 5 घण्टे मिलती होगी, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां बिजली कभी-कभी आती है और कभी-कभी आती ही नहीं। बिजली जो आप देंगे, आप कहेंगे कि परसों उद्घाटन करने जा रहे हैं और अभी मैं बयान पढ़ रहा था कि 2013 तक बिजली की कोई कमी नहीं होगी। अरे 2012 तो पार नहीं करोगे, 2012 में तो विधान सभा का चुनाव हो जाएगा। किसी ने यह नहीं कहा कि 2010 और 2011, बल्कि यह कहा कि 2013 में सब ठीक हो जाएगा। 2013 में तो सब ठीक ही हो जाना है। तुम गये नहीं कि बिजली आयी नहीं। मान्यवर, बिजली तो 2013 में ऐसे ही ठीक होगी। मैं कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ सपने देख रहे हैं लेकिन किसान तो मर रहा है। उसकी सोचो, हमें सपने देखने दो, अगर आप जवाब दे सकते

हो तो उसका जवाब दे दो। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नहरें नहीं चलायी गयीं ट्यूवेल को चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। डीजल पर सब्सिडी कोई देने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि एक साल पहले आपने जो डीजल पर बढ़ाया था उसी को कम कर दीजिए। किसानों को कुछ राहत मिल जाये। जब केन्द्र सरकार ने कम किया था तो आपने बढ़ा दिया था। उसी को कम कर लीजिये।

मान्यवर, यह भेदभाव बन्द होना चाहिए कि जो जिला आपको पसन्द आ जाये वह सूखाग्रस्त घोषित हो जाये और जो पसन्द न आये वह सूखाग्रस्त घोषित न हो। मान्यवर, प्रतापगढ़ के अगल बगल के जिले सुल्तानपुर, रायबरेली सब सूखाग्रस्त घोषित हैं। लेकिन प्रतापगढ़ पर नजर नहीं पड़ती, क्यों नजर नहीं पड़ती मैं नहीं जानता। मैं तो कहता हूं कि पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करिये, क्योंकि अब अगर पानी बरसता भी है तो उस पानी से कोई लाभ नहीं है। मान्यवर, यह जो पानी मिमी0 के हिसाब से बरसा भी है इसको भी अगर आप देखें कि अगर वक्त बीत जाने के बाद पानी बरसता है तो उसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। जो थोड़ी बहुत फसल खड़ी भी है उसका उत्पादन प्रभावित हो चुका है, उस फसल का उत्पादन औसत उत्पादन से एक चौथाई होगा। मेरा सुझाव है कि ऐसे अवसरों के लिए आपके पास खाद्यान के भण्डार होंगे। आप पकाकर खाना तो नहीं दे सकते लेकिन बी0पी0एल0 की दर से आप राशन ही दे दीजिए किसानों को यही आपकी तरफ से बहुत बड़ी छूट हो जाएगी। कुछ टेस्ट वर्क चलाइये। अगर आप चला सकते हैं तो उसकी सूची दीजिए। लेकिन नरेगा की चलती हुयी योजना को बताकर जिसमें केन्द्र का एक-एक पैसा लगा हुआ है, उसको बताकर वाहवाही मत लूटिये। सिर्फ इतना कर लीजिए कि नरेगा में जो बेइमानी करा रहे हैं उस बेइमानी को थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए तो शायद किसान को राहत मिल जाये।

मान्यवर, इतना कहना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि वसूली कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गयी। किसान को जब मार्च-अप्रैल में हवालात में बन्द किया जाएगा तो वह अप्रैल में कहां से फसल देगा। अगर थोड़ी बहुत फसल ठीक भी हो गयी तो भी अप्रैल के पहले उसके पास कैश पैसा आएगा नहीं। तो मेरा कहना है कि एक वर्ष के लिए सभी तरह के बकाये की वसूली रोक दी जाये और माफ की जाये। उसी तरह से छात्रों की फीस जो रह गयी है उसको निशुल्क अनुदान देकर छात्रों की फीस माफ कर दी जाये। पेयजल हेतु हैण्डपम्प की बात आयी तो जो खराब हैण्डपम्प हैं उनको बनवाकर सब तरफ दीजिए। मान्यवर, सूखा सिर्फ उस तरफ नहीं पड़ा है सूखा इस तरफ भी पड़ा है। ठीक है, हैण्डपम्प दीजिए लेकिन हैण्डपम्प इधर भी तो दीजिए। इधर तो आप हैण्डपम्प देते नहीं हैं और जब से दो साल से आप आये हैं तभी से यह व्यवस्था बदली है व्यवस्था को सूखे के नाम पर तो सुधारिये। मान्यवर, माननीय उपाध्याय जी से मैं आग्रह करूंगा कि जहां पर ट्रांसफार्मर खराब हैं उनको निश्चित समय में 72 घण्टे में बदलने की व्यवस्था करवायें। आप बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर खरीदिए। बहुत सी जगहों पर महीनों से खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। मान्यवर, चूंकि आपने यह प्रति हमें दे दी है यह इस सरकार का कच्चा चिट्ठा है। सामान्यतः यह तब बना होगा जब सूखा पड़ चुका होगा। आज आपने इसको टेबिल किया है तो मैं मानता हूं कि इसमें कल परसों तक का हिसाब-किताव होगा। अगर सूखे से निपटने के लिए

आपके पास कोई दृढ़ इच्छाशक्ति थी, कोई प्रबन्ध था तो हम आपका भाषण सुनने से इंकार करते हैं। हमारे पास आपका लिखित अनुपूरक अनुदान आ गया है। अनुपूरक अनुदान क्यों आता है ? दैवी आपदा अगर आ जाय तो उससे निपटने के लिए ही अनुपूरक अनुदान आता है। अनुपूरक अनुदान तब आता है, जब वार्षिक बजट में कुछ मदों में आप ज्यादा खर्च कर लेते हैं तब आता है, मान्यवर, मैंने इसको पूरा का पूरा पढ़ डाला है, जल्दबाजी में हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो वर्मा जी बता दें, जो यह अनुपूरक अनुदान लाये हैं, इसमें सूखे से निपटने के लिए कोई प्राविधान नहीं है इससे ज्यादा इस सरकार को मान्यवर, मैं क्या कह सकता हूं, शर्मनाक कदम है, इससे ज्यादा शर्मनाक कदम कुछ नहीं हो सकता। मुझे आप दिखाओ कि 2009-2010 के लिए जो अनुपूरक अनुदान आया है जो अगले छः महीने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए इसमें जिन चीजों के नाम हैं, आप चिढ़ जाओगे, नाराज हो जाओगे, बिफर उठोगे, स्मारक के लिए तो है पर भूख से तड़पते हुए किसान के लिए कोई पैसे का प्राविधान नहीं है अगर है, तो आप दिखा दीजिएगा।

(विपक्ष के अनेक सदस्य शेम-शेम की आवाज करने लगे।)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं, एक दैवीय आपदा है, हम सब मिल-जुल कर इसका सामना करने को तैयार हैं, हर तरह से चाहते हैं किसानों को राहत मिले, लेकिन कैसे करें आपके साथ, कृषि मंत्री से आप बात नहीं करना चाहते, देते भी हैं तो 24 जुलाई के बाद आपने दिया होगा, उसके बाद बिजली के लिए, बिजली नहीं मिल रही है मान्यवर, हैण्डपम्प लग नहीं रहे हैं और अनुपूरक अनुदान जो आप लाये हो उसमें कितने प्रतिशत लाये हो राजस्व के लिए और राहत के लिए। मान्यवर, इस समय हमें पैसे की जरूरत भवनों के लिए नहीं है, भूखे पेटों को भरने के लिए है। यह अनुपूरक अनुदान भवनों के लिए है, भूखे पेटों को भरने के लिए नहीं है, इसलिए मान्यवर मैं आपसे आग्रह करते हुए, विनम्रता करते हुए कि इन्सानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए उसके बाद राजनीतिक दलों की बात। मंत्री जी बोलेंगे, मजबूरी है सत्ता पक्ष के लोग साथ दें, लेकिन जिस वक्त मंत्री जी के भाषण का समर्थन करियेगा अपने क्षेत्र के भूखे किसानों को याद करके करियेगा और अगर उन कथनों पर समर्थन दिया कि सरकार बहुत कुछ कर रही है तो फिर जनता भी बहुत कुछ कर देगी, इतना याद रखियेगा, यह मैं आपको अभी से बताये दे रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, इस सूखे की ग्राह्यता पर बोलते हुए मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, अविलम्बनीयता है सूखा चल रहा है महत्वपूर्ण है, इससे महत्वपूर्ण कुछ और हो नहीं सकता है इसलिए यह पूरी तरह से ग्राह्य है, इस पर नियमों को शिथिल करके सदन में चर्चा कराई जाय और सरकार को निर्देश दिये जायें क्योंकि अनुभव है हमारा, अपने मन से यह कुछ नहीं करेंगे, आप निर्देश दीजिए कि इधर-उधर जो खर्चे कर रहे हैं उसको खत्म करके सिर्फ सूखे पर पूरी तरीके से ध्यान केन्द्रित करें।

*श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, यह सदन और यह प्रदेश यह जानना चाहता है कि आखिर यह सरकार सूखे से बच क्यों रही है, सूखा तो हो गया, अल्ला मियां के सामने तो तुम जाओगे नहीं, भगवान के सामने तो तुम जाओगे नहीं कि सूखा क्यों हुआ, सूखा हो गया तो इसको ईमानदारी से मानों कि हुआ और जब वह हो गया तो उसके लिए जो कुछ किया, मान्यवर, चार साल पहले सूखा पड़ा था, तब प्रदेश के अन्दर जो कुछ चेक किया गया था, उसको करो, उसको कर के दिखाओ, सारे काम हुए थे, पलायन भी हुआ था, पलायन को रोका भी गया था और वह जो खाना पका कर देने वाली बात थी, वह भी हुई थी, आपने तो खामख्वाह एक कहानी बना दी। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार का बयान मैं पढ़ूं आप उनके बयान पर भी चर्चा करवा दीजिए। क्या चीफ सेक्रेटरी के बयान के बाद इस तरह की बात होनी चाहिए ? कहां हम खाना खिला रहे हैं, पानी साफ हो रहा है, पानी है नहीं और पानी साफ हो रहा है, मान्यवर, मेरा एक आरोप है और वह यह है कि प्रदेश की सरकार सूखे पर अपना कुछ निर्णय तो ले ही नहीं रही है और इन्होंने जानबूझकर कुछ जनपदों को छोड़ दिया जिनको इन्होंने सूखाग्रस्त घोषित ही नहीं किया। उसमें बागपत है, मेरा जिला है, हम चार-पांच लोग जो यहां बैठे हुए हैं, उनका जिला है, चौधरी अजीत सिंह का जिला है, उसको मान्यवर, जानबूझकर इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक पत्र आपके सामने पढ़ने वाला हूं, इसको आपके पास भी भेजूंगा, मान्यवर, यह पत्र संख्या है 385, ओ0एस0डी0, सदर जिलाधिकारी बागपत का है। मान्यवर, जो लिखा है उन्होंने वह खत प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 सरकार को लिखा है यह 29 जुलाई, 2009 का पत्र है। मैं इसका कुछ भाग पढ़ दे रहा हूं।

'उल्लेखनीय है कि जनपद बागपत में नहरों की संख्या 40 एवं टेलों की संख्या 37 है, जो जनपद में सिंचाई का एक मात्र स्रोत है। पूर्वी यमुना नहर से गत वर्ष की अपेक्षाकृत इस वर्ष काफी कम मात्रा में पानी छोड़ा गया है तथा इस वर्ष पूर्व वर्षों से काफी कम वर्षा होने के कारण जनपद में सूखे की स्थिति है।' मान्यवर, जिस अधिकारी से आप राय लेते हैं और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आप जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करते हैं, वह आपको लिखकर भेज रहा है कि यहां सूखा पड़ रहा है और सूखा पड़ गया है और इसे सूखाग्रस्त घोषित करें। वह आपको बता रहे हैं कि यहां की नहरों में पानी नहीं आता है, पूर्वी यमुना नहर के अन्दर पानी नहीं आया है। वह आपको यह भी बता रहे हैं कि यहां कृषकों को सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण फसलों की बुवाई भी नहीं हो पाई है जिस कारण कृषकों में भारी रोष है।

मान्यवर, इस खत के बाद भी क्या कोई कारण रह जाता है कि आप इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित न करें। मान्यवर, यह सोचने की बात है कि जिलाधिकारी बागपत का पत्र 29 जुलाई का आपके पास आ गया है और वह बता रहे हैं कि हर तरह से सूखा है यहां पर पानी किसी तरह से नहीं पड़ा है फसल खराब हो गई है और फसलों की बुआई नहीं हो पाई है। लेकिन राजनैतिक कारणों से आप उसे सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई विधायक वहां से निर्वाचित नहीं है, लेकिन मान्यवर, यह कोई वजह नहीं है कि आप उसे इसलिए सूखाग्रस्त घोषित न करें। मान्यवर, आपको हमारी शक्लें पसंद नहीं हैं, हम आपको पसंद नहीं आते हैं। मान्यवर, हमारे यहां जितने 132 के0वी0ए0 के सब-स्टेशन हैं या 33 के0वी0 के सब-स्टेशन हैं, सारे के सारे ओवरलोडेड हैं। सरकार एक के बारे में भी बता दे जो ओवरलोडेड न हो। मान्यवर, वहां औसतन 2 घण्टे, 3 घण्टे बिजली आती है और उसमें भी ट्रिपिंग बहुत ज्यादा होती है। मान्यवर, यह वह एरिया है जहां से भारत सरकार को उत्तर प्रदेश को गेहूं पर्याप्त मात्रा में मिलता है। आप उसे सूखाग्रस्त नहीं मानते हैं क्योंकि वहां से जो 4-5 विधायक हैं वह राष्ट्रीय लोक दल के हैं। लेकिन यह कोई वजह नहीं है। हुकुम सिंह जी बैठे हैं यह भी इस पर अपनी राय रखते होंगे। जो यमुना नदी है वह सभी की आस्था का केन्द्र है। मान्यवर, आप 100 कि0मी0 सहारनपुर से आगे दिल्ली तक पैदल चले जाएं। नदी के किनारे आपके पैर गीले नहीं होंगे। सहारनपुर से दिल्ली के किनारे तक आज पानी पहुंचा नहीं है। आप कहेंगे कि पानी नहीं आया तो हम क्या करें।

मान्यवर, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसका भी पालन आपको कराना है जो वहां पर हरियाणा से निकलकर रजबहा आता है, ताजीवाला से उसमें एक क्यूसेक पानी भी नहीं दिया जाता है यमुना में उसके बारे में आप सोचें। वहां बिल्कुल गरीब किसान हैं पहले वहां खरबूजा-तरबूज की फसल होती थी और मुजफ्फरनगर, बागपत, दिल्ली तक वहां का खरबूजा जाता था लेकिन पानी के अभाव के कारण वह फसल खत्म हो गई पिछले दो साल से। आपने उस बारे में कोई कोशिश नहीं की है कि आप वहां पर पानी ला सकें और इस सम्बन्ध में आप सम्बन्धित सरकार से बात कर सकें। पूर्वी यमुना नहर के 100 कि0मी0 की बेल्ट के ऊपर पानी है ही नहीं। मान्यवर, कौन सा तरीका है यह मान्यवर, मैं डिमान्ड करता हूं कि यह 3 चीजें मैंने बताई हैं इसमें से एक को भी कोई झुठला दे और खास तौर से जो जिलाधिकारी का खत है जिसमें उसने कहा है कि सूखाग्रस्त होना चाहिए सूखा होना चाहिए उसकी वजह बता दें कि आखिर बागपत को आप सूखाग्रस्त क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हैण्डपम्प जो जनपद में लगने थे वह इनको दे दिये कि तुम लगा दो वह लगा ही नहीं पा रहा है जो हैण्ड बोरिंग थी वह भी नहीं लग पा रही है जो आपको बीज देना है जो बीज इसके बाद देना पड़ेगा। उसका क्या प्रबन्ध आपने किया है आपने कोई प्रबन्ध नहीं किया है मान्यवर, बाकायदा बांटा जाय, शिविर लगायें जायं और सरकार बैठकर अपने अधिकारियों के साथ बैठे और सोचें वह दुनिया की बातें बाद में सोचे, क्योंकि यह एक जबरदस्त सूखा है इसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा और बागपत जनपद को यह सूखाग्रस्त घोषित करे क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट भी हमने थमा दी है, रिपोर्ट भी कहती है कि इनको करना चाहिए यह गलत काम करना बन्द करें और उसको आप सूखाग्रस्त घोषित करें।

(कृषि मंत्री के खड़े होने पर अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं, माननीय मंत्री जी कुछ कह लेते हैं तो आप लोग कहियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं ?

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी बोलेंगे। आप सब लोग बैठ जायें। सूखा तो पड़ा लेकिन यहां बाढ़ की तरह आता है पता नहीं कैसे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है और सूखा ही नहीं पूरे प्रदेश में अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है। नहरें पानी दे नहीं पा रही आधे से ज्यादा ट्यूबेवल खराब पड़े हुए हैं, बिजली दे नहीं पा रहे हैं और बड़ी मेहनत से किसानों ने डीजल मंहगा होते हुए भी कुछ जगह पर अपनी फसल को बो लिया था, धान के खेतों में रोपाई कर ली थी, वह भी फसल सूख चुकी है। 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में वर्षा हो जाना चाहिए था उसके बाद सूखा घोषित कर देना चाहिए था लेकिन 15 जून तक तो हर हालत में सूखा घोषित हो जाना चाहिए था। अगर सरकार जरा सा भी किसानों के प्रति संवेदनशील होती तो 15 जून तक सूखा घोषित पूरा प्रदेश हो जाना चाहिए था नहीं मान्यवर, 15 जुलाई तक। लेकिन आज 3 अगस्त हो चुका है, लेकिन 3 अगस्त तक पूरा प्रदेश घोषित नहीं किया गया है। कुशीनगर में सूखा पड़ा हुआ है। हमीरपुर भी बुन्देलखण्ड में आता है लेकिन हमीरपुर भी घोषित नहीं किया गया है, ललितपुर भी घोषित नहीं किया गया है, बहराइच, लखीमपुर खीरी यह भी घोषित नहीं किये गये और नहरों में पानी नहीं, ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं बिजली आ नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से किसानों ने जो अपनी मेहनत लगाकर धान की जो रोपाई की थी वह भी सूख चुकी है। किसान बरबाद हो चुका है। आपको पता होगा कि पिछले वर्ष फरवरी के महीने में जब गेहूं की फसल लास्ट पानी के लिये खड़ी थी, तब भी नहरों में पानी नहीं आया था। किसान के लिये गेहूं का जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया था, पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी गेहूं की फसल लूट ली गयी और बिचौलियों से मिलकर, सरकारी अधिकारियों से मिलकर किसी भी किसान को 1080 रुपये प्रति क्विंटल का भाव नहीं मिला। बल्कि किसी भी किसान को 900 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा का भाव नहीं मिला। मान्यवर, बुन्देलखण्ड पहले ही कई सालों से परेशानी में था, कई साल से वहां सूखा पड़ा हुआ है, पिछले वर्ष जरूर पानी बरसा और पिछले वर्ष बाढ़ आई लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बाढ़ के समय में भी क्या कोई मदद किसानों की की थी ? जहां पर भी सूखा पड़ा, सरकार की तरफ से कहीं पर भी मदद नहीं हुयी। यहां तक कि आपको याद होगा कि वर्ष 2008-2009 के बजट में बुन्देलखण्ड को सूखे के लिये 207 करोड़ रुपये रखा गया था, क्या वह पैसा किसानों तक पहुंच गया है। यदि वह पैसा बुन्देलखण्ड के किसानों तक पहुंच जाता तो वहां के किसानों को कुछ राहत मिल सकती थी। गेहूं में किसान लूट लिया गया, धान की फसल में लूट लिया गया, किसानों को

अभी तक धान का घोषित रेट नहीं मिला। मान्यवर, इस तरह से किसानों को पूरी तरह से लूटा गया और जब इस वर्ष सूखा पड़ा हुआ है तो सरकार का चाहे कृषि विभाग हो, चाहे कोआपरेटिव विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो इनको कम से कम किसानों की मदद के लिये तैयार हो जाना चाहिये था लेकिन अभी तक इन विभागों ने कोई तैयारी नहीं की। पिछले वर्ष किसान की जब रबी की फसल की बुवाई हो रही थी तो एक बोरा खाद के लिये किसान को लाइन में लगना पड़ा और पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी थी। तब भी आपने किसानों को कोई सुविधा नहीं दी थी। अब जब सूखा पड़ा है तो कहीं ट्यूबवेल नहीं, बिजली नहीं, नहरों में पानी नहीं और सरकार की आँख और कान दोनों बंद हैं। यह हाल है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें। जब नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं तो चौधरी साहब आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, पूरा प्रदेश सूखाग्रस्त घोषित किया जाये और मान्यवर, किसानों का जो कर्ज है, अभी-अभी जो कहा गया कि वसूली रोक दी जाये, मान्यवर, मेरा कहना है कि वसूली केवल रोकी ही न जाये बल्कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाये। उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस माफ कर दी जाये चाहे वह हाईस्कूल में हों, इंटरमीडिएट में हों अथवा बी0ए0 में हों, किसानों के बच्चों की फीस माफ कर दी जाये। जहां पर किसान भुखमरी में हैं उनके खाने-पीने का इन्तजाम किया जाये। जिन किसानों ने फसल बो दिया था उन किसानों का नुकसान हुआ है इसलिए उन किसानों को आर्थिक मदद दी जाये। मान्यवर, किसान-किसानी के साथ-साथ पशुओं को भी पालता है, सूखा पड़ जाने के कारण आज हरे चारे की भी कमी हो गई है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, भूसा नहीं है और जानवर भी भूखे मर रहे हैं, इसलिए मान्यवर, पशुओं के चारे की भी व्यवस्था की जाये और जहां पर मान्यवर, जानवर मर गये हैं वहां पर मुआवजा देने की व्यवस्था की जाये। यह मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अविलम्बनीय है, इसलिए मैं नियमों को शिथिल करते हुए सूखे पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए क्योंकि बाढ़ से तो केवल एक ही फसल खराब होती है लेकिन सूखे से दूसरी फसल पर भी प्रभाव पड़ता है इससे खाद्यान्न की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसलिए इस विषय को सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए, हमारा आपसे निवेदन है कि नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा करायी जाये।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के श्री अम्बिका चौधरी जी, श्री हुकुम सिंह जी, श्री प्रमोद जी और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जितने भी बिन्दु रखे हैं उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं **इसलिए मैं** उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मान्यवर, सूखे से ज्यादा संवेदनशील विषय इस समय प्रदेश में और कोई नहीं हो सकता। मान्यवर, सदन की यह परम्परा रही है, लोक सभा में भी यह परम्परा रही है कि जब बहुत ही संवेदनशील विषय जिससे पूरा प्रदेश प्राकृतिक विपदा से ग्रस्त हो और सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन, उनका भविष्य और उसके जीवन से पड़ने वाला शहरी क्षेत्र पर प्रभाव ग्रसित हो, ऐसे संवेदनशील अवसर पर भी नेता सदन का सदन में न होना सदन की इस विषय के प्रति संवेदनहीनता का परिचायक है इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, अभी ग्राह्यता पर ही आप सुन रहे हैं अभी आपने चर्चा तो स्वीकार की नहीं है। यदि आप चर्चा स्वीकार कर लेते तब तो यह कहने का औचित्य होता लेकिन अभी आपने चर्चा नहीं स्वीकार की है इसलिए यह कहने का औचित्य नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, प्रदेश का दुर्भाग्य यही है कि अतिसंवेदनशील और विपदा के विषय को भी तकनीकी मामले से जोड़ दिया जाता है। लेकिन यह तकनीकी विषय नहीं है। मान्यवर, सूखे का जो वर्तमान प्रभाव है जिससे इस प्रदेश में भविष्य में आत्महत्यायें बढ़ने वाली है, चोरी डकैती बढ़ने वाली है, पूरी मानवता इससे प्रभावित होने वाली है। आज बारिश नहीं हो रही है, जलाशयों में पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं है वह आज भी सूखी है और रबी में भी सूखी रहेंगी। भू-गर्भ जल का क्या होगा ? भू-गर्भ जल साल का अंत आते-आते, बल्कि दो-चार महीने में इतना नीचे हो जायेगा कि हैण्डपम्प और ट्यूबवेल नहीं चल पायेंगे। जल-संचय की बात तो बहुत हुई लेकिन उसको कार्यरूप में परिणित नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत किसान दो एकड़ से कम भूमि वाले हो गये हैं। जो सूखे की स्थिति है उससे भोजन की ही समस्या नहीं होगी, रोग बढ़ेगा और रोग बढ़ेगा तो दवाई की समस्या आयेगी, पढ़ाई की समस्या आयेगी, गरीब किसान के बेटी की शादी की समस्या होगी। अभी बाकी लोग कह रहे थे कि सत्तापक्ष के लोगों की भी फसल सूख रही है। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि सत्तापक्ष के लोगों ने अपने नये फसल के नये बीज का ईजाद कर लिया है और वह फसल रोज कट रही है और वह खेती की फसल पर आश्रित नहीं हैं। अगर खेती की फसल पर आश्रित होते तो दो साल में नये-नये घर और नई-नई गाड़ियां नहीं हो पाती, इस पर सूखे का असर नहीं पड़ेगा। जब राहत काल आयेगा तो यह फसल और लहलहायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आपको यह अनुभव कैसे हो गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, गांव के परिवारों में जिस घर में कोई फसल आयेगी भी, मान लीजिए कि रबी की फसल आती है तो 10 महीने तक किसी के परिवार में अनाज होने वाला नहीं है। आज जिस

खेत में लहलहाती फसल देख करके आप उसको सूखाग्रस्त नहीं कह रहे हैं वह देर में बोयी गयी है। मा0 कृषि मंत्री जी किसान के बेटे हैं वह इस चीज को जानते हैं कि फसल तब आती है जब अनाज घर में आ जाए। आज खेत को हरा-भरा देख रहे हैं लेकिन अब अगर बारिश नहीं हुई क्योंकि इसका कोई लक्षण नहीं दिखायी दे रहा है। अगर किसी ने ट्यूबवेल या पम्पिंगसेट से या अन्य साधन से बुवाई देर-सबेर कर भी ली तो फसल कट करके आयेगी यह निश्चित नहीं है। मान्यवर, रोज अखबारों में आता है कि खाद नेपाल बार्डर जा रहा है, सैकड़ों ट्रक जा रहे हैं और सभी जानते हैं कि गोण्डा के यार्ड में उतर करके वहीं से सीधे जा रही है। यह क्या है, सूखे की सुरक्षा है या कुछ और है ? मान्यवर, उसी को हम नई फसल कह रहे हैं जिसे काटा जा रहा है। आज खाद बिहार जा रही है। भू-गर्भ जल का क्या होगा ? हैण्डपम्प की बात प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे, हैण्डपम्प आपको, हमको नहीं मिल रहा होगा उनसे क्यों हां करवा रहे हैं। इनको तो हैण्डपम्प भी मिल रहा है और उसके बदले में भी मिल रहा है। मान्यवर, यह सूखा केवल अनाज से जुड़ा नहीं है। सूखा जुड़ा है मानवता से और होने वाली आत्महत्याओं से। अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा कि ये-ये सुविधायें दी गयी हैं, यहां पर मा0 मंत्रिगण भी घोषित करेंगें कि ये-ये सुविधायें हैं लेकिन धरातल पर क्या है ? अभी हुकुम सिंह जी ने और अम्बिका चौधरी जी ने कहा कि यह भीषण अकाल है। इस अकाल में राहत देने के लिए जो कैम्प बनाये गये हैं, हम लोग रक्षाबन्धन के बाद खाली हो जायेंगे और आसपास के कैम्पों को देख आयेंगे। यह सदन भी देख आयेगा इसके लिये कमेटी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कमेटी आप बनायेंगे नहीं फिर यह तकनीकी प्रक्रिया में पड़ जायेगा। आप जिला बता दें जहां आपके कैम्प चल रहे हैं हम खुद गाड़ी दौड़ाकर देख आयेंगे। राखी के बाद हम 6 या 7 में यहां पर बैठेंगे तब तक हम देख आयेंगे। आप यह बता दें कि कहां यह कैम्प चल रहे हैं अगर नहीं बतायेंगे तो इसका मतलब यह है कि यह केवल घोषणा में है मुख्य सचिव घोषणा कर दें और प्रशासन इतना लुंज-पुंज हो जाए कि प्रिंसिपल सेक्रेट्री खुद जाकर घूम रहे हैं इसका मतलब कि विश्वास नहीं रह गया है यह प्रशासन के ध्वस्त होने का प्रमाण है कि जहां इतने उच्च अधिकारी गांव-गांव जाकर चेकिंग करेंगे, सर्वोच्च अधिकारी ट्यूबवेल देखने जा रहा है इसका मतलब है कि व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है और अधीनस्थों पर अविश्वास हो गया है। सरकार बताये कि कहां-कहां किस जिले में कौन-कौन से कार्य हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग तो जायेंगे नहीं लेकिन हम सहयोग करना चाहते हैं आपके अधिकारी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम लोग सहयोग कर देंगे केवल जनता का हित होना चाहिए। जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए मानवता बचनी चाहिए लोगों के पेट भरने चाहिए। बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए रोगी को दवाई मिलनी चाहिए अगर यह चीजें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब कि सुयोग्य व्यवस्था नहीं हैं इसलिये हम सब लोगों की मांग है कि पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करके युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू करा दीजिए और सारे मंत्री लोग राहत कार्य में लग जायें तभी रक्षा होगी। देवी आपदा कोष में ढाई सौ करोड़ रुपये हैं लेकिन हर काम के लिये सेन्ट्रल के पास जाने से काम नहीं चलेगा आप कहां तक उनके आश्रित रहेंगे यह दया करने वाले नहीं हैं। इस पूरी चर्चा के दो पहलू हैं दोनों पहलू पर जवाब आना चाहिए क्या सरकार इस पूरे प्रदेश को

सूखाग्रस्त घोषित कर रही है या नहीं यह एक नीतिगत विषय है इसको अलग से सरकार करावे और सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद जो राहत कार्य जमीनीस्तर पर भेजे गये वह किस-किस जिले में और कौन-कौन से राहत कार्य शुरू हो गये हैं अगर लखनऊ के आस-पास के जिलों की सूची है तो वह शाम तक सूची दिखा दें सदस्यगण उसको जाकर देख आयेंगे अगर सूची नहीं देंगे तो इसका मतलब यह है कि सारी घोषणाएं कागजी हैं। आपने अवसर दिया मैं पुनः सबके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए आग्रह कर रहा हूं कि इस पूरे प्रदेश को मानवता की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, उनके परिवारों की रक्षा के लिये पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री अध्यक्ष-

कोई चर्चा नहीं हो रही है। जब चर्चा होगी तब बोलियेगा। मैंने इस विषय की ग्राह्यता पर दल के नेताओं को सुन लिया है जब चर्चा हो उस समय आप बोलियेगा। उस समय इधर के सदस्य भी अपनी बात रखेंगे। सभी सदस्यगण तो ग्राह्यता पर नहीं बोल सकते हैं। कोकब साहब जब चर्चा हो उस समय बोलियेगा। मैंने इस पर विपक्ष के दलीय नेताओं को सुन लिया है। अब सरकार का पक्ष आ जाए।

(शोरगुल जारी)

यह गलत तरीका है। मैंने ग्राह्यता पर लगभग दो घंटे सुन लिया है। अगर चर्चा शुरू होती तो सभी सम्मानित सदस्यों को सुनता। मैं जानता हूं कि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की बात करेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

अभी ग्राह्यता पर पहले सरकार का पक्ष आ जाय। फिर मैं बताता हूं। लेता हूं। आप बताइये। ग्राह्यता पर माननीय नेता प्रतिपक्ष बोले, माननीय अम्बिका जी बोले, ओम प्रकाश सिंह जी बोले, कौकब साहब सब लोग बोले। आपके दल के बड़े नेता बोले हैं। अब इसकी ग्राह्यता के बाद जब हम स्वीकार करेंगे तो आप चर्चा पर बोलिये। यह नियम नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

एक मिनट, अगर इस पर चर्चा मान लेते तो चलिये मैं नेता प्रतिपक्ष से थोड़ा मदद ले लेता हूं, चौधरी साहब से मदद ले लेता हूं। इस पर चर्चा मान लिया जाय, मैं सुनने के लिये तैयार हूं। चर्चा मान लेते हैं चलिये एक-एक नेता बोल लें, एक घंटा हम और सुन लेंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो।

(सदस्यों के बोलते रहने पर)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, मैंने नियम-56 में सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

आप निर्णय लेकर बताइये। आप बैठाइये इन लोगों को। माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर जिस पर सरकार इतनी असंवेदनशील है श्रीमन्, हमारे संरक्षक की भांति आपने निर्णय लेकर हमको सुना।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सरकार संवेदनशील है। बार-बार असंवेदनशील जैसे शब्द यह कह रहे हैं। यह स्वयं ही असंवेदनशील हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारे शब्द यह नहीं रोक सकते हैं। यह अपनी बात कहेंगे, यह हमारे शब्द नहीं रोक सकते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री अत्यन्त दयावान, अत्यन्त कृपावान हैं तो अब प्रसन्न हो जाइये। मुस्कुराइये।

श्री लालजी वर्मा-

यह बात नहीं है। इतने धैर्य से हमने सब सदस्यों की बात सुनी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री अत्यन्त दयावान हैं, अब मान्यवर, यह हमको इनाम दे दें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, अच्छा आगे कहिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

हम कहना यह चाहते हैं कि ऐसे सवाल पर जहां सरकार इतनी असंवेदनशील हो। ऐसे सवाल पर जहां सरकार इतना असंवेदनशील रवैया अख्तियार किये हुए हो। आपने चर्चा स्वीकार की, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि इस पर डेढ़ घंटे की चर्चा करा लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपके आभारी हैं कि आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मदद करें तो आप इस पर चर्चा करा लेंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि चर्चा मान लें और आज ही हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, आज ही खत्म कर लेते हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, चर्चा स्वीकार कर लें और दो घंटे की चर्चा आज ही करा लें।

श्री अध्यक्ष-

दो घंटे नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ग्राह्यता पर मैंने दो घंटा पूरा सुना है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

दो घंटा नहीं डेढ़ घंटा।

श्री अध्यक्ष-

चलिये। डेढ़ घंटा ही। 12.20 पर मैंने शुरू किया था।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

40 मिनट भी नहीं हुआ मान्यवर।

डा0 वकार अहमद शाह-

सारे सदस्यों की अपनी पीड़ा है। अपने-अपने क्षेत्र की समस्या है। चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

वकार साहब नेता प्रतिपक्ष तो सारे प्रदेश की चिन्ता किये हैं, उसको छोटे में क्यों ले जा रहे हैं।

डा0 वकार अहमद शाह-

ऐसा है सारे सदस्य चिन्तित हैं। इसलिये कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा एक चीज करिये। वकार साहब मैं आपका स्वागत करता हूं। बोलने की सदस्यों की संख्या अगर अभी मैं कहूं तो चार बज जायेगा। जो सदस्य कहना चाहते हैं दो मिनट में अपनी बात कहें। इससे ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा। उसके बाद उनकी बात नोट नहीं की जायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

जरा संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें। उदय राज जी बैठ जायं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। माननीय मंत्री जी को आपने बुला लिया। अगर चर्चा होती तो पक्ष विपक्ष सबको संख्या बल के आधार पर समय मिलता। ग्राह्यता के आधार पर आपने लगभग डेढ़ घंटे से ज्यादा सुनने का काम किया। आपने माननीय मंत्री जी को बुला लिया और माननीय कृषि मंत्री जी खड़े हो गये। मान्यवर, कम से कम माननीय कृषि मंत्री जी की बात आ जाय और उसके बाद यदि आप आवश्यक समझें तो दूसरे सदस्य को अवसर दे दें। यह आपके ऊपर है, आपके अधिकार में है। लेकिन मान्यवर, अब चूंकि माननीय कृषि मंत्री जी को बुला लिया उसके बाद.....

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी पहले सुन लें। चौधरी साहब एक मिनट बैठ जायं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने कह दिया, चर्चा हो जायेगी, सुन लिया जायेगा। एक निर्णय हो जायेगा। अब संसदीय कार्य मंत्री जी उस पर सुझाव दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सुझाव नहीं दे रहे हैं। बैठे हैं। चौधरी साहब, एक मिनट नियमों से चलें। सवाल नहीं कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

जैसे सूखे पर सरकार को शर्म नहीं आई। माननीय अध्यक्ष के निर्णय पर सवाल उठायेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपकी मदद करना चाहता हूं कृषि मंत्री जी अभी जवाब देने खड़े होंगे। जो तथ्य हमने रखे हैं उसी पर तो जवाब दें। जो सदस्य बाद में तथ्य रखेंगे उसका जवाब तो नहीं दे पायेंगे। मेरा एक आग्रह है सबको सुन लीजिए। आपने कहा दो घंटे सुन लें। इसका मतलब आपके मन में दो घंटा पड़ा है। दो घंटा मान्यवर, होगा 2.25 पर, क्योंकि 12.20 पर सदन इकट्ठा हुआ था, पांच मिनट कार्य-मंत्रणा में चला गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपने इतना गणित लगाया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 2.25 तक सुने आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तब यह जवाब दें। मान्यवर, आप मेरी बहुत बात मानते हैं आज आपके मुंह से निकल गया तो मैं नहीं मानूंगा। जो आप कह रहे हैं वही होगा।

श्री अध्यक्ष-

हम आपकी मदद करना चाहते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप दो घंटा चाहते हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं चाह रहे हैं। आप 2.25 तक करा दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सही बात कह रहा हूं। आप लोग खड़े हो गये, खड़े होने से समय नहीं दिया जाता है। जब हम बुलायेंगे तभी समय मिलेगा, खड़े होने से हम समय नहीं देते है। बैठ जाएं। उदय राज जी बैठ जाएं।

श्री उदय राज-

एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं कहना चाहता हूं कि मैं ग्राह्यता पर सुन रहा था, उस पर सरकार का भी बयान आ जाता अब उसको मैं ग्राह्य करता या न करता यह मेरे विवेक पर था। सरकार का पक्ष सुनने के बाद मैं बोलता कि एक घंटा या दो घंटा चर्चा स्वीकार करनी है। फिर भी सदस्यों की भावना को देखते हुए मैंने सरकार पक्ष से निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी बैठ जाएं। आपकी इच्छा थी, महत्वपूर्ण विषय हैं सरकार भी इस पर गम्भीर है ठीक है चर्चा करा लें, एक-दो घंटा बुलवा लें। लेकिन मेरा निर्णय तो सरकार पक्ष की बात आने के बाद आता कि इस नोटिस को मैं ग्राह्य कर लेता हूं ?

श्री प्रमोद तिवारी-

आपकी इच्छा तो है और आपकी इच्छा शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष-

कुछ बयान तो सरकार पक्ष का आने दीजिए। इसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि मैंने अग्राह्य कर दिया, लेकिन मंत्री जी का कुछ तो बयान आने दीजिए बाद में हम निर्णय लेंगे।

* कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे सभी प्रतिपक्ष नेताओं ने विचार व्यक्त किये इसमें कहीं संदेह की गुंजाइश नहीं है प्रदेश मे भयंकर सूखा है और ऐसे समय में हम सभी को मिलकर यह प्रयास करने चाहिए कि किस तरह से इस समस्या का समाधान और सामना हम कर सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय अम्बिका चौधरी जी, माननीय हुकुम सिंह जी, ओम प्रकाश जी, कौकब हमीद साहब, माननीय तिवारी जी लग ऐसा रहा था कि यह समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं बल्कि सरकार को आतंकित करना चाहते हैं।

कुछ सदस्य-

यह आरोप है।

(सत्ता पक्ष की ओर से यह आरोप नहीं है की आवाजें)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी यह जो आप इस तरह से हाथ रखकर बैठते हैं यह ठीक नहीं है।

(हंसी)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

सूखाग्रस्त घोषित करने के लिये सरकार ने कुछ मानक तय किये थे। सूखाग्रस्त घोषित करने के लिये सरकार ने मानक तय किये थे और दो मानक तय किये गये कि जिन जिलों में 40 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आरोप लगाया गया है।

श्री लालजी वर्मा-

कोई आरोप नहीं है।

[विपक्ष (स0पा0) के सदस्य नारे लगाते हुए वेल में आ गए]

(व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो कहा है, वही बिल्कुल सत्य है, यह सूखा की समस्या का निदान नहीं चाहते हैं, यह किसानों के हितों को संरक्षित नहीं करना चाहते हैं, यह वास्तव में किसान विरोधी स्वयं हैं। यह सरकार सूखे के प्रति अतिसंवेदनशील है। मा0 मुख्य मंत्री जी सूखे के प्रति अतिसंवेदनशील है और मान्यवर, प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार जुलाई महीने में प्रदेश के 58 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। यह पहली बार हुआ है, मान्यवर, प्रदेश की सरकार, प्रदेश की मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं किसानों के प्रति संवेदनशील हैं, सूखे के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरने पायेगा, उसके लिये राहत की जो भी आवश्यकता होगी, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। मान्यवर, आज जो प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा है, हमारी सरकार ने उसको स्वीकार करते हुए, त्वरित गति से प्रदेश की जनता के हितों को संरक्षित करने के लिये एक निर्णय लेने का काम किया है। लेकिन मान्यवर, विपक्ष के लोग जो बैठे हैं, मा0 कृषि मंत्री जी ने जिस बात को कहा, वह बात पूरी तरह सत्य है और यह लोग किसानों की समस्याओं का निदान नहीं चाहते हैं। मान्यवर, यह प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है कि फरवरी महीने में ही प्रदेश के मुख्य सचिव ने बैठक करके प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि सूखे की स्थिति आती है तो उसके समाधान के लिए हमें क्या-क्या कार्यवाही करने की आवश्यकता है। 9 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया कि सम्भावित सूखे से निपटने के लिए हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए। मान्यवर, 24 जून को प्रदेश की मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने पूरे प्रदेश के लिए एक निर्देश जारी करने का काम किया और 23 जुलाई को सूखे से प्रभावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का काम किया। इतना ही नहीं, प्रदेश में पहली बार यह निर्णय लिया गया कि 40 प्रतिशत से कम वर्षा वाले और 75 प्रतिशत से कम बुवाई वाले जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, यह पहली बार किया गया। पहले 40 प्रतिशत से कम वर्षा और 50 प्रतिशत की बुवाई की सीमा को हमने बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का काम किया, यह किसानों के प्रति अच्छी सोच और प्रदेश की जनता को राहत देने के लिये यह निर्णय लेने का काम किया गया। आज 58 जिले सूखाग्रस्त घोषित किये गये। पूरे प्रदेश में बिजली की निर्बाध गति से आपूर्ति 10 घण्टे तक किसान को मिल सके इसके लिये व्यवस्था की गयी, हमने अतिरिक्त बिजली लेकर भी किसान को लगभग पिछले वर्ष से

30 प्रतिशत ज्यादा बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। मान्यवर, इसके साथ ही साथ किसानों को लगभग 1341332 मिनी किटों का वितरण किया गया, 24990 कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। प्रदेश के सूखाग्रस्त जनपदों में अब तक 30582 नये हैण्डपम्प और 33324 हैण्डपम्प भी रीबोर कराये जा चुके हैं। (घोर व्यवधान के मध्य) पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ताकि कोई भी हैण्डपम्प मरम्मत के कारण निष्क्रिय न रहने पाये। मान्यवर, लघु सिंचाई के माध्यम से नलकूपों का वार्षिक लक्ष्य 30 सितम्बर, 2009 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। ट्रांसफार्मर को तत्काल बदलने के लिए कार्यवाही की गयी है। मान्यवर, जानवरों के चारे की समस्या से निपटने के लिए भूसा आपूर्तिकर्ताओं से भूसे की मात्रा संरक्षित कर लिया गया है। मान्यवर, एक हजार नलकूपों को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। आवेदकों के 4 हजार नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा रहा है। सामान्य योजना और जमा योजना के अन्तर्गत किसानों के आवेदन प्राप्त होने पर निजी कनेक्शन को 15 से 30 दिन के अन्दर ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3 हजार नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी तो आपको सुन लिए लेकिन आप सरकार के पक्ष को नहीं सुनना चाहते है। जबकि कोई आपत्तिजनक शब्द मा0 मंत्री जी ने नहीं कहा था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ग्रामों में 10 घण्टे बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गये हैं। ब्रेकडाउन के लिए हेल्पलाइन नम्बर 18001808752 पर सम्पर्क किया जा सकता है। पम्प कैनाल नहरें जो स्वतंत्र फीडर पर हैं उन पर 16 से 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार से केंद्र सरकार के पास संरक्षित विवेकाधीन विद्युत कोटे में से हमने यह मांग की है कि प्रदेश की आबादी की दृष्टि से हमें 50 फीसदी विद्युत आपूर्ति किया जाये। इसके सापेक्ष 725 मेगावाट आपूर्ति किया जाये। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया और उत्तर प्रदेश के साथ नाइंसाफी किया। केवल 300 मेगावाट बिजली उस 1428 मेगावाट में से जो कि हमारी जो जरूरत थी जो हमारा अधिकार था वह 725 मेगावाट था। उन्होंने उसमें से केवल 300 मेगावाट बिजली स्वीकार करने का काम किया है। हमने यह निर्णय लिया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है, मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक दिन समीक्षा करें, और प्रदेश में किसी भी तरह की जनहानि या पशुहानि न होने पाये। सूखे से राहत देने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी द्वारा इस बात का जिक्र किया गया कि हमने बजट में इसका प्राविधान नहीं किया है, उसको हमारे माननीय सदस्यों ने स्वयं बताने का काम किया है कि इस अनुपूरक बजट में भी उसके लिए व्यवस्था करने का काम किया गया है। मान्यवर, केंद्र सरकार कितनी संवेदनशील है, माननीय तिवारी जी को शर्म आनी चाहिए कि जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था तो डीजल का दाम घटा दिया और जब लोक सभा का चुनाव बीत गया तो फिर किसान का डीजल का दाम बढ़ा दिया और 4-8 रुपये दाम बढ़ाने का काम किया है लेकिन

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने यह फैसला किया कि बढ़े हुए डीजल के दाम में हम प्रदेश में टैक्स को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। तो यह उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। मान्यवर, आज प्रदेश में सूखे की स्थिति के समाधान के लिए समुचित व्यवस्था किया गया है। मान्यवर, किसान की फसल की जितनी भी क्षति होगी, जो अनुमन्य व्यवस्था है उसके अनुसार किसान को फसल क्षति को पूरा कराने का काम किया जाएगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, किसी तरह से भी किसान को हानि नहीं होने दी जायेगी। माननीय तिवारी जी समेत सभी लोग जानते हैं कि आपदा राहत कार्य के लिए सूखा ग्रस्त घोषित करने का जो मानक है, उस मानक में किसानों के,

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति बनी रही।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्तिपूर्वक अपने स्थान पर जाकर बैठें और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जो कह रहे हैं उसको भी सुनिये, सरकार का पक्ष भी आप लोगों को सुनना चाहिए। आप अपनी पूरी बहस करिये, हम तो सुनने को तैयार हैं, हम तो 04 बजे तक सुनने को तैयार थे, लेकिन क्या किया जाय, जब आप लोग ही नहीं चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसानों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है हम लोग इसी सदन में माननीय अम्बिका चौधरी जी, राजस्व मंत्री की हैसियत से यहां जवाब दे रहे थे, हम लोगों ने मानक का सवाल उठाया था, पहले जो मानक था सूखा ग्रस्त घोषित करने का उसमें 50 प्रतिशत से कम बुवाई और 40 प्रतिशत से कम वर्षा था मान्यवर, हमने पहली बार किया कि 75 प्रतिशत से कम बुवाई के बाद भी और 40 प्रतिशत से कम वर्षा होगी तो उसको हम सूखा ग्रस्त घोषित करेंगें। इस तरह से मान्यवर, यह पहली बार आरोप लगाने का काम किया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे थे कि 15 जुलाई तक सूखा ग्रस्त घोषित कर देना चाहिए हमने यह निर्णय लिया, मान्यवर, मैं केवल आज की बात नहीं कर रहा हूं, 1980 में भी भयंकर सूखा पड़ा था, लेकिन उस समय भी जुलाई महीने में सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया था। हमारी सरकार ने 23 जुलाई को सूखाग्रस्त घोषित करके उसके प्रति कृतसंकल्प होने का परिचय दिया था। मान्यवर, मुझे यह विश्वास था कि माननीय सदस्यगण इस सूखे जैसे ज्वलन्त समस्या की बात पर इस पर विचार-विमर्श करके प्रदेश की जनता की समस्याओं का निराकरण करने में अपनी रूचि दिखाने का काम करेंगें इसको राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग मिल-जुल कर इस समस्या का समाधान करेंगें। लेकिन इस मामले में इन लोगों द्वारा जिस तरह से व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, उसमें किसान का हित नहीं है, प्रदेश की जनता का हित नहीं है, इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंनें माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता लोकदल, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसको मैं अग्राह्य करता हूं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर व्यवधान करते रहे।)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 अगस्त, 2009 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी-

पहली सूचना डा0 कौशल किशोर की लखीमपुर की ग्राम पंचायत कीरतपुर विधान सभा क्षेत्र नकहा में तुरन्तानाथ मंदिर/आश्रम का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जब अपनी सीट पर उपस्थित नहीं हैं, तो वेल में उपस्थिति को उपस्थिति नहीं माना जाता है, जब सीट पर उपस्थित हों तभी उपस्थिति मानी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं भी इसको नहीं मानता, मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं सीट पर उपस्थित न होने पर।)

तीसरी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की जनपद सिद्धार्थनगर में सूखे/भयंकर वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने एवं वसूली स्थगित करने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं सीट पर उपस्थित न होने पर)

पांचवीं सूचना श्री पंकज कुमार की मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्गो का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की जनपद महामायानगर के बहुउपयोगी मार्ग की चौड़ाई बढ़ा कर 7 मीटर करने एवं आबादी भागों की विशेष मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ विश्वविद्यालय में भी छठे वेतन आयोग की संस्तुति को लागू किये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की लखनऊ पूर्वी क्षेत्र विशेषकर अमीनाबाद घण्टाघर पार्क में छुट्टा जानवरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 जिसमें लोक निर्माण विभाग जनपद प्रतापगढ़ के लिये परिव्यय अनुमोदित किया गया, के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं सीट पर उपस्थित न होने पर)

ग्यारहवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं नगर पलिका परिषद् में दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना डा0 रफी अहमद उस्मानी की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं सीट पर उपस्थित न होने पर)

तेरहवीं सूचना श्री मदन चौहान की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं सीट पर उपस्थित न होने पर)

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई, उनके नाम निम्नलिखित हैः-

1-श्री विनोद कुमार सरोज, 2-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, 3-श्री सत्येन्द्र सोलंकी, 4-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, 5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, 6-श्री राधेश्याम गुप्ता, 7-श्री लल्लू सिंह, 8-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह, 9-श्री संजय कपूर, 10-श्री जोखू लाल यादव, 11-श्री अब्दुल वारिस खां, 12-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 13-श्री जगन प्रसाद गर्ग तथा 14-श्री शम्भू चौधरी।

(स्वीकृत एवं उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी)

(घोर व्यवधान)

जनपद सिद्धार्थनगर में सूखे/भयंकर वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने एवं वसूली स्थगित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[जनपद सिद्धार्थ नगर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है जो नेपाल सीमा पर स्थित है। जहां पूरा प्रदेश सूखे की भयंकर चपेट में है, उसमें जनपद सिद्धार्थनगर भी सूखे की सूची में है और इसको सूखाग्रस्त घोषित भी किया गया है किन्तु विगत सप्ताह भयंकर बरसात हो गयी है जिसके कारण पहाड़ी नदियों से अत्यधिक मात्रा में पानी आया और जनपद की कई तहसीलें बाढ़ की चपेट में आ गयी है, ऐसी स्थिति में किसानों की फसल पहले तो सूखे के कारण बोई नहीं जा सकी और जिसकी बुआई भी हुई थी उसको बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। अतः किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। ऐसी दैवीय आपदा में अभी तक शासन की तरफ से कोई भी राहत सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गयी है और न ही वसूली स्थगित की गयी है अतः किसानों के सम्मुख विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस दैवीय आपदा से निपटने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न करने एवं वसूली स्थगित न करने तथा कोई राहत सामग्री वितरित न करने के कारण लोगों में रोष तथा कुण्ठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्गों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंकज कुमार-

[मैं इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान विधान सभा क्षेत्र बघरा, जनपद मुजफ्फरनगर के कुछ जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्गों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र बघरा के कुछ सम्पर्क मार्ग बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, जिसमें क्षेत्र के नागरिकों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जानवर, बैलगाड़ी और अन्य वाहन इन सम्पर्क मार्गों से ठीक प्रकार से चल नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए-(1) बरवाला से बघरा तक नाले की पटरी पर बनी सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, (2) ढिंढावली-कुटुबी सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, (3) मुकन्दपुर-ढिंढावली सम्पर्क मार्ग पूरी से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उक्त सम्पर्क मार्गों की हालत यह है कि इन पर पैदल यात्रा करना मुश्किल है। इन सड़कों का शीघ्र पुनर्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

अतः लोक महत्व एवं जनहित के इस विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद महामायानगर के बहुउपयोगी मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर 7 मीटर करने एवं आबादी भागों की विशेष मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा अनिल चौधरी-

[जनपद महामायानगर का सादाबाद राया मार्ग मथुरा जनपद के राया कस्बे को जोड़ता है। उपरोक्त अति व्यस्त ओ0डी0आर0 श्रेणी का मार्ग जनपद महामायानगर की सीमा में 12.24 कि0मी0 लम्बाई में 5.50 मीटर चौडा है। मार्ग के 18,22, 24 तथा 26 आबादी भाग है जिसमें मार्ग पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त है। उपरोक्त मार्ग का जनपद मथुरा का भाग 7 मीटर चौड़ाई में निर्मित हो चुका है। जनपद महामायानगर के भाग को भी 7 मीटर चौड़ाई में निर्मित करें व आबादी भागों में नाली निर्माण व विशेष मरम्मत कर इस मार्ग की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है।

उपरोक्त बहुउपयोगी मार्ग की चौड़ाई बढाकर 7 मीटर करने एवं आबादी भागों की विशेष मरम्मत करायें जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ विश्वविद्यालय में भी छठे वेतन आयोग की संस्तुति को लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू हुए लगभग एक वर्ष का समय होने जा रहा है तथा प्रदेश के लगभग सभी विभागों ने छठे वेतन आयोग की संस्तुति को प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार लागू भी कर दिया है। इसके अतिरिक्त छठे वेतन आयोग की संस्तुति को प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में भी लागू कर दिया गया है किन्तु जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में छठा वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छठे वेतन आयोग की संस्तुति को आज तक लागू नहीं किया गया जिस कारण शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों में विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय में भी छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ पूर्वी क्षेत्र विशेषकर अमीनाबाद घण्टा घर पार्क में छुट्टा जानवरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विद्यासागर गुप्ता-

[जनपद लखनऊ पूर्वी क्षेत्र में हर वार्ड में और विशेष कर अमीनाबाद वार्ड स्थित मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र अमीनाबाद में घंटाघर पार्क में प्रतिदिन बेशुमार छुट्टा जानवर घुमते रहते है जो भीड़-भाड़ इलाके में जानलेवा खतरा साबित हो रहे है। अमीनाबाद में पिछले साल साड़ों की लड़ाई में दो व्यक्तियों की मौत हो गयी थी। अभी दिनांक 28 जनवरी, 2009 को भी कैसरबाग में 83 वर्षीय वारिस अली की मौत साड़ के हमले से हो गयी। इसी तरह पिछले दो सालों में कई मौते हो चुकी है। कुत्ते के काटने से भी कई मौते हो चुकी है। कल जावेद नामक बच्चे की कुत्ते के काटने से मौत हो गई है। पूरे प्रदेश में छुट्टा जानवरों का कहर छाया हुआ है। अभी 10 दिन पहले मैं स्वयं अमीनाबाद घंटाघर पार्क गया जहां दो साड़ लड़ रहे थे वही से नगर निगम टेलीफोन किया दूसरे दिन दर्जनों छुट्टा जानवरों में से केवल दो साड़ पकड़ लिये गये और दूसरे दिन छोड़ दिया गया जो फिर वहीं आ गये।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि प्रदेश को इस मुसीबत से बचाने के लिए एक अलग से कारपोरेशन बनायी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाये जिसका काम केवल छुट्टा जानवरों से प्रदेश को मुक्त कराने का हो ताकि निर्दोष नागरिकों की जान बचायी जा सके।]

जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 में लोक निर्माण विभाग जनपद प्रतापगढ़ के लिए परिव्यय अनुमोदित किये जाने के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 जिसमें लोक निर्माण विभाग जनपद प्रतापगढ़ के लिए परिव्यय अनुमोदित किया गया तथा अनुदान संख्या-58 के जिला योजना सामान्य ग्रामीण मार्ग के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के कुल 25 आगणन शासन के पत्र संख्या 4246/23-14-08 दिनांक 17-11-08 के क्रम में विशेष सचिव लोक निर्माण अनुभाग-14 को प्रमुख अभियन्ता नियोजन वर्ग उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्र संख्या 7294नि0/139-01नि0/08 दिनांक 26-11-08 द्वारा मार्ग निर्माण के प्रेषित किये गये हैं। नियोजन विभाग द्वारा यह नीति निर्धारित है कि जिला नियोजन समिति के द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं जनपद स्तर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो प्रमुख अभियन्ता द्वारा शासन को प्रेषित किये जायेंगे तथा स्वीकृत होंगे जो अभी तक प्रतीक्षित हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अनुमोदित उक्त परिव्यय के अनुसार कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बदायूं नगर पालिका परिषद् में दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[महोदय, बदायूं नगर परिषद् में सन् 1992 से 77 सफाई कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर एवं 51 सफाई कर्मचारी संविदा पर कार्य कर रहे है। इनको क्रमशः 2600/- रु0 से 3000/- रु0 तक प्रत्येक माह में मिल पाते है। आज के इस मंहगाई के समय में इतने कम रुपयों में परिवार सहित जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह लोग सन् 1992 से इसी स्थिति में कार्य कर रहे है जबसे कोई विशेष सुविधायें इन लोगों को नहीं मिली है, न ही वेतन में वृद्धि हुई है। यह निश्चित रूप से इन लोगों का शोषण है एवं इन पर अत्याचार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बदायूं नगर पालिका परिषद् द्वारा सफाई कर्मियों के नवसृजित पदों पर उक्त सभी कर्मियों को समायोजित किया जाय।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 अगस्त, 2009 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 06 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री इमरान मसूद की प्रदेश सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन विधान सभा के वर्ष में 3 सत्र व कम से कम 90 दिन उपवेशन किये जाने के सम्बन्ध में है।

यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की दिनांक 16-2-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिनांक 19-2-2009 को मा0 स्वास्थ्य मंत्री द्वारा खाद्य निरीक्षक के बचाव हेतु दिये गये वक्तव्य में मंत्री द्वारा अपने विभाग के अधिकारियों का बचाव किये जाने के सम्बन्ध में है।

यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसकी अग्राह्य करता हूं।

तीसरी सूचना श्री मदन चौहान की मा0 विधायकों को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है।

यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें नहीं सुनी जायेगी अर्थात् अग्राह्य की गई, उनके नाम निम्न है:-

पहली सूचना श्री उदयभान करवरिया की जो प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता तथा मानक का पालन न होने से बुनियादी शिक्षा का कमजोर होने विषयक है।

दूसरी सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी प्रदेश में ग्राम पंचायतों में किसान मित्रों को रुपये 1000/- मानदेय के स्थान पर रुपये 3000.00 के सम्बन्ध में है तथा तीसरी सूचना श्री कौकब हमीद खां की जो श्री राम आसरे वर्मा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल को लखनऊ में निर्धारित दर पर कक्ष आवंटन के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मद संख्या-06 को ले लें।

उत्तर प्रदेश में मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2009)[*]

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2009) को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

[*] छापे नहीं गये।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2009)*

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरुपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2009) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2009)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2009) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2009)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2009) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2009)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2009) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2009)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2009) को सदन के पटल पर रखता

---

* छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2009)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2009) को सदन के पटल पर रखता हूं।

गृह (पुलिस) अनुभाग-2 की अधिसूचनायें†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, गृह (पुलिस) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2130/छः-पु-2-08-1100(206)-2008, दिनांक 26 फरवरी, 2009 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, गृह (पुलिस) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1214/छः-पु-2-09-1000(15)-1972, दिनांक 29 जून, 2009 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-682/49-1-09-5 (659)07 दिनांक 19 मई, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-682/49-1-09-5 (659)-2007, दिनांक 19 मई, 2009 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1965 की धारा 133(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, भारत नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिये निबन्धन और शर्तें) विनियामावली, 2006†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिये निबन्धन और शर्तें) विनियामावली, 2006 प्रथम संशोधन 2008 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-182 के अधीन विलम्ब कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के नियम और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियामावली, 2007††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के नियम और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियामावली, 2007 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2000 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2000 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2002 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2002 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009†††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, अधिसूचना संख्या-524/79-सं-1-09-125सं/07, दिनांक 04 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा-(1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

††† छापी नहीं गयी।

श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 10 फरवरी, 2009 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुये, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राजयपाल महोदय के प्राप्त उत्तर को मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

श्री टी0 वी0 राजेश्वर, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

प्रिय श्री राजभर, दिनांक 10 फरवरी, 2009 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव विषयक आपके अर्ध शासकीय पत्र संख्या-1019/अविस/09 दिनांक 02 मार्च, 2009 के लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं।

इसके लिये मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। सादर, भवदीय टी0 वी0 राजेश्वर श्री सुखदेव राजभर, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 197 के खण्ड (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 17 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 17 फरवरी, 2009 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 18 फरवरी, 2009 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश अरबी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्ध विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहभागी प्रबन्धन विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2009

की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे दिनांक 21 अगस्त, 2008 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद 197(1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 फरवरी, 2009 को उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2008 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 17 फरवरी, 2009 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था, राजयपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे दिनांक 22 अगस्त, 2008 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सदन की मेज पर रखे जाने से तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त संविधान के अनुच्छेद 197(1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 फरवरी, 2009 को उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के समक्ष पुनः दिनांक 17 फरवरी, 2009 को रखा गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हुआ हुआ था, राजयपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हुआ हुआ था, राजयपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का नौवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक

20 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-26 व 27 में कुछ नहीं है। मद संख्या-28 पहले ली जा चुकी है। मद संख्या-29 में भी कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009[†]

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

[†] दिनांक 20 अगस्त, 2009 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, डा0 शकुन्तला मिश्रा, पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 20 अगस्त, 2009 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 20 अगस्त, 2009 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009[†]

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03-08-2009 को नियम-311 में प्राप्त 12 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 की कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई है। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता के आधार पर सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना नियम-311 में प्राप्त श्री अम्बिका चौधरी, डा0 वकार अहमद शाह की दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की तथा तीसरी सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की प्रदेश में भयकर पड़े सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसी विषय पर नियम-311 में प्राप्त चौथी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री उदयभान करवरिया, श्री लल्लू सिंह, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री सलिल विश्नोई, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल तथा श्रीमती कृष्णा राज की भी है,

(घोर व्यवधान के मध्य)

[†] दिनांक 20 अगस्त, 2009 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

पांचवी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री राम सेवक, श्री शिव बालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अजय पाल सिंह, चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री अशोक सिंह, श्री संजय कपूर, श्री पंकज मलिक, श्री राजाराम त्यागी, श्री माधव पासवान, श्री शिव गणेश लोधी जी की है। छटीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी, सातवीं सूचना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, आठवीं सूचना, श्री कौकब हमीद, चौ0 सत्यपाल सिंह, चो0 सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री पूरन प्रकाश व श्रीमती विमलेश सिंह की है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, इन सभी सूचनाओं को निरस्त कर दें।

श्री अध्यक्ष-

नवीं सूचना, श्री अवधेश प्रसाद, दसवीं सूचना, श्री उदयराज यादव, ग्यारहवीं सूचना श्री मदन चौहान जी की, इन सभी माननीय सदस्यों को सुना गया, इनकी सूचनायें नियम-56 में नहीं आती है, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है। बारहवीं सूचना श्री गफ्फार अहमद शाह, श्री अम्बिका चौधरी, डा0 कौशल किशोर, श्री सर्वेश सिंह व श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की, जनपद मऊ के मऊ शहर में ट्रक से दर्जनों लोगों की हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

तेरहवीं सूचना श्री पंकज मलिक की तथा चौदहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी व श्री विद्या सागर गुप्ता की प्रदेश में स्थापित महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

पन्द्रहवीं सूचना, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ स्थित कप्तानगंज, तहबरपुर, मुहम्मदपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

सोलहवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर में नरेगा के अन्तर्गत संविदा के आधार पर रखे गये रोजगार सेवकों को मानदेय न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत प्राप्त श्री अमरमणि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज में रोहिन नहर प्रणाली के निर्माण कार्य से सम्बन्धित तथा श्री अनूप सण्डा की सरकारी अस्पतालों में एन्ट्री रैबीज वैक्सीन विषयक व श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद गोण्डा में शमशान व कब्रिस्तान का फर्जी पट्टा विषयक सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई अतः अग्राह्य की गयी श्री जोखू लाल यादव, श्री अशोक सिंह चन्देल, डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री वीरेन्द्र सिरोही,

श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री आर0के0 चौधरी, श्री इमरान मसूद, डा0 पी0के0 राय, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री उदयभान करवरिया व श्री जोखू लाल यादव।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश के बुन्देल खण्ड क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर समस्याओं तथा विकास की आवश्यकताओं के दृष्टिगत वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश में गठित बुन्देलखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के होते हुए केन्द्र सरकार द्वारा पृथक से बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण बनाये जाने तथा उसका नियंत्रण सीधे केन्द्र सरकार के अधीन रखे जाने के कृत्य से राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण होने सम्बन्धी नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-46-क-श्री ओम प्रकाश सिंह जी आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर समस्याओं तथा विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश में गठित बुन्देलखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के होते हुए केन्द्र सरकार द्वारा पृथक से बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण बनाये जाने तथा उसका नियंत्रण सीधे केन्द्र सरकार के अधीन रखे जाने के कृत्य से राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकारों पर हुए अतिक्रमण से असहमत है।

माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक तथा संघीय ढांचे के विपरीत है। केन्द्र इस कृत्य से परोक्ष रूप से प्रदेश में शासन करना चाहता है जो कि प्रजातांत्रिक लोकतंत्र के सिद्धान्तों का खुला उल्लंघन है तथा प्रदेश की निर्वाचित सरकार एवं जनता के साथ धोखा है। केन्द्र विकास के लिये धन आवंटित करे तो प्रदेश सरकार उसे उपयुक्त रूप से व्यय करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड हेतु 8000 करोड़ का पैकेज मांगा गया था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इससे प्रदर्शित होता है कि केन्द्र सरकार की बुन्देलखंड के विकास में रूचि नहीं है वरन् इस प्राधिकरण को बनाकर मात्र पब्लिसिटी करना चाहता है। संवैधानिक रूप से राज्य एवं राज्य सरकारों का पृथक एवं स्वायत्त अस्तित्व है। यदि केन्द्र सरकार इस प्रकार के निर्णय लेगी एवं प्रदेश की स्वायत्ता पर आघात करेगी तो यह एक प्रकार का अघोषित राष्ट्रपति शासन होगा जो कि घोर असंवैधानिक एवं आपत्तिजनक है।

यह सदन ऐसे असंवैधानिक कृत्य से असहमत है तथा संस्तुति करना है कि उक्त निर्णय जो केन्द्र सरकार द्वारा लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है वह राज्य के संवैधानिक अधिकारो पर अतिक्रमण है और इसे न किया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहते है?

श्री ब्रजेश सौरभ-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने एक प्राधिकरण बनाकर के राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस पर मत विभाजन करवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री ब्रजेश सौरभ-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में केन्द्र सरकार ने इस तरीके से बुन्देलखण्ड विशेष के विकास के लिए धन देने की बात कही थी। मान्यवर, उसमें मैं केन्द्र सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि 2008 में प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड विशेष विकास क्षेत्र के लिए

(घोर व्यवधान के मध्य)

एक प्राधिकरण का गठन किया था उस गठन के तहत प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से पूरे प्रदेश के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का पैकेज मांगा था साथ में बुन्देलखण्ड के विकास के लिए 8 हजार करोड़ रुपए मांगे गये थे मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार केन्द्र सरकार ने आज विकास प्राधिकरण बनाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण का यह पहली बार प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पर यह केन्द्र सरकार द्वारा किया जाने वाला निन्दनीय कृत्य है। एक संवैधानिक सरकार जो जनता के द्वारा चुनकर आई है उस क्षेत्र के विकास कार्यो को करने का नैतिक दायित्व उसका होता है। अगर केन्द्र सरकार बुन्देलखण्ड के विकास के लिए वास्तव में चिन्तित है तो जो 80 हजार करोड़ रुपए का पैकेज हमारी नेता माननीया मुख्यमंत्री जी ने मांगा था उसको देने के साथ-साथ एक अलग से निधि देने का काम किया जाता जिससे हमारी सरकार वहां पर विकास के कार्य करा सकती। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के एक सांसद कांग्रेस के युवराज ने वहां पर एक बार घूमने का काम किया और एक दिन में बुन्देलखण्ड के दुःख उनकी समझ में आ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 62 सालों में 40 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है अगर बुन्देलखण्ड के विकास की चिन्ता होती तो बुन्देलखण्ड का विकास बड़े पैमाने पर हो गया होता। केन्द्र सरकार बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण बनाकर घुसपैठ करना चाहती है इसकी पूरा सदन निन्दा करता है। केन्द्र सरकार के इस कृत्य का मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी विरोध किया है।

(घोर व्यवधान)

(वेल में उपस्थित सदस्य किसान विरोधी यह सरकार के नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर समस्याओं तथा विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए वर्ष, 2008 में उत्तर प्रदेश में गठित बुन्देलखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के होते हुए केन्द्र सरकार द्वारा पृथक से बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण बनाये जाने तथा उसका नियंत्रण सीधे केन्द्र सरकार के अधीन रखे जाने के कृत्य से राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकारों पर हुए अतिक्रमण से असहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 3-8-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनाएं प्राप्त हुई, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

पहली सूचना डा0 वकार अहमद शाह की प्रदेश के कारागार विभाग में जेल अधीक्षकों/जेलरों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

दूसरी सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की जनपद लखीमपुर के ग्राम अलीगंज में स्वीकृत पावर स्टेशन के रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम जेंवई में आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई फायरिंग में मृतका श्रीमती सेवकहीन के परिवार एवं घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने तथा निर्दोषों पर फायरिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

चौथी सूचना श्री शम्भू चौधरी की जनपद कुशीनगर स्थित जे0आर0 ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इकाई डिस्टलरी, कप्तानगंज के मजदूरों का वेतन एवं अन्य बकाये का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

पांचवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम/निगम यू0पी0 डेस्को द्वारा अपने कर्मचारियों को पंचम वेतनमान का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

छठीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर निगम सीमा के अन्तर्गत भवनों का गृहकर 'जी0आई0एस0' आकाशीय सर्वे द्वारा कई गुना रेट बढ़ाकर बिल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

सातवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनुदानित योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर सेट के वितरण में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये घोटाले की जांच के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

आठवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर स्थित कैराना झिंझाना क्षेत्र में यमुना नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षतिग्रस्त तटबन्धों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

नवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर में 15 वर्षों से अधिक समय से तैनात लेखपालों का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

दसवीं सूचना श्री पंकज कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मरों को समय से न बदले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

ग्यारहवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर के ग्राम नेवादा थाना साहदुल्ला नगर के सईद अहमद व तौरीक अहमद पुत्र अब्दुल रहीम द्वारा फर्जी शपथ-पत्र देकर रिवाल्वर का लाइसेंस प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार है। श्री अनूप सण्डा, डा0 कौशल किशोर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री उदयभान करवरिया, श्री लल्लू सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री संजीव दरियाबादी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री दीप नारायण सिंह, डा0 अनिल चौधरी, श्री पूरन प्रकाश, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री श्रीपति आजाद, श्री इमरान मसूद, श्री जोखू लाल यादव, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री यशपाल सिंह [illegible]न, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री विनोद सरोज, श्री राधेश्याम जायसवाल, संजय कपूर, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही।

मथुरा में यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रतीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

श्री प्रदीप माथुर, सदस्य, विधान सभा द्वारा मथुरा में यमुना नदी में हो रहे....

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मानते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में 'उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958' के नियम-51 के अधीन दिनांक 19-2-2009 को निम्नानुसार सूचना दी गयी है:-

"यमुना मैया मथुरा, वृन्दावन के अलावां देश तथा देश के बाहर से आये हुये श्रद्धालुओं के श्रद्धा की प्रतीक हैं। यह प्रतीकता हमको हमारे शास्त्रों ने दी है। जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। यहां आया हुआ श्रद्धालु चाहे देश का हो या विदेश का यमुना मैया से जल लेकर आचमन करता है।

नगर पालिका में एस0टी0पी0 बनने के बाद भी बरसात के अतिरिक्त लगभग 70 प्रतिशत जल बिना एस0टी0पी0 में गये सीधे यमुना मैया में गिराया जाता है। बरसात के महीने में तो यह शत प्रतिशत सीधे यमुना में जाता है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्देश भी दिये है कि यमुना में बिना एस0टी0पी0 में शोधित कोई जल नहीं जायेगा। किन्तु शासन की लचर नीति व ठोस परिकल्पना के अभाव में आज भी ऐसा हो रहा है। मथुरा वृन्दावन के सीवर, नाली व बूचड़खाने के सारे उत्सर्ज यमुना मैया में प्रवाहित किया जाता है। ऐसे में यमुना मैया कहा तक पवित्र रहेगी।"

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना में यह कथन सही है कि यमुना मैया मथुरा वृन्दावन के अलावा देश के बाहर से आये हुये श्रद्धालुओं की श्रद्धा की प्रतीक है। मथुरा-वृन्दावन नगर धार्मिक महत्व का शहर है जहां वर्ष भर लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है।

3-मथुरा एवं वृन्दावन नगरों में आने वाला यमुना नदी का जल अपस्ट्रीम से ही प्रदूषित होता है। यमुना नदी का वास्तविक जल दिल्ली से ऊपर ही ताजे वाला बांध पर रोक लिया जाता है तथा मथुरा एवं वृन्दावन नगरों में आने वाले जल में दिल्ली तथा हरियाणा के नगरों से उत्सर्जित किये गये प्रदूषित जल की मात्रा ही अधिक होती है। इस प्रकार यमुना नदी का जल मथुरा आते-आते और अधिक प्रदूषित हो जाता है।

4-वर्तमान में मथुरा नगर में जनित/उत्सर्जित किये जा रहे प्रदूषित जल की अनुमानित मात्रा 49 एम0एल0डी0 है, जबकि नगर में विद्यमान 02 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स की क्षमता 28 एम0एल0डी0 है। इस प्लान्ट पर कैमिकल ट्रीटमेन्ट किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मथुरा नगर में सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं एस0टी0पी0 की क्षमता को उच्चीकृत किया जाना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत मथुरा नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत 03 नये सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने की योजना है।

5-वृन्दावन नगर में 06 सीवेज पम्पिंग स्टेशन व 02 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अधिष्ठापित हैं, जिनकी क्षमता 4.00 एम0एल0डी0 व 0.5 एम0एल0डी0 अर्थात् कुल 4.50 एम0एल0डी0 है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सीवेज पम्पिंग स्टेशनों पर विभिन्न क्षमताओं के 26 नग पम्प अधिष्ठापित हैं, जो सभी चालू स्थिति में है। विद्युत अवरोध के समय जनरेटरों के माध्यम से पम्प चलाये जाते है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में जब यह परिसम्पत्तियां सृजित की गयी थीं, उस समय नगर में मात्र 16 नलकूप थे, जिनसे मात्र 05 एम0एल0डी0 प्रदूषित पानी का ही उत्पादन था। वर्तमान में 28 नलकूपों के अलावां गोकुल बैराज से भी वृन्दावन नगर को पानी मिल रहा है। उक्त के अतिरिक्त वृन्दावन नगर हेतु 8.00 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 के अधिष्ठापन हेतु रु0 73.33 करोड़ की योजना जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है।

6-मथुरा एवं वृन्दावन नगरों के एस0टी0पी0 बनने के बाद भी बरसात के अतिरिक्त लगभग 70 प्रतिशत जल बिना एस0टी0पी0 में गये तथा सीवर, नाली व बूचड़खाने के सारे उत्सर्ज यमुना मैया में प्रवाहित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त नगरों में उत्पादित जल की मात्रा के सापेक्ष उक्तानुसार उपलब्ध सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की क्षमता के अनुसार जल शोधित किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत प्राथमिकता निर्धारित करके आवश्यकता के अनुरूप सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स अधिष्ठापित करा रही है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
दिनांकः 3 अगस्त, 2009।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(नत्थी के लिए देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार के लिये श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-52 के संलग्नक

(क) मा0 उच्च न्यायलय, इलाहाबाद में वर्ष 2006-09 में नियुक्त किये गये विधि अधिकारी

क्र0सं0	नाम	पद नाम
1	श्री सतीश चुतुर्वेदी	अपर महाधिवक्ता
2	श्री विनोद कुमार सिंह	अपर महाधिवक्ता
3	श्री एव0जी0 हसनैन	अपर महाधिवक्ता
4	श्री नीरज उपाध्याय	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
5	श्री अरबिन्द्र कुमार	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
6	श्री गोबिन्द सक्सेना	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
7	श्री विपिन बिहारी	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
8	श्री राम शिरोमणि यादव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
9	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
10	श्री जटा शंकर पाण्डेय	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
11	श्री अरूण कुमार सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
12	श्री रवि शंकर सिंह पटेल	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
13	श्री सुशील कुमार सरोज	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
14	श्री राज कुमार मौर्य	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
15	श्री अनिल कुमार कुशवाहा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
16	श्री अशोक कुमार भट्ट	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
17	श्री नीरज कुमार त्रिपाठी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
18	श्री अमरेश सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
19	श्री नित्यानन्द	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
20	श्री राम कृष्ण तिवारी	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
21	श्री विमल कुमार पाण्डेय	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
22	श्री राजेश कुमार सचान	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
23	श्री जितेन्द्र ओझा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II

क्र0सं0	नाम	पद नाम
24	श्री अनिरूद्ध प्रताप सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
25	श्री अब्बास हैदर	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
26	श्री सतीश चन्द्र	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
27	कु0 मीना	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
28	श्री दशरथ प्रसाद	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
29	श्री संतोष कुमार	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
30	श्री ज्योति भूषण	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
31	श्री ईखपाल सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
32	श्री कृष्ण प्यारे चौधरी	स्थायी अधिवक्ता
33	श्री प्रशान्त माथुर	स्थायी अधिवक्ता
34	श्री संतोष कुमार मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता
35	श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय	स्थायी अधिवक्ता
36	श्री राम मूर्ति	स्थायी अधिवक्ता
37	श्री नरसिंह दीक्षित	स्थायी अधिवक्ता
38	श्री चन्द्र प्रकाश मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता
39	श्री प्रशान्त राय	स्थायी अधिवक्ता
40	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता
41	श्री गोविन्द सक्सेना (दिनांक 30-6-2008 को श्री सक्सेना को अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद परं नियुक्त कर दिया गया है)	स्थायी अधिवक्ता
42	श्री राम भवन	स्थायी अधिवक्ता
43	श्री राम वक्स गौतम	स्थायी अधिवक्ता
44	श्री राम बली	स्थायी अधिवक्ता
45	श्री अनिल कुमार	स्थायी अधिवक्ता
46	श्री अरबिन्द मोहन श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता
47	श्री अशोक कुमार मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता
48	श्री धर्मदेव चौहान	स्थायी अधिवक्ता
49	श्री मनफूल सिंह	स्थायी अधिवक्ता

क्र0सं0	नाम	पद नाम
50	श्री भोले राम	स्थायी अधिवक्ता
51	श्री बाबू लाल राम	स्थायी अधिवक्ता
52	श्री राम प्रकाश राम	स्थायी अधिवक्ता
53	श्री राम कुमार गौतम	स्थायी अधिवक्ता
54	श्री संजय कुमार दुबे	स्थायी अधिवक्ता
55	श्री सुशील कुमार	स्थायी अधिवक्ता
56	श्री मो0 अखतर	स्थायी अधिवक्ता
57	श्री अजीत सिंह	स्थायी अधिवक्ता
58	श्री अरूण कुमार गोयल	स्थायी अधिवक्ता

(ख) मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बैंच, लखनऊ में वर्ष 2008-09 में नियुक्त किये गये विधि अधिकारी

क्र0सं0	नाम	पद नाम
59	श्री अनुज कुदेशिया	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
60	श्रीमती संगीता चन्द्रा	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
61	श्री अनन्त चौधरी	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
62	श्री मसूद आजम	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-II
63	श्री अजय शुक्ला	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-II
64	श्री अनिल कुमार राय	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-II
65	श्री अशोक कुमार	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-II
66	श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव	अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-II
67	सुश्री मीरा त्रिपाठी	अपर शासकीय अधिवक्ता
68	श्री सुन्दर लाल	अपर शासकीय अधिवक्ता-I
69	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	अपर शासकीय अधिवक्ता-I
70	श्री महेश प्रसाद	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
71	श्री सुधान्शु वर्मा	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
72	श्री जय सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
73	नरेन्द्र बहादुर सिंह	अपर शासकीय अधिवक्ता-II

क्र0सं0	नाम	पद नाम
74	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	अपर शासकीय अधिवक्ता-II
75	श्री मो0 युसुफ अंसारी	अपर शासकीय अधिवक्ता
76	श्री सौरव लवानिया	स्थायी अधिवक्ता
77	श्री मंजीव शुक्ल	स्थायी अधिवक्ता
78	श्री सलीम अहमद	स्थायी अधिवक्ता
79	श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता
80	कु0 केतकी श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता
81	श्री उमाकान्त दीक्षित	स्थायी अधिवक्ता
82	श्री दिलीप कुमार गौतम	स्थायी अधिवक्ता
83	श्री राजेश कुमार वर्मा	स्थायी अधिवक्ता
84	श्री विवेक शुक्ला	स्थायी अधिवक्ता
85	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता
86	श्री अजय सिंह	स्थायी अधिवक्ता
87	श्री श्याम लाल धर्नुधारी	स्थायी अधिवक्ता
88	श्री विमर्श निगम	स्थायी अधिवक्ता
89	श्री शैलेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव	स्थायी अधिवक्ता
90	श्रीमती कृष्णा कुमारी	स्थायी अधिवक्ता
91	श्री अब्दुल रफे सिद्दीकी	स्थायी अधिवक्ता
92	सैय्यद वसी हैदर	स्थायी अधिवक्ता
93	श्री अश्विनी कुमार अग्निहोत्री	स्थायी अधिवक्ता
94	श्री तिलक राज सिंह	स्थायी अधिवक्ता
95	श्री अजय कुमार शुक्ला	स्थायी अधिवक्ता
96	श्री नीरज गुप्ता	स्थायी अधिवक्ता
97	श्री सुखराम शुक्ला	स्थायी अधिवक्ता
98	श्री सुरेश पंजवानी	स्थायी अधिवक्ता
99	श्री मो0 फतेहुद्दीन	स्थायी अधिवक्ता
100	श्री गिरजा शंकर मिश्रा	स्थायी अधिवक्ता
101	श्री राज कुमार मौर्या	स्थायी अधिवक्ता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	नाम	पद नाम
102	श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय	स्थायी अधिवक्ता
103	श्री एम0के0 शुक्ला	स्थायी अधिवक्ता
104	श्री राज कुमार वर्मा	स्थायी अधिवक्ता
105	श्री शंकर लाल	स्थायी अधिवक्ता
106	श्री ओ0एन0 त्रिपाठी	स्थायी अधिवक्ता
107	श्री अनिल कुमार सिंह	स्थायी अधिवक्ता
108	श्री शिवेन्द्र सिंह	स्थायी अधिवक्ता
109	श्री सुरेश सिंह	स्थायी अधिवक्ता
110	श्री जयराम सिंह	स्थायी अधिवक्ता
111	श्री राजेश शुक्ला	स्थायी अधिवक्ता
112	श्री जी0एस0 त्रिपाठी	स्थायी अधिवक्ता
113	श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय	स्थायी अधिवक्ता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(नत्थी के लिए देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

जनपद	पुलिस हिरासत में मौत के कितने मामले प्रकाश में आये	कितने पुलिस के कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी	कौन सी कार्यवाही की गयी	कितने पुलिसकर्मी निलम्बित किये गये तथा पुलिस कर्मियों की निलम्बन अवधि कितनी-कितनी थी	कितने पुलिस कर्मियों को जेल भेजा गया	कितने पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया
1	2	3	4	5	6	7
बांदा	1	3	मुकदमा पंजीकृत विवेचनाधीन तथा विभागीय 14(1) प्रचलित	निलम्बित-3 पुलिस कर्मी एक-2 माह 6 दिन एक-2 माह 12 दिन एक-2 माह 10 दिन	शून्य	शून्य
इलाहाबाद	1	4	जांच से कोई दोषी नहीं पाया गया। चेतावनी दी गयी	निलम्बित-4 पुलिस कर्मी सभी 6 माह 4 दिन	शून्य	शून्य
सीतापुर	1	5	मुकदमा पंजीकृत अंतिम रिपोर्ट प्रेषित, विभागीय कार्यवाही प्रचलित	निलम्बित-5 पुलिस कर्मी दो-11 माह 21 दिन तीन-11 माह 07 दिन	शून्य	शून्य
लखनऊ	1	2	जांच से निर्दोष पाये गये	निलम्बित-2 पुलिस कर्मी एक-2 माह 24 दिन एक-3 माह	शून्य	शून्य
फैजाबाद	1	3	14(2)की कार्यवाही जांच से दोषी पाये गये 2 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रचलित	निलम्बित-3 पुलिस कर्मी एक-2 माह 12 दिन दो-2 माह 12 दिन	शून्य	शून्य
मुरादाबाद	1	4	सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत, 2 पुलिसकर्मी के विरुद्ध आरोप पत्र 2 पुलिसकर्मी के विरुद्ध विवेचना प्रचलित, विभागीय कार्यवाही से 2 पदच्युत	निलम्बित-2 पुलिस कर्मी दो-1 माह 24 दिन	1	2 (एक अदालत के आदेश से बहाल)

1	2	3	4	5	6	7
सहारनपुर	1	2	मुकदमा पंजीकृत, आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।	निलम्बित-2 पुलिस कर्मी दोनों 30-8-07 से लगातार निलम्बित है।	2	शून्य
बागपत	1	3	विभागीय जांच एवं मैजिस्ट्रियल जांच से निर्दोष पाये गये।	निलम्बित-3 पुलिस कर्मी सभी 1 माह 7 दिन	शून्य	शून्य
गौतमबुद्ध नगर	2	16	मुकदना पंजीकृत व 6 कर्मियों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया व 9 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के उपरान्त दण्डित किया गया तथा एक कर्मी के विरुद्ध जांच प्रचलित	निलम्बित-16 पुलिस कर्मी चार-2 माह 17 दिन छः-3 माह 7 दिन छः-15-10-08 से लगातार निलम्बित है।	6	शून्य
संतरविदास नगर	1	1	मुकदमा पंजीकृत, विवेचना प्रचलित है। मैजिस्ट्रियल जांच से निर्दोष	निलम्बित-1 पुलिस कर्मी एक-4 माह	शून्य	शून्य
कन्नौज	1	1	मुकदमा पंजीकृत, विवेचना से सभी निर्दोष पाये गये।	निलम्बित-6 पुलिस कर्मी सभी 7 माह 10 दिन	शून्य	शून्य
आगरा अनुभाग	1	2	मुकदमा पंजीकृत होकर आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। विभागीय कार्यवाही प्रचलित।	शून्य	2	शून्य
योगः-	13	51		47	11	2

नत्थी "ग"

(नत्थी के लिए देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-162 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन में 15 दिसम्बर, 08 से 31 मार्च, 2009 तक पंजीकृत मुकदमों का विवरण

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	संक्षिप्त विवरण	परिणाम
1	2	3	4	5
1	742/08	498ए, भादंवि व 3/4 द0अधि0	अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज की मांग करना	चार्ज शीट संख्या 11 दिनांक 27-1-09
2	746/08	147, 323, 324, भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के साथ मारपीट करना	चार्ज संख्या 258 दिनांक 28-12-08
3	778/08	498ए, भादंवि 3/4 दहेज अधि0	अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज की मांग करना	अंतिम रिपोर्ट संख्या 93 दिनांक 22-12-08
4	779/08	452, 325 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा वाद के घर में घुसकर मारपीट करना	चार्ज शीट संख्या 12, दिनांक 28-1-09
5	20/09	498ए, भादंवि व 3/4 दहेज अधि0	अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज की मांग करना	अंतिम रिपोर्ट संख्या 11 दिनांक 5-5-09
6	59/09	452, 302 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता की हत्या करना	चार्ज शीट संख्या 56, दिनांक 9-5-09
7	60/09	394, 411 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर से रुपया 80 हजार नगद लूटना	चार्ज शीट संख्या 46 दिनांक 3-4-09
8	66/09	384, 452 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा वादी से रुपयों की मांग करना	चार्ज शीट संख्या 42 दिनांक 29-3-09
9	67/09	147, 148, 323, 325 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर वादी के साथ मारपीट करना	चार्ज सीट संख्या 13 दिनांक 4-2-09
10	68/09	302 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा वादी के लड़के को गोली मारकर हत्या करना	चार्ज शीट संख्या 32 दिनांक 12-3-09
11	70/09	379 भादंवि	अभियुक्तगण वादी के प्लाट से ईंट चोरी करना	चार्ज शीट संख्या 43 दिनांक 29-3-09
12	80/09	452, 323 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट करना	अंतिम रिपोर्ट संख्या 2 दिनांक 9-3-09
13	82/09	147, 504 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के प्लाट पर कब्जा करना	चार्ज शीट संख्या 26 दिनांक 27-2-09

1	2	3	4	5
14	91/09	379 भादंवि	अज्ञात चोरो द्वारा वादी का ट्रैक्टर चोरी कर ले जाना	अंतिम रिपोर्ट संख्या 19 दिनांक 2-7-09
15	93/09	323, 324 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट करना	चार्ज सीट संख्या 25 दिनांक 27-2-09
16	168/09	354, 380 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा वादी की लड़की के साथ छेड़छाड़ करना व रुपया एक हजार चोरी करना	चयर्ज शीट संख्या 28 दिनांक 27-2-09
17	211/09	392 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के कुण्डल छीन कर ले जाना	अंतिम रिपोर्ट संख्या 5 दिनांक 18-3-09
18	274/09	498ए, भादंवि व 3/4 दहेज अधि0	अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज की मांग करना	चार्ज शीट संख्या 50 दिनांक 17-4-09
19	305/09	147, 323 भादंवि	अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर वादी के साथ मारपीट करना	चार्ज शीट संख्या 57 दिनांक 27-5-09

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 126 विधान सभा (257)-26-10-2009-813 (कम्प्यूटर)।